लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४९, १९६०/१८८२ (शक)

[१२ से २३ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण से २ पौष, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit 18-5-91 Fumigated On 3-12-83 Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४९ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला--खण्ड ४९--अंक २१ से ३०--१२ से २३ दिसम्बर १९६०/ अग्रहायण २१ से २ पौष १८८२ (शक)]

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १२ दिसम्बर, १९६०/२१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८३६, ८३८, ८४० और ८४१ . २४२३--४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३९ और ८४२ से ८६५ . . २४४२--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६२१ से १७०० . . . . २४५२--८९

निधन सम्बन्धी उल्लेख २४८९

सभा पटल पर रखा गया पत्र . २४८९

विशेषाधिकार समिति--

ग्यारहवां प्रतिवेदन २४८९

लोक लेखा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २४८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

श्री ए० के० चन्दा की वित्त आयोग के सभापति के पद पर नियुक्ति २४९०–९१

तारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर की शुद्धि . . . २४९१

कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . . . २४९१—९८

भैरवपुर (सिलचर) में डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य . २४९८–९९

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर . . २४९९

रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २४९९—२५०२

खंड २ और १ . . . . . २५०२

पारित करने का प्रस्ताव २५०२

पृष्ठ

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . २५०२–०५

खंड २, ३ और १ . . २५०५

पारित करने का प्रस्ताव . . . २५०५

पशु निर्दयता निवारण विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५०५—२४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन २५२४

दैनिक संक्षेपिका— . . . . . २५२५—३१

अंक २२—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९६०/२२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २५३३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८७०, ८७२ से ८७४, ८७६ से ८७८ और ८८६ २५३३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७१, ८७५, ८७९ से ८८५ और ८८७ से ८९१ २५५५—६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०१ से १७७२ . २५६१–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५९५–९६

राज्य सभा से सन्देश २५९७

दहेज निषेध विधेयक—राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में . २५९७

बाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में . २५९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

सरकारी आदेश के फलस्वरूप ऊनी कपड़ा मिलों की कठिनाइयां . २५९८–९९

कार्य मंत्रणा समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . २५९९

पशु निर्दयता निवारण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५९९—२६०७

खंड २ से ४१ और १ . . . . . २६०४—०७

पारित करने का प्रस्ताव २६०७

पृष्ठ

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २६०७–२०

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और उपक्रमों सम्बन्धी प्रकाशन के बारे में प्रस्ताव २६२०–३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २६३४

दैनिक संक्षेपिका २६३५–४२

अंक २३—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९६०/२३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ८९४, ८९६, ८९७, ८९९, ९०२ से ९०४ और ९०७ से ९१६ . . २६४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८, ९००, ९०१, ९०५ और ९०६ २६६५–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या . १७७३ से १८३६ २६६८–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . २६९४

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर अधिनियम, १९५६ के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय . . . २६९५–९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६९६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन . . . २६९६

प्राक्कलन समिति —

एक सौ एकवां प्रतिवेदन २६९७

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक . . . २६९७–९९

विचार करने का प्रस्ताव २६९७

खंड २ से ६ और १ . . . . २६९७–९९

पारित करने का प्रस्ताव २६९९

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६९९–२७१४

अधिमान–प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २७१४–२०

खंड २ से ७ और १ . . २७२०

पारित करने का प्रस्ताव . . २७२०

पृष्ठ

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २७२०–२१

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी प्रकाशन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रस्ताव . २७२१—४७

दैनिक संक्षेपिका २७४८—५३

अंक २४—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९६०/२४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७ से ९२०, ९२२ से ९२६ और ९२९ . २७५५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२१, ९२७, ९२८ और ९३० से ९४३ . २७७७—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३७ से १८६८ और १८७० से १८९९ . २७८५—२८०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २८०९—१०

राज्य सभा से सन्देश २८१०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन २८१०

भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी यूनियन के प्रस्तावित विभाजन के बारे में याचिका २८१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा मनीपुर राइफल्स के दो सिपाहियों का मारा जाना २८१०—१२

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक . . . २८१२—३९

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८१२—३४

खंड २ से ४० और १ . . २८३४—३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३९

निवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८३९—५२

कच्चे माल सम्बन्धी समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . २८५३—५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८५८—६३

अंक २५—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९६०/२५ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४५, ९४७ से ९५३, ९५७, ९५८, ९६० और ९६१ . . . . २८५८—८९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४६, ९५४ से ९५६, ९५९ और ९६२ से ९६७ . २८८९—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०० से १९५८ . . . २८९४—२९२०

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल नरेश द्वारा नेपाली मंत्रिमंडल की बरखास्तगी . २९२१—२२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९२२—२३

प्राक्कलन समिति—

अट्ठानवेवां प्रतिवेदन २९२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राउरकेला उर्वरक कारखाने के मजदूरों द्वारा हड़ताल २९२३

सभा का कार्य २९२४

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . २९२४–२५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक—पुरस्थापित २९२५—३२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २९३२–३३

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . २९३४—४३

विचार करने का प्रस्ताव २९३४—३८

खंड २ और १ . . २९३८—४३

पारित करने का प्रस्ताव २९४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

चौहत्तरवां प्रतिवेदन २९४३

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . २९४४

निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . . २९४४—७४

कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाये जाने के बारे में संकल्प . २९७४

कार्य मंत्रणा समिति— . . . . .

साठवां प्रतिवेदन २९७४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९७५—८०

अंक २६—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६०/२८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २९८१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से ९७२ और ९७४ से ९७८ . . २९८१—३००३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ३००३—०५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९७३ और ९७९ से ९९७ . . . ३००५—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९५९ से २०४७ . . ३०१४—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३०५२

राज्य सभा से सन्देश . . . ३०५२

सालारजंग संग्रहालय विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ३०५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . ३०५३

(२) तार विधियां (संशोधन) विधेयक . ३०५३

कार्य मंत्रणा समिति—

साठवां प्रतिवेदन . . . ३०५३

अनुपस्थिति की अनुमति ३०५४–५५

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि ३०५५

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३०५५—८६

असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेन्टों की परीक्षाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३०८६–९२

दैनिक संक्षेपिका ३०९३–३१००

अंक २७—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९६०/२९ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३१०१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ से १००३ और १००५ से १००८ ३१०१—२२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ से ७ ३१२२—३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००४ और १००९ से १०२६ ३१३०—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४८ से २१२१ . . . ३१३७–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३१६९

प्राक्कलन समिति—

निन्यानवेवां प्रतिवेदन ३१७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

त्रिपुरा के जोतदारों द्वारा कुर्फा-उप-काश्तकारों के विरुद्ध की गई आक्रामक कार्यवाही ३१७०

पृष्ठ

लाम्रोस की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३१७०

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) संशोधन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३१७०—३२०२

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खण्ड २, ३, प्रथम और द्वितीय अनुसूचियां और खण्ड १ . . . . ३२०२—०३

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक के खण्ड २ से ११, प्रथम और द्वितीय अनुसूची . . . . ३२०३—०५

मत्स्य पालन शिक्षा की केन्द्रीय संस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३२०५—१०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३२११—१७

अंक २८—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९६०/३० अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०३८ और १०४५—क ३२१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२७, १०३९, १०४०, १०४०—क, १०४१, १०४१-क, १०४२ से १०४५, १०४६ से १०५२, १०५२—क, और १०५३ . . . . ३२४३—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२२ से २२०२, २२०४ से २२१९, २२२१ से २२२४ और २२२४—क . . . ३२५३—९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३२९८—९९

राज्य सभा से सन्देश ३२९९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

पिचहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३३००

लोक-लेखा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन ३३००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में दासता का प्रचलन. ३३००—०२

कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य . . . . ३३०२—०६

भारी बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ३३०६

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३३०७—२१

खंड २ से ८ और १ . . . . . ३३२१—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३३२३

मध्यम पत्तन विकास समिति को प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३२४—३८

श्री ए० के० चन्दा को वित्त आयोग का सभापति नियुक्त किये जाने के बारे में चर्चा ३३३९—५३

आधे घंटे की चर्चा के बारे में . ३३५३

दैनिक संक्षेपिका . ३३५४—६०

अंक २९—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९६०/१ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ से १०५९, १०६१, १०६२, १०६४, १०६५, १०६७ और १०६८ . . . . ३३६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ से १० . ३३८४—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६३, १०६६ और १०६९ से १०७९ ३३८९—९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २२२५ से २२७४ और २२७६ से २३११ . ३३९५—३४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ३४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३४३१–३२

राज्य सभा सन्देश ३४३२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश ३४३३

सभा का कार्य ३४३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . ३४३३

याचिका समिति—

कार्यवाही सारांश और ग्यारहवां प्रतिवेदन . . ३४३३

प्राक्कलन समिति—

एक सौ दोवां प्रतिवेदन ३४३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रुद्रसागर, आसाम में तेल मिलने का समाचार . . ३४३४

	पृष्ठ
ई० एन० आई० के दल के साथ चर्चा के बारे में वक्तव्य .	३४३४—३६
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३४३६—६०
निर्वाचनआयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३४६०—६५
राज्य व्यापार निग म के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३४६५—६९
दैनिक संक्षेपिका . . .	३४७०—७६

अंक ३०—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९६०/२ पौष, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८० से १०८९, १०९१ से १०९३ और १०९७	३४७७—३५०१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ से १४ . . .	३५०१—१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९०, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०६ .	३५१०—१५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३१२ से २४०३ . . .	३५१५—६०
निधन सम्बन्धी उल्लेख	३५६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५६०—६२
तीसरी पंवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी समितियों के कार्यवाही-सारांश .	३५६२–६३
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	३५६३
कार्यवाही-सारांश तथा दसवां प्रतिवेदन . . .	३५६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) गुजरात में तेल साफ करने का कारखाना . .	३५६४—६६
(२) दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के झोंपड़ों का गिराया जाना	३५६६
(३) जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान और	
(४) शरणार्थियों को दंडकारण्य में ले जाने के बारे में योजना	३५६६
विधेयक पुरःस्थापित—	
(१) दण्ड विधि संशोधन विधयेक	३५६७
(२) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . .	३५६७
(३) विशिष्ट सहायता विधेयक	३५६७
(४) अवधि विधेयक	३५६८

	पृष्ठ
बाल विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३५६८—७३
खंड २ से ६० तथा १	३५७३
पारित करने का प्रस्ताव	३५७३—७५
तार विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५७५—८०
खंड २ से ५ और १	३५८०
पारित करने का प्रस्ताव	३५८०
ब्रिटिश संविधियां (भारत पर लागू होना) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५८०—८२
खंड २, ३ और १	३५८२
पारित करने का प्रस्ताव	३५८२
निरसन तथा संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—पारित .	३५८२–८३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . .	३५८३
पिचहत्तरवां प्रतिवेदन	३५८३
छोटे कलाकार (रोजगार का विनियमन) विधेयक [श्री नारायण गणेश गोरे का]—पुरःस्थापित	३५८३
गोवध पर प्रतिबन्ध (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक [पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" का]—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत. . . .	३५८३–८४
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक [श्री नरसिंहन् का]—वापस लिया गया परिचालित करने का प्रस्ताव	३५८५—८९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १९८ का संशोधन) [श्री मती सुभद्रा जोशी का] . . .	३५८९–९०
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत . . .	३५९०
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१क का रखा जाना) [श्री तंगामणि का]—	
विचार करने का प्रस्ताव	३५९०—३६०५
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के बारे में आधे घंटे की चर्चा. .	३६०६—१५
कार्यवाही संबंधी उल्लेख	३६१५
दैनिक संक्षेपिका	३६१६—२४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPD—LS III—1724(Ai) LSD—12-1-61—115.

लोक-सभा

सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६०

२८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री वड्डेपल्ली काशीराम (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके बाद से जब कभी किसी सदस्य द्वारा शपथ ली जानी हो तो सचिव सभा में माननीय सदस्य का नाम, उनका निर्वाचन क्षेत्र तथा जिनके स्थान पर वह आये हों उनका नाम बतायेंगे। अन्यथा माननीय सदस्यों को पता नहीं चलेगा।

श्री वड्डेपल्ली काशीराम आंध्र प्रदेश में नलगोंडा से आये हैं और वे श्री देवनपल्ली राजैया के स्थान पर चुने गये हैं।

इसके बाद से यही प्रथा रहेगी।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गंगा–ब्रह्मपुत्र जलमार्ग

+

†*९६८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री सरजू पांडेय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गंगा-ब्रह्मपुत्र जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के बारे में, प्राक्कलन समिति की ७०वीं रिपोर्ट में की गयी सिफारिश पर सरकार ने इस बीच फैसला कर लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी हां, यह निश्चय किया गया है कि अभी गंगा-ब्रह्मपुत्र जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित न किया जाये।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : यह निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1698 (Ai) LSD.—1.

†श्री राज बहादुर : श्री गोखले की अध्यक्षता में अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की सिफारिशों के अनुसार ही हमने निर्णय किया है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : इस समय इस जलमार्ग का लगभग कितना भाग यातायात के काम में लाया जाता है ?

†श्री राज बहादुर : कलकत्ता से डिब्रूगढ़ तक का फासला लगभग ६००—७०० मील है ।

†डा० राम सुभग सिंह : यह जलमार्ग बक्सर से डिब्रूगढ़ तक है । इसको राष्ट्रीय जलमार्ग न मानने के निर्णय से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†श्री राज बहादुर: जहां तक प्रभाव का संबंध है, इसका अर्थ यह नहीं है, इसकी देखभाल आदि के काम में किसी प्रकार की कमी आ जायेगी । तथ्य यह है कि संरक्षण तथा अग्रिम परियोजना के लिये हमसे जो कुछ सहायता बन पड़ी है, हम देते रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जितना धन हमारे पास उपलब्ध है, उससे हम अधिक से अधिक काम करते रहेंगे ।

कारीगरों के लिये अध्ययन भ्रमण

+

*६६९. { श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज : }

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७९ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कारीगरों के अध्ययन भ्रमण संगठित करने के प्रस्तावों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : तीसरी योजना में शामिल करने के लिये स्कीम तैयार कर ली गई है, और यह चर्चाधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस स्कीम की मोटी रूप रेखा क्या है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे): इस योजना का उद्देश्य यह है कि गांव के उन्नतिशील कारीगर सम्पूर्ण खंड में अपने साथियों द्वारा किये गये काम को देख सकेंगे, इसी प्रकार खंड के उन्नतिशील कर्मचारी जिले के सर्वोत्तम काम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे, जिले से राज्य में, राज्य से देश में और अन्त में देश से सम्पूर्ण विश्व में ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस भ्रमण में जो खर्चा होगा क्या वह कारीगरों को देना होगा या सरकार उस में हिस्सा बंटायेगी ?

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या धनराशि मुकर्रर की गई है और यह काम कब से प्रारम्भ हो सकेगा ?

†श्री सु० कु० डे : तृतीय योजना काल के लिये यह कार्यक्रम बनाया गया है । द्वितीय योजना में कारीगरों के लिये हमने यह कार्यक्रम चालू नहीं किया है । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, हमने भारत दर्शन की योजना चालू की थी और उसमें अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है । अतः हम उस योजना को ग्राम उद्योगों के क्षेत्र में भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं ;

†श्री हेमराज : क्या इन कारीगरों को अपनी शिल्पकलाओं का कुछ और प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ?

†श्री सु० कु० डे : वह कार्यक्रम भी साथ साथ चलाया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दामानी : क्या राज्य सरकारें व्यय वहन करेंगी अथवा सारा व्यय केन्द्र द्वारा ही किया जायेगा ?

†श्री सु० कु० डे : सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग सभी योजनाओं में राज्य केन्द्र का साथ देते हैं।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : क्या उनके साथ दुभाषिया भी होंगे ताकि वे एक दूसरे की भाषा समझ सकें ?

†श्री सु० कु० डे : जी, हां।

†श्री रंगा : क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न राज्यों में इन कारीगरों की संख्या क्या है अथवा क्या वह इस जानकारी को प्राप्त करने के लिये जनगणना संबंधी कार्यों की सहायता लेना चाहती है ?

†श्री सु० कु० डे : मुझे पूरा विश्वास है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को इस बात का अनुमान होगा कि इस समय कितने कारीगर हैं और यह ठीक है कि जनगणना के पश्चात् हमें और भी ठीक तरह से मालूम हो जायेगा।

†श्री दी० चं० शर्मा : प्रत्येक गांव में विभिन्न प्रकार के कारीगर हैं। क्या इन विभिन्न प्रकार के कारीगरों के लिये कोई प्राथमिकता निर्धारित कर दी गई है अथवा उन्हें बेतरतीब लिया जायेगा ?

†श्री सु० कु० डे : यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हमने अभी इस सीमा तक योजना नहीं बनाई है।

†डा० राम सुभग सिंह : विश्व कृषि मेला के अवसर पर हजारों प्रगतिशील किसान दिल्ली मेला देखने नहीं आ सके। इस वर्ष भोपाल में, माननीय मंत्री ने कहा कि भारत कृषक समाज, जिसके तत्वावधान में उन दलों का संगठन किया गया था, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। क्या उन्नतिशील कारीगरों के दल संगठित करते समय तथा उनका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि बाद को कोई भ्रम पैदा न हो ?

†श्री सु० कु० डे : मैं नहीं जानता, मैं स्वयं इस प्रश्न को नहीं समझ पाता क्योंकि हम कारीगरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ भी सही, जबकि किसान भारत दर्शन के लिये भेजे गये थे, तो खंड विकास समिति ने ही उनका चुनाव किया था और दूसरे किसी संगठन का प्रश्न ही नहीं उठता।

†डा० राम सुभग सिंह : यह भ्रम तो आपने स्वयं पैदा किया।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खड़े होकर प्रश्न पूछें।

†श्री रंगा : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या भारत दर्शन के लिये कारीगरों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि ठीक आदमी ही चुने जायें ?

†श्री सु० कु० डे : मैं बता चुका हूं कि यह चुनाव खंड पंचायत समिति तथा अन्य समितियों द्वारा किया जायेगा। वे बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा कि वे इस प्रश्न से भ्रम में पड़ गये। उन्होंने भोपाल में क्या वक्तव्य दिया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना यह है कि यह भ्रम तब पैदा होता है जबकि माननीय सदस्य कृषि मेले की असफलता की बात को लेकर तथा वहां के लिये किसानों के चुनाव की बात को लेकर यह प्रश्न पूछते हैं। वे पहले से क्यों सोचते हैं कि यहां भी असफलता होगी ?

†**श्री त्यागी** : इसके लिये पांचों वर्षों के लिये कुल कितना धन नियत किया गया है ?

†**श्री सु० कु० डे** : हमने पूरी अवधि के लिये मोटे तौर से २० लाख रुपये की योजना बनाई है किन्तु हम इतना प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या २० लाख रुपये बर्बाद करने से पूर्व सरकार संसद की राय लेगी ? क्या उसने प्राक्कलन समिति या अन्य किसी से सलाह ली है क्योंकि इन तंगी के दिनों में इन कार्यक्रमों के लिये बीस, तीस लाख रुपये बहुत अधिक हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : परामर्शदात्री समिति में दोनों सदनों के १२० माननीय सदस्य हैं। और उन सदस्यों की स्वीकृति के बिना सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किया जाता है।

†**श्री त्यागी** : बीस लाख रुपये बहुत अधिक हैं—यह करदाताओं का धन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। जहां तक इस प्रकार की नई सेवाओं का संबंध है, सभा अपने विचार व्यक्त कर सकेगी। यदि यह एक छोटा मामला है, तो कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सभी भागों से कारीगर लाये जायें और उन्हें चारों ओर घुमाया जाये, उनको केवल इससे आपत्ति है कि इतना अधिक खर्च क्यों किया जा रहा है। यदि यह आवश्यक है, तो व्यय किया जा सकेगा। यदि सरकार कोई मामला यहां प्रस्तुत नहीं करती और जैसे ही किसी माननीय सदस्य को यह मालूम होता है कि यह किया जा रहा है, तो उसे उस मामले को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने में कौन रोकता है ? प्रश्न काल को इस काम में लाने का कोई लाभ नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने २० लाख पये की इस रकम को बर्बाद करने के बजाय इतने धन से एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की किसी वैकल्पिक योजना पर विचार किया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : २० लाख रुपये में कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किया जा सकता। द्वितीय यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जायेगी और तृतीय पंचवर्षीय योजना पर सभा में विचार किया ही जायेगा। जब संसद् उसे पास कर देगी तब यह आरम्भ की जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बीच में सरकार सभा के समक्ष उन सभी योजनाओं को रख दे जिन पर माननीय विशेष रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो जैसे ही किसी माननीय सदस्य को यह पता चले कि यह योजना आने वाली है और वे उस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे अल्प काल के लिये उस चर्चा की अनुमति देने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

यात्रा-अभिकर्ताओं सम्बन्धी विधान

+

†*९७०. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटकों के साथ यात्रा अभिकर्त्ताओं, भ्रमण अभिकर्त्ताओं, शिकार अभिकर्त्ताओं, मार्ग दर्शकों (गाइड्स) और होटल वालों के व्यवहार को अनुशासित करने के लिये प्रस्तावित विधान को अन्तिम रूप देने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : पर्यटकों के साथ यात्रा अभिकर्त्ताओं, भ्रमण अभिकर्त्ताओं, शिकार अभिकर्त्ताओं, मार्ग दर्शकों और होटल वालों के व्यवहार को अनुशासित करने के लिये प्रस्तावित विधान के बारे में प्रस्थापनायें, जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से तैयार की गई हैं, अभी अन्तिम रूप से तय की जानी हैं। क्योंकि पर्यटन की समस्या कई मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा यात्रा व्यापार से संबंधित है अतः एक अखिल भारतीय विधान बनाने में निश्चित रूप से समय लगेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार को समय-समय उन कठिनाइयों के बारे में विभिन्न शिकायतें मिलती हैं जोकि पर्यटक तथा यात्रा अभिकर्त्ता राज्य स्तर पर सहते हैं और यदि हां, तो भविष्य में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या सरकार कोई सम्पर्क संगठन बनाने की सोच रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : पर्यटन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के मुकाबले में कुछ पर्यटकों को जिन कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है उनके बारे में हमें समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। होटल उद्योग, शिकार अभिकर्त्ताओं, यात्रा व्यापार आदि संबंधित बातों को विनियमित करने की दृष्टि से यह विधान बनाने का विचार है। हमें आशा है कि इस विधान के अधिनियमन के पश्चात् हम वह सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उसमें सहायता देने के लिये कोई समितियां हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : जी हां। सरकारी समितियां हैं और व्यापार की समितियां अथवा विभिन्न संघ भी हैं। उदाहरणतः यात्रा अभिकर्त्ताओं का एक अखिल भारतीय यात्रा अभिकर्त्ता संघ है, होटल वालों का अखिल भारतीय होटल तथा जलपानगृह संघ है, और शिकार अभिकर्त्ताओं का भी अपना संघ है। इन विभिन्न विभागों के बीच पर्यटक विकास परिषद् तथा क्षेत्रीय पर्यटक मंत्रणा समिति द्वारा पूरा सम्पर्क रखा जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन संघों को मान्यता पदान करने वाले माननीय मंत्री यदि उन संघों से यह आग्रह करें कि वे संसद् सदस्यों को संघों का अवैतनिक सदस्य बना लें जिससे वे समय-समय पर यह जान सकें कि क्या हो रहा है, उनकी बैठकों की सूचनायें प्राप्त कर सकें और उन्हें विनियमित कर सकें तो ये प्रश्न ही पैदा न हों। ये बातें तभी पूछी जाती हैं क्योंकि माननीय सदस्यों को उनकी जानकारी नहीं है।

†**श्री राज बहादुर** : वे पर्यटक विकास परिषद् के सदस्य हैं। हम भी समय समय पर सभा में प्रश्नों के उत्तर देते रहे हैं। हम विभिन्न समितियों, मंत्रणा समितियों, क्षेत्रीय मंत्रणा समितियों

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा पर्यटक विकास परिषद् को पूरी पूरी जानकारी देते रहे हैं। जहां तक इस विभाग का संबंध है हमने कोई कसर नहीं उठा रखी है क्योंकि पर्यटन विशेष रूप से प्रचार पर निर्भर है। यदि इसकी सहायता करने वाली विभिन्न संगठनों को प्रचार की सहायता नहीं दी जा सकती तो उसका नाम गिरेगा। अतः पूर्णतः जागरूक हैं और मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसा कोई सन्देह नहीं होना चाहिये कि हम उन्हें ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या इस प्रस्तावित विधान द्वारा मार्गदर्शकों तथा यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा ली जाने वाली फीस भी विनियमित की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : होटल अथवा जलपानगृह द्वारा कितना लेना चाहिये इसका प्रबन्ध तो शायद न हो सके किन्तु हम 'स्टार सिस्टम' नाम से प्रसिद्ध एक प्रणाली पर चल रहे हैं। इस प्रणाली के अनुसार होटलों का उनके सामान, उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं आदि के आधार पर मोटे तौर पर वर्गीकरण कर दिया जाता है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस विषय की महत्ता को देखते हुये क्या वर्तमान लोक सभा की अवधि में इस विधान को प्रस्तुत करने की कोई आशा है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं बहुत चाहता हूं कि प्रस्तावित विधान वर्तमान लोक-सभा की अवधि में ही आ जाये क्योंकि मेरी कार्यावधि वर्तमान लोक-सभा के अन्त तक ही है।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टूरिस्ट एजेंट्स को ट्रेनिंग देने का कोई इंतजाम किया गया है ?

†**श्री राजबहादुर** : जी हां, टूरिस्ट एजेंट्स को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है और उसके लिये समय समय पर शिक्षण शिविर और दूसरी सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

†**श्री तंगामणि** : इस अभिकरण का यात्रा अभिकर्ताओं पर क्या नियंत्रण है ? क्या यह सच नहीं है कि ये यात्रा अभिकर्ता पर्यटकों को कारें लाकर देते हैं जो लाइसेंस शुदा नहीं होतीं जैसा कि मदुराई के फ्रेडरिक मार्च के साथ हुआ। उस मामले में यात्रा अभिकर्ता जो कार लाया था, उसे टैक्सी के रूप में चलने का लाइसेंस प्राप्त नहीं था। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि इन यात्रा अभिकर्ताओं पर आपका क्या नियंत्रण है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम विधान बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस व्यापार के नियंत्रण तथा विनियमन के लिये कोई उपाय निकालने के लिये इस विधान की आवश्यकता है। मेरे विचार में माननीय सदस्य ने उसी प्रसंग में यह प्रश्न पूछा है।

श्री भक्त दर्शन : मानमनीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि ऐसा अधिनियम बनने में अभी काफ़ी समय लगेगा। क्या इस बीच में एक्सक्यूटिव आर्डर्ज़ के द्वारा यह व्यवस्था की जायगी, ताकि ये शिकायतें दूर की जा सकें ?

श्री राज बहादुर : प्रशासनिक आदेशों और आज्ञाओं द्वारा अब भी ऐसी व्यवस्था की जाती है और मैं समझता हूं कि जब कभी उनकी आवश्यकता होगी, और भी आदेश दिये जा सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अन्सार हरवानी : जब तक यह विधेयक सभा में प्रस्तुत नहीं हो जाता, उतने समय तक के लिये क्या सरकार उन यात्रा अभिकरणों की गतिविधियां को रोकने के लिये कोई उपाय करने का विचार है जिन का मुख्य काम जाली पार पत्र बनाना है ?

†श्री राज बहादुर : यह भिन्न प्रश्न है और मुझे उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है । जहां तक विधान का संबंध है हम दो तरह से आगे बढ़ रहे हैं–– प्रथमतः इन संगठनों के जरिये, जिनका मैं ने एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में अभी उल्लेख किया और दूसरे कार्यकारिणी के आदेशों द्वारा जिनका उल्लेख मैंने श्री भक्त दर्शन के प्रश्न के उत्तर में हिन्दी में कहा था ।

†श्री डी० वं० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा था कि यात्रा अभिकर्ताओं तथा अन्य अभिकर्ताओं के संघ हैं । क्या मार्गदर्शकों और कमीशन एजेन्टों के भी संघ हैं तथा इन विनियमों द्वारा उनका नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है ?

†श्री राज बहादुर : मार्ग दर्शकों के भी मेरे विचार में कुछ संघ हैं किन्तु मुझे पूरा विश्वास नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या इन्तज़ाम करने जा रहे हैं कि जो ट्रैवल एजेन्ट्स और गाइड्ज़ वगैरह जब सौदा कराने जाते हैं, तो वे दुकानदार से कमीशन तय कर लेते हैं ।

श्री राज बहादुर : इस प्रकार की शिकायतें हमारे पास आई हैं और इन को रोकने के लिए एक कानून की जरूरत है, लेकिन यह कानून तभी बनाया जा सकता है जब कि सारी राज्य सरकारें और विभिन्न विभाग सब के सब एक बात पर मुत्तफ़िक हो सकें ।

पश्चिम जर्मनी से प्राप्त सहायता से खाद्य उत्पादन

+

†*९७१. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री आचार :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पश्चिम जर्मनी की सहायता से कुछ अग्रिम परियोजनाएं शुरू करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : जर्मन गणतंत्र संघ राज्य सरकार ने सघन कृषि संबंधी जिला कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना मालूम करने के लिए विशेषज्ञों का

†मूल अंग्रेजी में

एक दल भेजा है । जर्मन सहायता कितनी होगी यह उस समय तय किया जायगा जब दल अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकेगा ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : पहले के प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि छोटे फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है । क्या स्थान चुनने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : पांच जर्मन विशेषज्ञ सारे देश में घूम चुके हैं । उन्होंने चार राज्यों का दौरा किया और विभिन्न प्रकार की भारतीय कृषि देखी । वे किस प्रकार भारतीय कृषि को सहायता दे सकेंगे यह उन पर निर्भर है । जब वे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तब यह मालूम हो जायगा ।

†**श्री सूरकार** : क्या इस दल ने पैकेज कार्यक्रम के लिए सहायता देने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में अनुसंधान भी किया था और यदि हां, तो इस विषय में उनकी क्या राय है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मुख्य उद्देश्य पैकेज कार्यक्रम के लिए सहायता देना है । उन्होंने चार राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मैसूर का दौरा किया । अब वे ही यह बता सकते हैं कि इस पैकेज कार्यक्रम के लिए वे किस प्रकार मदद कर सकते हैं ।

†**श्री आचार** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि वे रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं । वह संभवतः कब प्राप्त होगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उन में से तीन भारत से चले गये हैं । उन में से दो आज सुबह मुझ से मिले थे । जब वे वापिस जायेंगे तब वे अपने देश में रिपोर्ट तैयार करेंगे ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार ने अपना कार्यक्रम कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिए इस सरकार और अन्य सरकारों को भी आने का निमंत्रण दिया था या पश्चिम जर्मन सरकार ने स्वतः ही सहायता दी थी ? यदि सरकार ने अन्य सरकारों को भी बुलाया है, तो किन किन सरकारों को और उन में से कितनी सरकारों ने सहायता दी है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जहां तक जर्मन सरकार का संबंध है उस ने कृषि के विकास के लिए भारत को मदद देने की इच्छा स्वतः ही व्यक्त की थी ; अन्य सरकारों के संबंध में यदि माननीय सदस्य दूसरे प्रश्न पूछें तो मैं बाद में उत्तर देने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री महन्ती** : हमारे यहां जापानी और चीनी ढंग की खेती होती है । जर्मन ढंग की खेती की क्या विशेषता है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जर्मन लोग जो भी करते हैं, चाहे वह खेती, वन-विज्ञान या उद्योग हो, वे हर चीज के विशेषज्ञ हैं । उनकी कृषि आदर्श कृषि है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब जर्मनी जैसे उन्नत देश ने भारतीय कृषि की मदद करने की अपनी इच्छा प्रकट की तो हमने उसका स्वागत किया । उन के विशेषज्ञों ने सारे देश को देखा और वे ही हमें बता सकेंगे कि वे किस प्रकार हमें मदद कर सकेंगे ।

†**श्री महन्ती** : जर्मनी मे टेकनीशियनों के शिष्टमंडल पर सरकार ने कितना खर्च किया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मैं नहीं जानता । वे अपने ही आप आये हैं । जहां कहीं व गये हमने अतिथियों की तरह उन के साथ व्यवहार किया । यदि माननीय सदस्य खर्च के बारे में आग्रह करते हैं तो मैं उन्हें बाद में बता सकूंगा ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : क्या यह दल एक नया तरीका लागू करने जा रहा है और क्या सरकार को यह मालूम है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह तो विशेषज्ञों के कहने की बात है कि वे किस प्रकार हमारी सहायता कर सकेंगे, कि क्या वे उन्नत औजार बनाने में या दुग्धशालाएं बनाने में या अन्य चीजों में हमारी मदद करेंगे । यह मेरे कहने की बात नहीं है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : किन किन फसलों में जर्मनी ने सघन खेती का प्रयोग किया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : योरप में खास कर, जर्मनी में उनकी फसलें गेहूं और जौ है । भारत में यदि केवल अन्न उत्पादन में ही सहायता करनी है तो उन्हें गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में ही सहायता करनी पड़ेगी । यदि वह अन्य औजारों और दूसरी चीजों के बारे में सहायता करें, तो वे सारे भारत में सहायता कर सकते हैं । वह केवल गेहूं पैदा करने वाले या चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं ।

†**श्री सूपकार** : क्या अगले अप्रैल से भारत के शेष राज्यों में पैकेज कार्यक्रम की कार्यान्विति पर पश्चिम जर्मनी जैसे विदेशों से सहायता मिलने या न मिलने से कोई असर पड़ेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जो भी कार्यक्रम हम पहले निश्चित कर चुके हैं, वह पैकेज कार्यक्रम फोर्ड निधि के सहयोग से ही निश्चित किया गया है । दूसरे देशों से जो भी सहायता सघन खेती वाले जिलों में आये, उस से कोई असर नहीं पड़ेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह सर्व-विदित है कि पश्चिम जर्मनी बहुत ही उन्नत औद्योगिक देश है और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में पश्चिम जर्मनी की अपेक्षा पूर्व जर्मनी में कहीं अधिक उत्पादन होता है । मैं यह जानना चाहती हूं कि यह अग्रिम परियोजना पश्चिम जर्मनी के कृषि क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत की गयी है या हमने उन से कृषि-सहायता मांगी थी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जर्मन गणतंत्र सरकार ने यह इच्छा प्रकट की थी कि वह हमारी कृषि की मदद करना चाहती है यद्यपि वह एक औद्योगिक देश है, फिर भी उनकी कृषि बहुत ही अच्छी है । मैंने वह देखी है । खास कर जर्मनी में खेती बहुत ही अच्छी खेती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी की कीमत

†*३७२. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री खुशवक्त राय :
श्री यादव नारायण जाधव :
कुमारी मो० वेंकुमारी :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री कालिका सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की कीमतों का प्रश्न पुनः प्रशुल्क आयोग को निर्दिष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तरिम अवधि में चीनी की कीमतों के बारे में क्या नीति होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि चीनी का फुटकर भाव उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में कहीं अधिक ऊंचा है और यदि हां, तो क्या दक्षिण में भाव कम करने के लिए कोई मूल्य नीति अपनाई जायेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सभी को मालूम है कि फुटकर भाव इसलिए ऊंचा है कि दक्षिण में कारखानों को माल भाड़े का फायदा नहीं है । ५० प्रतिशत से अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में है जिस से उत्तर प्रदेश की चीनी दक्षिण में जाती है । स्थानीय उत्पादन को निश्चय ही माल भाड़े का लाभ मिलता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : चूंकि अब चीनी उपकर अधिनियम अमान्य घोषित कर दिया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि अब इस बात को देखते हुए कि मालिकों को रुपये में चार आने उपकर के तौर पर नहीं देने पड़ेंगे, क्या चीनी के भाव में परिवर्तन किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सभा में बताया जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : इस संबंध में मूल-संबंध सूत्र क्या है ? क्या वह प्रशुल्क आयोग को निर्दिष्ट किया गया है और इस संबंध में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट सरकार को संभवतः कब प्राप्त होगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया है, हमने गन्ने की कीमत को चीनी की कीमत के साथ संबंधित करने का सूत्र ३ अक्तूबर, १९६० को प्रशुल्क आयोग को प्रस्तुत किया था । वह चीनी का मूल्य नहीं है जैसा कि प्रश्न में समझा गया है । समय के संबंध में, हम समझते हैं कि हमें तुरन्त ही रिपोर्ट मिल सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कुमारक राय : जो गन्ने के काश्तकार हैं, उनको जो अतिरिक्त मूल्य मिलने वाला था वह कब तक मिलेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : अभी पिछले एक दिन सम्पूर्ण विषय पर चर्चा हुई थी। हमने अब न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया है। मूल्य-संबंध-सूत्र के अधीन देय मूल्य भी है। वर्ष १९६१–६२ के लिए मूल्य क्या हो इस पर फरवरी–मार्च में किसी समय विचार किया जायगा।

श्री कुमारक राय : मैं जानना चाहता हूं कि जो पिछले साल गन्ना दिया गया मिलों को उस के बारे में अतिरिक्त मूल्य यानी एक्स्ट्रा प्राइस देने की जो बात आपने कही थी, वह कब तक काश्तकारों को मिलेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : मूल्य-संबंध-सूत्र के अनुसार उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त भी कुछ मिल सकता है। वह प्रश्न प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया है। उद्योग की ओर से यह सवाल उठाया गया था कि जो कारखाना-बाहर मूल्य निर्धारित किया जायेगा उसमें उसे प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कोई पुनर्वास छूट नहीं दी गयी है। गन्ना पैदा करने वालों ने कहा कि मूल्य-संबंध-सूत्र एक बहुत पेचीदा विषय है और वह कोई अधिक सरल सूत्र चाहते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रश्न प्रशुल्क आयोग को निर्दिष्ट कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कई कारखाने अपनी इच्छा से, तदर्थ आधार पर भुगतान कर रहे हैं क्योंकि मूल्य-संबंध-सूत्र के अधीन अभी अंतिम रूप से हिसाब-किताब तय नहीं हुआ है।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या गन्ना उत्पादकों की यह एक बड़ी मांग है कि यह सूत्र बहुत पेचीदा है और इसे बदल कर एक ऐसा सूत्र बनाया जाये जो अधिक समझ में आ सके ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैंने ठीक यही बताया है। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से हमने यह मामला प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति और उत्पादन लक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है उसे देखते हुए क्या यह आवश्यक है कि चीनी उद्योग को दिया गया संरक्षण अब भी जारी रखा जाये ?

†**श्री अ० म० थामस** : यहां संरक्षण का कोई प्रश्न नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और पंजाब में कारखाना–बाहर मूल्य निश्चित हैं। अब कुछ लोग इस बात का समर्थन करने लगे हैं कि ये निर्बन्धन हटा दिये जायें। सम्पूर्ण विषय पर विचार किया जा रहा है और अंतिम निर्णय करने से पहले इन बातों पर विस्तार पूर्वक विचार करना होगा कि नियंत्रण हटा लेने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गन्ना-उत्पादकों, उद्योग और उपभोक्ताओं पर उसका क्या असर पड़ेगा।

†**श्री वाजपेयी** : संपूर्ण देश के लिए चीनी के संबंध में एकसी मूल्य नीति बनाने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम जान बूझ कर ऐसी नीति अपना रहे हैं। वास्तव में [illegible] भक दशाओं में यह चाहते थे कि चीनी उद्योग दोनों ही जगह, दक्षिण क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

में तथा दक्षिण में, बढ़े । फिर माल भाड़े का लाभ भी है। इसलिये हमने यह सोचा कि संपूर्ण देश के लिए चीनी के संबंध में एकसी मूल्य नीति रखना उचित नहीं होगा ।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** : मेरे प्रश्न का आंशिक उत्तर दिया गया है । गन्ना पैदा करने वाले विभिन्न प्रदेशों में इतना फर्क देखते हुए क्या एक रूप नीति बनाना उचित होगा या कोई सूत्र निर्धारित करने में विभिन्न प्रदेशों की स्थितियों पर विचार किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : जैसा कि सभा को मालूम है, प्रशुल्क आयोग ने चार प्रादेशिक अनुसूचियां निर्धारित की हैं। हमने बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कारखाना-बाहर मूल्य निश्चित करने के लिए प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित अनुसूचियां मंजूर की हैं। दूसरे प्रदेश के लिए मूल्य निर्धारित करने के संबंध में यदि आवश्यक हुआ तो हम प्रशुल्क आयोग द्वारा तैयार की गयी अनुसूची अपना सकते हैं । लेकिन तुरन्त ही ऐसे किसी निर्णय की आवश्यकता हम नहीं समझते ।

†**श्री त्यागी** : पिछली बार सभा में नीति संबंधी एक निश्चित वक्तव्य दिया गया था कि मूल्य चीनी की निकासी पर निर्भर होगा और जहां कहीं निकासी अधिक होगी, गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य दिया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वह नीति वापिस ले ली है और पिछले दो या तीन वर्षों में जब कि अधिक निकासी हुई थी, क्या गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य दिया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमने इस प्रश्न पर भी विचार किया था । कुछ कारखानों में हम प्रयोग के तौर पर किस्म के आधार पर भुगतान करने की नीति अपना रहे हैं। लेकिन इतने अधिक उत्पादक, हजारों की संख्या में, हैं कि उन सभी को निकासी के आधार पर भुगतान करना संभव नहीं है । उन कठिनाइयों पर भी विचार करना होगा । वास्तव में, जो प्रतिनिधिमंडल आस्ट्रेलिया गया था उसने वापिस लौटने पर यह कहा था कि सभी गन्ना-उत्पादकों को किस्म के आधार पर भुगतान करना उचित होगा। उस ने यह भी कहा था कि पहले इसे अखिल भारतीय कार्यवाही की अपेक्षा प्रयोगात्मक आधार पर हमें अपनाना होगा ?

†**श्री त्यागी** : मेरा प्रश्न निश्चित था । नीति के बारे में एक वक्तव्य दिया गया था और पिछले दो तीन वर्षों में लोगों की यह धारणा थी कि उन्हें निकासी के आधार पर भुगतान किया जायेगा। क्या सरकार अब इस बात से पीछे हट रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : निश्चय ही नहीं । हम पीछे नहीं हट रहे हैं। यह तुरन्त संभव नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : उन कारखानों में जहां कम निकासी के कारण मूल्य घटा दिया गया था, उदाहरणार्थ मेरे अपने निर्वाचन-क्षेत्र में वह फी मन दो आने कम था क्योंकि निकासी सामान्य से कुछ कम थी , क्या उन्हें अब कुछ अधिक मिलेगा क्योंकि निकासी पिछले दो वर्षों से कहीं अधिक हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह प्रश्न मेरे माननीय मित्र ने कई बार पहले भी उठाया था । प्रत्येक गन्ना-उत्पादक को १ रुपया १० आने का न्यूनतम मूल्य निश्चित ही दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

जायेगा । माननीय सदस्य ने जिस स्थान का उल्लेख किया है वहां के उत्पादकों को भी वही मूल्य मिलेगा ताकि कम मूल्य मिलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि कई वर्षों से सीस्मा सूत्र दक्षिण में कार्यान्वित किया जा रहा है और न केवल वर्तमान मंत्री बल्कि उन के पूर्ववर्ती मंत्रियों ने भी यहां यह आश्वासन दिया था कि यही सूत्र उत्तरी भारत में भी लागू किया जायगा, अब सरकार ने किस कठिनाई के कारण उसे त्याग दिया है और यह तर्क रखा है कि प्रत्येक किसान को यह छूट देना उस के लिए संभव न हो सकेगा ?

†श्री अ० म० थामस : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह तथ्य मालूम है कि १९५८-५९ से हमने मूल्य सम्बन्ध सूत्र अपनाया है । जो सिद्धान्त सीस्मा सूत्र में अपनाया गया है वही सिद्धान्त सारे देश में संविहित आधार पर अपनाया गया है ताकि यह डर न रहे कि यह सूत्र उत्तर के कारखानों के मामले में भी कार्यान्वित नहीं किया जायेगा । अब जो प्रश्न तय करना है वह यह है कि गन्ने के लिए कौन सा ठीक ठीक आनुपातिक मूल्य निर्धारित किया जाये, 'एक्स' फैक्टर क्या हो ? संपूर्ण प्रश्न प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया है । इसलिए सीस्मा सूत्र से मुकर जाने का कोई प्रश्न नहीं है । सीस्मा सूत्र या मूल्य-संबंध-सूत्र या और कोई सूत्र अपनाना राज्यों की इच्छा पर निर्भर है । उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र में एक विशिष्ट सूत्र है जो न तो सीस्मा सूत्र और न मूल्य-संबंध-सूत्र है । उन्होंने गन्ने का दाम बढ़ा दिया है । केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा अपने क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट सूत्र अपनाने में बाधक नहीं होती ।

†श्री काशी नाथ पांडे : इस बात को देखते हुए कि मालिकों को उत्पादन-शुल्क में दी जाने वाली छूट में किसानों के हिस्से पर प्रशुल्क आयोग विचार कर रहा है और वह अभी तक तय नहीं हुआ है जैसाकि हमें अभी बताया गया है, क्या सरकार कारखानों को देर से भुगतान करेगी जिस से कि किसानों को अपना हिस्सा मिल सके ?

†श्री अ० म० थामस : निश्चय ही, यदि कुछ दिया जाने वाला हो तो किसानों को गन्ने का अतिरिक्त मूल्य मिलने में कुछ देर लगेगी । यह उल्लेख न केवल उद्योग की वरन् गन्ना उत्पादकों की भी मांग के कारण आवश्यक हो गया है जैसा कि माननीय सदस्य कुमारी वेदकुमारी ने बताया है ताकि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस में केन्द्रीय सरकार ने केवल उद्योग के प्रतिनिधित्व पर ही कोई कार्यवाही की हो । लेकिन इस के बावजूद, दक्षिण में स्थापित कुछ कारखानों में गन्ना उत्पादकों को तदर्थ आधार पर और कुछ मामलों में स्थायी आधार पर भुगतान किये गये हैं । कुछ मामले केन्द्रीय सरकार की नजर में आये हैं। उदाहरण के लिए, मैसूर में होजपेट कारखाने में गन्ना उत्पादकों और मिलमालिकों ने आपस में समझौता कर लिया है जिस से प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के बिना ही सीस्मा सूत्र के अधीन अंतिम भुगतान किया गया है । इसलिये हम इस विषय में शीघ्रता कर रहे हैं । हम यह देखना चाहते हैं कि उत्पादकों को यथाशीघ्र भुगतान किया जाये ।

श्री खांडेकर : जब चीनी का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तब खांडसारी शक्कर और गुड़ का उत्पादन ज्यादा बढ़े, गांव वालों को धन्धा मिले और इस

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग को प्रोत्साहन मिले और चीनी का जो खर्च आज होता है वह बढ़ने के बजाय कम हो, इसके लिये क्या मंत्री जी कोई प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी हां । हमारा दृढ़ विश्वास है कि चीनी उद्योग तथा खांडसारी उद्योग, दोनों का ही अपना-अपना यथोचित स्थान है । गुड़ उद्योग का अपना स्थान इसलिये है कि चीनी मिलें देश में गन्ने की कुल पैदावार का केवल ३० प्रतिशत ही काम में लाती है । इसलिए खांडसारी और गुड़ दोनों का ही अपना अपना स्थान है । केवल इतना ही नहीं, खांडसारी से कर का फायदा भी है ।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितनी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने अतिरिक्त मूल्य दे दिया है, और क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि और मिलों से कह दे कि वे भी उसी प्रकार से अतिरिक्त मूल्य दे दें ?

†**श्री अ० म० थामस** : १९५७–५८ में ....

श्री खुशवक्त राय : मैं सन् १९५९–६० की बात करता हूं ।

†**श्री अ० म० थामस** : वर्ष १९५९–६० के लिए संपूर्ण विषय निर्दिष्ट किया गया है और भुगतान केवल ऐच्छिक आधार पर ही किया जा सकता है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है माननीय उपमंत्री ने अभी अभी बताया कि गन्ने का दाम तय करते समय चीनी की निकासी पर विचार किया जाता है किन्तु क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कुछ कारखानों के मालिक सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत दे सकते हैं ।

†**श्री अ० म० थामस** : यदि मिल मालिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक देते हैं तो हम बीच में नहीं आयेंगे । वास्तव में, महाराष्ट्र और गुजरात में जैसा कि हमने बताया है, न तो उन्होंने सीमा और न तो मूल्य-संबंध-सूत्र अपनाया है । उत्तर में गन्ने की जो न्यूनतम कीमत दी जाती है उस से कहीं अधिक वे दे रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : सरकार के प्रबन्ध के अधीन जो कारखाने हैं उन के बारे में क्या स्थिति है ? क्या उन्होंने अतिरिक्त दिया है या नहीं ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी नहीं ।

†**श्री त्यागी** : क्यों नहीं ।

†**श्री अ० म० थामस** : अन्य मिलों के बारे में जो सिद्धान्त अपनाया जा सकता है वही सिद्धान्त इन मिलों के बारे में भी अपनाना होता है । यों तो वे सरकारी कारखाने नहीं हैं केवल प्रबन्ध सरकार ने ले लिया है । इसलिये, अन्य मिलों के मामले में जो तरीका अपनाया जाता है उस से अलग कोई तरीका सरकार नहीं अपना सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या इन मिलों के बोर्डों में किसानों के प्रतिनिधि रखना अधिक उपयुक्त नहीं होगा ताकि उनके बीच कोई झगड़ा न हो ?

†**श्री अ० म० थामस** : केन्द्रीय सरकार की नीति बहुत अच्छी तरह ज्ञात है अर्थात् जहां कहीं सम्भव हो सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना । अतिरिक्त नये कारखाने खोलने के विषय में, सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है ।

गाड़ियों में विशेष प्रकार का प्रकाश

†*९७४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्घटनाओं आदि के अवसरों पर गाड़ियों में इस्तेमाल किये जाने के लिये एक विशेष प्रकार के प्रकाश का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके गाड़ियों में कब तक लगाये जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) इस उपकरण में एक वहनीय तिपाई है जिस पर विरुद्ध दिशाओं में दो बत्तियां हैं जिससे यथासंभव अधिक प्रकाश गाड़ी में हो सके । आपातकालीन स्थितियों के लिए एक हैन्ड लैम्प की व्यवस्था भी की जा रही है । ऐसा प्रत्येक सेट प्रारम्भ के स्टेशनों पर सभी सवारी गाड़ियों के ब्रेक-वैन में लगाया जायगा ।

(ग) यह उपकरण रेलवे तैयार कर रही है और वह तैयार होते ही लगा दिया जायगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे के सभी आठ खंड क्षेत्रों में यह लाइट-बॉक्स लगाया जायगा और ठीक समय पर यह लाइट-बॉक्स जलाने के लिए कोई कर्मचारी भी होंगे क्योंकि यह एक बहुत पेचीदी मशीनरी है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यहां खंडक्षेत्रों का कोई सवाल नहीं है। कुछ समय में सभी सवारी गाड़ियों में यह लगा दिया जायगा । कल्पना यह है कि यह एक सन्दूक में लगा दिया जायगा जो प्रारंभ के स्टेशन पर गार्ड को सौंप दिया जायगा और वह अंतिम स्टेशन तक ले जाया जायगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस प्रकार की रोशनी और पुश-बटन लाइट जो औरतों के डिब्बों में लगा दी गयी है, उस में क्या अन्तर है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पुश-बटन लाइट आपात काल के लिए है अर्थात् कोई चोर या डाकू औरतों के डिब्बों में घुस आये तो उसके लिए यह व्यवस्था है ताकि औरतों को सहायता पहुंचाने के लिए खतरे की आवाज दी जा सके । लाइट-बाक्स व्यवस्था दुर्घटनाओं के लिए है जिस से सुरक्षा कार्यों की सुविधा के लिये पूरी की पूरी गाड़ी में प्रकाश दिया जा सके ।

सम्बलपुर बाढ़ नियंत्रण योजना

†*९७५. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मालदा जिले की सम्बलपुर बाढ़ नियंत्रण योजना को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : इस बात को देखते हुए कि योजना सात साल पहले बनायी गयी थी और इस विषय में काफी पत्र व्यवहार हुआ है, इस समय क्या स्थिति है और क्या इसके लिए कोई रकम नियत की गयी है ?

†**श्री हाथी** : संशोधित योजना ३१ अगस्त, १९६० को पेश की गयी थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यकारी दल ने १५ लाख रुपये की व्यवस्था की सिफारिश की है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : संभवत: कब से उसका काम शुरू होगा ?

†**श्री हाथी** : वह योजना का तकनीकी परीक्षण पूरा होने पर निर्भर रहेगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार क्या संशोधित योजना में कोई विस्तृत योजना है और यदि हां, तो क्या उसके लिए कोई अतिरिक्त रकम नियत की जायगी ?

†**श्री हाथी** : कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जा सकेगी या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन करीब १५ लाख रुपये की व्यवस्था अवश्य की गयी है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पहली योजना में क्या दोष पाये गये थे ?

†**श्री हाथी** : मुख्यत:, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का तकनीकी परीक्षण यह था कि दोनों ही भुजाएं अर्थात् महानदी की उत्तरी और दक्षिणी भुजाएं शामिल की जायें ताकि दोनों को ही लाभ पहुंचे।

वेस्ट कोस्ट रोड[1]

†*९७६. **श्री कोडियान** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ क से आगे जाने वाली वेस्ट कोस्ट रोड को, पहले से बढ़िया बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार की योजना के रूप में हाथ में लिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ग) यह कार्य अनुमानत: कब समाप्त हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) इस पूरी सड़क परियोजना पर लगभग ११.६४ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है । इसमें से २.१४२ करोड़ रुपये सड़क के उस भाग पर खर्च होगा जो केरल में पड़ता है ।

(ग) अनुमान है कि यह कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]West Coast Road.

†श्री कोडियान : इस बात को देखते हुए कि केरल में इस राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७क के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हो गया है और अभी भी इस सम्बन्ध में बहुत सा काम होना बाकी है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†श्री राज बहादुर : हमारी शुरू से ही यह कोशिश रही है कि राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजपथ सम्बन्धी कार्य को यथासम्भव शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये जोर देते रहें। पश्चिम घाट सड़क सम्बन्धी परियोजना का वित्त पोषण करने की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इस बारे में भरसक प्रयत्न कर रही है।

†श्री तंगामणि : कन्याकुमारी से एरनाकुलम तक जाने वाले इस राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७क की वर्तमान लम्बाई कितनी है और जब राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ विस्तार किया जायेगा तो इसकी कुल लम्बाई कितनी हो जायेगी, तथा मौजदा राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७क के कितने हिस्से पर कोलतार बिछाया गया है ?

†श्री राज बहादुर : मूल प्रश्न का सम्बन्ध वेस्ट कोस्ट रोड से है। मेरे लिये राजपथ संख्या ४७ तथा ४७क की लम्बाई बताना सम्भव नहीं है।

†श्री तंगामणि : राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ लगभग १६०० मील लम्बा है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजपथ है। क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बारे में आंकड़े नहीं है ?

†श्री राज बहादुर : देश में बहुत से राष्ट्रीय राजपथ हैं और मैं हर समय प्रत्येक राष्ट्रीय राजपथ की लम्बाई कैसे याद रख सकता हूं। प्रश्न का सम्बन्ध वेस्ट कोस्ट रोड से है और मैं इस सड़क की लम्बाई बता सकता हूं। यह सड़क ७२३ मील लम्बी है।

†श्री तंगामणि : राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७क का विस्तार किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सड़क की वर्तमान लम्बाई कितनी है ?

†श्री राज बहादुर : मेरे लिये यह सम्भव नहीं कि मैं हर समय हर एक राष्ट्रीय राजपथ की लम्बाई याद रखूं। यह असम्भव है।

†श्री तंगामणि : मैं तो केवल राजपथ संख्या ४७क के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सड़क की लम्बाई कितनी है ? इस राजपथ का विस्तार करने की प्रस्थापना है, तथा विस्तार करने के पश्चात् इसकी लम्बाई कितनी हो जायेगी ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस सड़क के कितने भाग पर कोलतार बिछाया जा चुका है ?

†अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न सीमित है। मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध उस शाखा-मार्ग से है जो राजपथ से जुड़ता है। माननीय सदस्य इस मार्ग के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस समय हमारा राजपथ संख्या ४७क से कोई सम्बन्ध नहीं। प्रश्न केवल यह है कि इसे जोड़ा जाये अथवा नहीं।

†श्री कोडियान : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुधार कार्य के अन्तर्गत इस सड़क पर नये पुल भी बनाये जायेंगे, और यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी राशि अलग रखी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : जहां तक इस सड़क का सम्बन्ध है, हमारा उद्देश्य यह है कि केरल में पनवेल से चेल्लिसेरी तक डामर (एस्फाल्ट) की सड़क बनाई जाये, जिस पर पुलों का पूरा प्रबन्ध हो ।

†श्री कोडियान : क्या पुलों का निर्माण भी किया जायेगा ?

†श्री राज बहादुर : जी हां, सड़क पर पुलों की पूरी व्यवस्था होगी ।

†श्री शिवनंजप्पा : जहां तक वेस्ट कोस्ट रोड का सम्बन्ध है, मैसूर में इस बारे में क्या प्रगति हो रही है ?

†श्री राज बहादुर : जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है, मैं सड़क की सही लम्बाई तो नहीं बता सकता किन्तु मैं पुलों के निर्माण सम्बन्धी प्रगति की जानकारी दे रहा हूं। मैसूर में अब तक ७ पुल बनाये जा चुके हैं और १० पुल बन रह रहे हैं। इस प्रकार मैसूर में कुल १७ पुल होंगे। मैसूर में इस सड़क के निर्माण के लिये २७४ लाख रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है।

†श्री पुत्तूस : क्या इसका अर्थ यह है कि इस कार्य में नये पुल बनाने का तथा कुछ पुराने पुलों की मरम्मत का काम शामिल नहीं है ?

†श्री राज बहादुर : मैं ने बताया है कि इस सड़क पर पुलों की पूरी व्यवस्था होगी, अर्थात् जिन नदियों अथवा नालों पर पुल नहीं हैं, उन पर पुल बनाये जायेंगे।

अब तक १८ पुलों का निर्माण हो चुका है । ४५ पुलों का निर्माण होना शेष है । इनमें से १८ पर काम हो रहा है और शेष २७ पुल तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये हैं।

†श्री शिवनंजप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि मैसूर में कितने मुख्य पुल बनाये गये हैं ?

†श्री राज बहादुर : मेरा खयाल है कि इनमें से सभी पुल ऐसे हैं जिन पर ५ लाख रुपये से अधिक लागत आयी है, और ये सब ढके हुए हैं।

†श्री जीनचन्द्रन : जिन-जिन राज्यों से यह सड़क गुजरेगी, उन में से प्रत्येक में कितने पुल बनाये जायेंगे ?

†श्री राज बहादुर : मैं ने अभी इस बारे में जानकारी दी है। मैं इसे पुनः दोहरा देता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

पोत इंजीनियर की दुर्घटनावश मृत्यु

†*९७७. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :
श्री साधन गुप्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त के सर्वेक्षण जलयान "गाइड" के पास, जिसमें २२ सितम्बर, १९६० को एक कनिष्ठ पोत इंजीनियर की दुर्घटनावश मत्यु हो गयी

†मूल अंग्रेजी में

थी, नौवहन के उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं था, जो नाविक विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "डैक" के अग्रभाग की सुरक्षा के लिये डबल गार्ड चेन (दोहरी रक्षा-शृंखलाओं)[1] में से, जिनका होना नाविक विशिष्टियों के अनुसार होता है, निचली जंजीर नहीं थी ;

(ग) क्या यह सच है कि जो जंजीर जहाज के साथ लगी हुई थी, वह भी इस्पात की हुक से साथ जड़ी हुई नहीं थी और यह दुघटना इस गार्ड चेन के टूट जाने के कारण हुई ;

(घ) अन्य जहाजों से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से खतरे का संकेत देने के लिये सीटी बजाने के जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, क्या वह भी खराब हो गया था ; और

(ङ) विभागीय जांच को स्वीकार करने के स्थान पर, भारतीय वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम में ऐसी दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये की गयी व्यवस्था के अनुसार नाविक न्यायालय द्वारा जांच किये जाने का आदेश क्यों नहीं दिया गया ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ). सभा-पटल पर एक विवरण [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४] रखा जाता है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में यह बताया गया है कि जहाज को, मरम्मत आदि के पश्चात्, यदि परीक्षण के लिये भी ले जाया जाये तो 'गार्ड चेन' उतार ली जाती है । यह भी कहा गया है कि वे रस्सों से बन्धी होती हैं । क्या यह सच नहीं है कि नियमों में विशिष्ठ रूप से यह बात निर्धारित की गयी है कि गार्ड चेनों को इस्पात से बांधना चाहिये ; और इस रस्से के टूट जाने के कारण ही नवयुवक पोत-इंजीनियर समुद्र में गिर पड़ा और उसकी जान नहीं बचायी जा सकी ?

†श्री राज बहादुर : हमें इस दुर्घटना का बड़ा खेद है । नवयुवक इंजीनियर जल में केवल इसलिये नहीं गिरा कि गार्ड चेन नहीं थी, उत्तर से पता चलेगा कि जब जहाज डाक से आ जा रहा हो या लंगर डाल रहा हो या लंगर खोला जा रहा हो तो इन जंजीरों को उतार दिया जाता है । गार्ड चेन को इसी प्रयोजन से उतार लिया जाता है और इसी उद्देश्य से उनको उतारा गया था । यह ठीक है कि एक सिरे पर 'रोप लैशिंग' थी । दो शिक्षार्थी और नवयुवक पोत इंजीनियर, ये तीनों व्यक्ति, यह देखने के लिये कि अन्दर क्या हो रहा है, नीचे झुके और गिर गये । सारी घटना यह है । उसकी ड्यटी उस समय इंजन-रूम में थी ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि दुर्घटना के पश्चात् भी, तीन संकेत जिनका दिया जाना अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक है, नहीं दिये जा सके क्योंकि वे खराब थे ?

†श्री राज बहादुर : उत्तर में सारी बात बतायी गयी है । आस पास के जहाजों का ध्यान आकृष्ट करने के लिये, 'गाइड' की 'स्टीम-व्हिसल' से सीटी बजायी गयी थी । यह सच है कि कुछ देर के बाद यह सीटी भी खराब हो गयी थी । किन्तु कुछ देर तक यह बजती रही थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Double Guard Chains.

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि इस से खतरे का संकेत देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका । माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि यह सीटी ३ अथवा ४ बार बजानी होती है । किन्तु ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि यह खराब हो गयी थी। अतः आसपास के जहाजों का यान आकृष्ट नहीं किया जा सका ।

†**श्री राज बहादुर** : मुझे प्रविधिक जानकारी नहीं है, किन्तु मुझे अपने नोट से पता चलता है कि यह सीटी यातायात-कार्यों के लिये होती है और इसका काम खतरे का संकेत देना नहीं होता । ऐसी घटनाओं में आवश्यकता इस बात की होती है कि 'लाइफ जैकेट' ले ली जाये और 'लाइफ बोट' को नीचे किया जाये । यह सारी कार्यवाही की गयी थी ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि तैरने वाले पीपे डैक में इधर उधर बिखरे पड़े थे जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें समुद्र में फेंकने में समय लग गया, और बजाय इसके कि उन्हें पोत-इंजीनियर के आगे फेंका जाता, वे उसके पीछे फेंके गये ।

†**श्री राज बहादुर** : विवरण में सारी बातें स्पष्ट रूप से दी हुई हैं। मैंने पूरा ब्यौरा दिया है । मैं दुहराना चाहता हूं कि तैरने वाले पीपों को नदी में तत्क्षण फेंक दिया गया था और दो मिनट के अन्दर-अन्दर नाव भी डाल दी गयी थी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : विवरण से पता चलता है कि दुर्घटना होने का कारण यह था कि तीन व्यक्ति, जिनमें मृत व्यक्ति भी था, गार्ड चेन के सहारे झुक रहे थे, जिससे रस्सी टूट गयी । इस बात का निश्चय किस प्रकार किया गया कि वे रस्सी के सहारे खड़े थे ? अथवा क्या सचाई यह है कि रस्सी अपने आप ही टूट गयी ?

†**श्री राज बहादुर** : इस बात का पता उन लोगों की गवाही से लगा है, जो मौके पर वहीं थे ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पोत इंजीनियर के पिता तथा अन्य मित्रों ने विभागीय जांच अथवा अन्य किसी भी जांच में गवाही देने को कहा था, किन्तु उन्हें इसके लिये नहीं बुलाया गया ?

†**श्री राज बहादुर** : सामान्यतः ऐसे मामलों की जांच सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अन्तर्देशीय पोत अधिनियम के अधीन करवाई जाती है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, पत्तन आयुक्त ने जांच करवा ली है । जहां तक पोत इंजीनियर के पिता का सम्बन्ध है उन्हें ४५०० रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया है और उनके दो लड़कों को विशेष मामले के तौर पर नियमों में ढील करने के नौकरी दी गयी है ; एक को.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या पोत इंजीनियर के पिता की गवाही ली गयी थी, जबकि उन्होंने गवाही देने का प्रस्ताव किया था ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैं ने कहा है, यह जांच राज्य सरकार द्वारा करवाई गयी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विभागीय जांच में ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे इसकी जानकारी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में जल की उपलब्धता

†*९७८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के खुश्क इलाकों में भूमिगत पानी मिलने की क्या सम्भावना है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या अन्वेषण कार्य किया गया है और इस कार्य को किस प्रकार तेज करने का विचार है ; और

(ग) भूमिगत जल को उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यक्रम रखा गया है और क्या व्यवस्था की गयी है ?

†कृषि उपमंत्री (**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**) : (क) इस समय कोई निश्चित उत्तर देना समय से पहले होगा, क्योंकि अभी राजस्थान में भूमिगत पानी सम्बन्धी जांच का कार्य समाप्त नहीं हुआ ।

(ख) अन्वेषणात्मक खुदाई की गयी थी । सब से पहले जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और सीकर जिलों के दस स्थानों पर खुदाई की गयी । अब जैसलमेर और बाड़मेर के १५ अन्य स्थानों पर खुदाई की जा रही है । जैसलमेर जिले में चन्दन नामक स्थान के आसपास दस और नलकूप लगाने का विचार है । राजस्थान नहर क्षेत्र में भी बारह स्थानों पर अन्वेषण किया जा रहा है ।

(ग) राज्य सरकार की तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये राज्य की ओर से नलकूप लगाने और गैर-सरकारी लोगों को नलकूप लगाने के लिये ऋण देने के वास्ते, ६५ लाख रुपये की व्यवस्था करने का विचार है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान सरकार का अगले २ वर्षों के लिये क्या कार्यक्रम है ? इस सम्बन्ध में उन की अवश्यकतायें क्या हैं और उन्हें कहां तक पूरा किया जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उनका विचार अगले दो वर्षों में राजस्थान नहर क्षेत्र में १० कुएं खोदने का है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित ५ कुएं खोदने का है, जिनकी खुदाई योजनाकाल में नहीं की जा सकी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न यह है। राजस्थान सरकार ने इसके लिये क्या कार्यक्रम क्रियान्वित करने का सुझाव दिया है ? क्या उससे यह नहीं कहा कि यह कार्य व्यापक आधार पर होना चाहिये और उन्होंने बहुत से बर्मों की मांग की है ? इस सम्बन्ध में उनकी जरूरत कितनी है और उसे कहां तक पूरा किया जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जहां पर अन्वेषणात्मक परियोजना में सफलता मिली है, जैसे कि चन्दन क्षेत्र में, वहां पर राजस्थान सरकार का विचार अन्य कुओं की खुदाई करने का है और इसके लिये राजस्थान सरकार ने ६५ लाख रुपये की व्यवस्था की है । जहां तक अन्वेषणात्मक नलकूपों का सम्बन्ध है उन्होंने राजस्थान नहर क्षेत्र और चुरू और सीकर नामक दो जिलों के लिये १२ कार्यक्रमों का सुझाव दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि विशेषत: बाड़मेर जिले में, जहां पर पानी की सप्लाई की और कोई व्यवस्था नहीं है, जल-अन्वेषण कार्य में सफलता मिली है और राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बाड़मेर क्षेत्र में काम को बढ़ाने का अनुरोध किया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : बाड़मेर जिले में हमें सफलता नहीं मिली । केवल जैसलमेर जिले में हमें सफलता प्राप्त हुई है । चन्दन नामक क्षेत्र में खोदे गये कुओं में अत्यन्त सफलता मिली है । वहां से प्रति घंटा ५१,००० गैलन जल प्राप्त हुआ है । राजस्थान सरकार का बाड़मेर क्षेत्र के लिये कोई अतिरिक्त कार्यक्रम नहीं है ।

†**श्री अमजद अली** : कुछ समय पहले राजस्थान ने 'पानीवाला महाराज' की सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा था । क्या मैं जान सकता हूं कि आयकर की अत्यधिक मांग के कारण 'पानीवाला महाराज' की सेवाओं को छोड़ दिया गया ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जब श्री किदवाई ने काम अपने हाथ में लिया तो सबसे पहले उन्होंने 'पानीवाला महाराज' को बर्खास्त किया । उसके बाद से पानीवाला महाराज के स्थान पर अन्वेषणात्मक नलकूपों से काम लिया जा रहा है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या सरकार सफल कुओं की परिभाषा पर, विशेषकर अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में पुन: विचार करेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम इस बात पर विचार कर रहे हैं । इस समय यदि किसी कुएं से एक घंटे में २०,००० गैलन पानी नहीं निकलता तो हम उसे लाभप्रद नहीं मानते । किन्तु महाराष्ट्र, राजस्थान और रायलसीमा के कुछ खुश्क क्षेत्रों में पानी की कमी को देखते हुए, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या इस सीमा को १५,००० गैलन प्रति घंटा तक लाया जा सकता है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप**: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार उस विधि का अवलम्बन करेगी जिसे ईरान में अपनाया जा रहा है ? वहां पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कुएं खोद दिये जाते हैं और नीचे से उन्हें एक नाली द्वारा मिला दिया जाता है ताकि वाष्पीकरण न हो ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : पहले हम इस पद्धति का परिक्षण करलें इसके बाद हम दूसरे तरीके भी आजमा लेंगे । हम चाहते हैं कि पहले यह अन्वेषण कार्य पूरा हो जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि राजस्थान का केवल एक साधारण अनुरोध यह है कि बर्मों की संख्या २ से बढ़ा कर ६ कर दी जाये । क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कर सकेगी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमारे पास भी राज्य सरकार के समान बर्मों की कमी है । हम अधिक बर्मे प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण हमें उतने sigs. नहीं मिल रहे जितने हम चाहते हैं । राजस्थान आन्ध्र प्रदेश, मद्रास तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी इनकी मांग की है ।

†**श्री दामानी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह योजना राजस्थान सरकार की सलाह से बनायी गई थी अथवा केन्द्रीय सरकार ने स्वयं ही तैयार की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ओ० वें० कृष्णप्पा : जांच कार्य हम करते हैं। किन्तु स्थानों के बारे में सुझाव राजस्थान के मुख्य इंजीनियर और राजस्थान के विशेषज्ञों की एक समिति देती है। स्थानों के चुनाव के बारे में हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, यह कार्य पूर्णतया राज्य सरकार के जिम्मे है।

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

लाओस की स्थिति

†अल्पसूचना प्रश्न संख्या ४. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हेम बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर वियतनाम की सरकार ने भारत सरकार से लाओस में विदेशी हस्तक्षेप रोकने के लिये अविलम्ब कार्यवाही करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख) जी हां, लोकतंत्रीय वियतनाम गणराज्य ने भारत सरकार का ध्यान लाओस की खतरनाक स्थिति की ओर आकृष्ट किया है। भारत सरकार ने जनेवा सम्मेलन दो सह-सभापतियों, अर्थात् ब्रिटेन के विदेश मंत्री तथा सोवियत रूस के विदेश मंत्री का ध्यान इस सन्देश और लाओस की खतरनाक स्थिति की ओर दिलाया है। सरकार ने सुझाव दिया है कि लाओस आयोग, जिसे अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया गया था, की बैठक पुनः बुलानी चाहिये ताकि इससे स्थिति को सामान्य लाने में कुछ सहायता मिल सके।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय लाओस में तीन सरकारें हैं जो वहां की वैध सरकार होने का दावा करती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि हम इनमें से किस सरकार को मान्यता प्रदान करते हैं ?

†श्री सादत अली खां : सौवन्ना फौमा सरकार को, जो एक तरह से मध्यवर्ती सरकार है।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह आवश्यक है कि लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण तथा नियंत्रण आयोग के सक्रिय होने से पूर्व लाओस सरकार की अनुमति ली जाये ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किसी भी आयोग के लिए किसी भी स्थान पर वहां की सरकार के सहयोग के बिना कार्य करना सरल बात नहीं है। यह तात्विक अनुमति का प्रश्न नहीं है; यह तो एक व्यावहारिक प्रश्न है। यह तो ठीक है कि आयोग लाओस की सरकार के प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य नहीं करता, यह तो पांच वर्ष पहले हुये जनेवा सम्मेलन के प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य करता है। यह कहना सही नहीं होगा कि लाओस की सरकार इस आयोग को आदेश दे सकती है; किन्तु वास्तविकता यह है कि यदि यह इस आयोग के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करे, तो आयोग के लिये कार्य करना कठिन हो जायेगा। पिछले कुछ समय से आयोग काम नहीं कर रहा, क्योंकि लाओस की सरकार यह चाहती थी कि इसका विघटन कर

---

†मूल अंग्रेजी में

दिया जाये और इस कमीशन का एक सदस्य इसी आधार पर इस आयोग से हट गया कि लाओस की सरकार इस आयोग को नहीं चाहती। अन्ततोगत्वा, यह एक प्रकार से मुअतल सा रहा किन्तु इसका अस्तित्व अभी भी है और इसे पुनः बुलाया जा सकता है। किन्तु इसके साथ साथ, इसका अस्तित्व केवल हवा में ही है। एक सदस्य—हमारा सदस्य—इस आयोग का सदस्य है; उसकी नियुक्ति की जाती है, यद्यपि वह वहां नहीं है। पोलैंड का प्रतिनिधि भी उपलब्ध हो सकता है। कनाडा की सरकार को अब एक सदस्य की नियुक्ति करनी है।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ब्रिटिश प्रधान मंत्री से, जिन्हें यह मामला निर्दिष्ट किया गया था कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं; अभी तक नहीं।

†श्री वाजपेयी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार लाओस सरकार की इस बात से सहमत है कि लाओस में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है; और यदि हां, तो लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के विरुद्ध कौन से देश हस्तक्षेप कर रहे हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य लाओस की किस सरकार का ज़िकर कर रहे हैं ?

†श्री वाजपेयी : उस सरकार का, जिसने भारत सरकार को लिखा है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछले कुछ समय से वहां पर विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है।

†डा० राम सुभग सिंह : इस बात को देखते हुए, कि विश्व के बड़े देश लाओस का भाग्य निर्धारित करने में सक्रिय दिलचस्पी ले रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण आयोग, यदि वह चाहे भी तो, घटनाचक्र को बदल सकता है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : घटनाचक्र में परिवर्तन करना तो एक बहुत बड़ी बात है। किन्तु आयोग के सदस्य वहां मौजूद नहीं हैं और वे यह भी नहीं देख सकते कि इस समय वहां पर क्या हो रहा है ?

†श्री जोकीम आल्वा : क्या हमने जनेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का ध्यान बार बार इस बात की ओर दिलाया है कि समझौते की भावना का उल्लंघन किया गया है कि वहां पर स्वतन्त्ररूप से निर्वाचन नहीं हुआ ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह एक बिल्कुल दूसरा मामला है, यह अभी उत्पन्न नहीं हुआ।

†श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में पोलैंड से, जो आयोग का दूसरा सदस्य है, सलाह की गई है और क्या पोलैंड ने भी कमीशन के सह-सभापति को लिखा है कि आयोग का कार्य पुनः शुरू किया जाये ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस बात का पता नहीं। किन्तु मेरा विचार है कि पोलैंड इस बात के विरोध में नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या उन्होंने सह-सभापति को कुछ लिखा है अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सोवियत रूस की सरकार से कोई सूचना मिली है और यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की बैठक शीघ्र होने की कोई सम्भावना है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं कह सकता कि इसकी सम्भावना है अथवा नहीं। पहली बात यह है कि आयोग के दोनों सह-सभापति इस विषय पर अपनी राय प्रकट करें और दूसरी बात यह है कि वे यह कह सकते हैं कि लाओस सरकार को इस बात से सहमत होना चाहिये। वस्तुतः कनाडा सरकार ने यह प्रकट किया है कि वह इस आयोग के काम में भाग लेने को तैयार है बशर्ते कि लाओस की सरकार भी इससे सहमत हो। इस समय यह कठिनाई है। मैं नहीं जानता कि इस समय वहां कौन सी सरकार है और कौन सी सरकार जारी रहेगी ?

†श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि समझौते के वर्तमान प्रयत्नों में सफलता न मिली तो क्या सरकार का विचार इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के चालू अधिवेशन में उठाने का है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किसी भी समय इस मामले को हाथ में नहीं लिया। इसका सम्बन्ध जनेवा सम्मेलन से है। यह प्रश्न कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सामने पेश नहीं हुआ, यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा को इस बारे में जानकारी दी जाती रही है किन्तु उसने इस मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं किया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भूतपूर्व रियासतों के शासक जिनके पास जहाज और हवाई जहाज हैं

*९७३. श्री डाभर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भूतपूर्व रियासत के शासक के पास अपना जहाजी बेड़ा या हवाई जहाज हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). किसी साबिक हुक्मरां के नाम पानी का जहाज रजिस्टर नहीं हैं। एक साबिक हुक्मरां के नाम नोनशिड्यूल हवाई जहाज का इजाज़तनामा जारी है और उसकी कंपनी दरभंगा एवियेशन के पास ३ डकोटा और २ बीचक्राफ्ट बोनांजा हैं।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†*९७९. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कलकत्ता क्षेत्र के कार्यालय में अप्रैल, १९६० में ४०,००० रुपये का ग़बन हो गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी ;

(ग) इसके लिये किन व्यक्तियों को जिम्मेवार पाया गया ; और

(घ) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने बताया है कि मार्च, १९६० में उनके कलकत्ता कार्यालय में मुख्य खजांची ने ३५,००० रुपये का अस्थायी तौर पर गबन कर लिया था जिसने बाद में अगस्त, १९६० के अन्त में रकम दे दी।

(ख) से (घ) रुपये के गबन के बारे में अक्तूबर, १९६० में पता चला । की गई जांच से पता चला कि यह अस्थायी गबन १.४७ लाख रुपये के गबन से सम्बन्धित है जिसके बारे में १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ के उत्तर में बताया जा चुका है।

तार सन्देश

†*९८०. श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के केन्द्रीय तारघर से प्रतिदिन बहुत से तार सन्देशों को डाक द्वारा भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से नवम्बर, १९६० तक की अवधि में कितने सन्देश तार की बजाय डाक द्वारा भेजे गये ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) प्रति दिन नहीं परन्तु कभी कभी ।

(ख) नई दिल्ली के केन्द्रीय तारघर से ९५२७९ तार डाक द्वारा भेजे गये और ७८९२८ तार डाक द्वारा आये । ये आंकड़े कुल यातायात के लगभग ०.९ प्रतिशत हैं ।

(ग) सामान्य संचार लाइनों में अन्तर्बाधा होने और जुलाई, १९६० में सामान्य हड़ताल के कारण ।

रेलवे के लिये तीसरी योजना का परिव्यय

†*९८१. श्री तंगामणि : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के योजना परिव्यय में वृद्धि करने की अस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है ;

(ग) इसमें दक्षिण रेलवे का भाग कितना होगा ; और

(घ) तीसरी योजना की अवधि में दक्षिण रेलवे पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :(क) और (ख). यह मामला योजना आयोग के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ) योजना परिव्यय को योजना में व्यय के मुख्य मदों के अनुसार वितरित किया जाता है और रेलवे-वार नहीं।

त्रिपुरा में कृषि का विकास

†*९८२. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में त्रिपुरा में ष के विकास के लिए व्यय की जाने वाली ३९ लाख रुपये की कुल अनुमानित राशि में से ४[1] वर्षों में केवल १६ लाख रुपये व्यय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पूरी रकम खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं और इससे त्रिपुरा में कृषि के विकास को कितनी हानि पहुंची है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** (क) जी, नहीं। ४[1]/२ वर्षों में लगभग २६.६८ लाख रुपये व्यय किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संयुक्त अरब गणराज्य से चावल की खरीद

†*९८३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कोरटकर :
श्री आसर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत को और चावल देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, यह जानकारी देना लोक-हित में नहीं है।

गाड़ियों की टक्कर

†*९८४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री सुबिमन घोष :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के निकट उल्टाडांगा नामक स्टेशन पर सियालदह जाने वाली एक स्थानीय गाड़ी के इंजन के सियालदह जाने वाली एक अन्य गाड़ी के पिछले डिब्बे से टकरा जाने के परिणामस्वरूप २८ यात्री घायल हो गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है ;

(ग) कितने व्यक्तियों को सख्त चोटें आयी हैं ; और

(घ) क्या उन्हें कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ४ दिसम्बर, १९६० की उल्टाडांगा रोड स्टेशन पर हुई दुर्घटना में ३४ व्यक्ति घायल हुए।

(ख) जी, हां ।

(ग) चार ।

(घ) जी, अभी नहीं।

त्रिपुरा में चावल और धान का स्टाक

†*९८५. श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के सरकारी गोदामों में कुल कितना चावल और धान जमा है ;

(ख) क्या यह अनाज बड़ी जल्दी जल्दी खराब हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सरकारी स्टाक का उपयोग, इसके मनुष्यों द्वारा उपभोग किये जाने के उपयुक्त न रहने से पहले ही करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क)

चावल	११,१४९ मीट्रिक टन
धान	९५९ मीट्रिक टन

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बरसोई-सिलीगुड़ी लाइन

†*९८६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरसोई से सिलीगुड़ी तक बड़ी लाइन के बनाने का कार्य कब समाप्त होगा ;

(ख) क्या तिलडांगा-फर्रका बड़ी लाइन पर निकट भविष्य में यात्री गाड़ियां चलानी शुरू कर दी जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इसके अगले वर्ष किसी समय पूरा होने की सम्भावना है जो कि स्थायी रूप से सामान मिलने पर निर्भर है।

(ख) और (ग). अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के निकट रेल दुर्घटनायें

†*९८७. श्री राम शरण :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शनिवार, ३ दिसम्बर, १९६० की रात को १४ डाउन अपर इंडिया एक्स्प्रेस दिल्ली स्टेशन से ८ बज कर १० मिनट पर प्रस्थान करने के पश्चात् दिल्ली से पांच मील दूर एक ट्रक से टकरा गयी ;

(ख) क्या टूटा हुआ ट्रक २०० गज तक साथ ही घिसटता रहा और उससे रेल के दोनों मार्ग अवरुद्ध हो गये ;

(ग) क्या सहारनपुर जाने वाली गाड़ी, जो दुर्घटना-स्थल के नजदीक आ गयी थी समय पर ही रोक ली गई और टक्कर बच गई ;

(घ) क्या दिल्ली से चलने वाली अथवा वहां पर पहुंचने वाली कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों को चार घंटे से भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी, और

(ङ) दिल्ली से इतने नजदीक स्थान पर लाइन को साफ करने में पांच घंटे कैसे लग गये ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (घ). जी, हां ।

(ङ) लाइन को साफ करने में लगभग चार घंटे लगे । साफ करने में जो समय लगा, उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती थी ।

मध्य प्रदेश में गेहूं का स्टाक

†*९८८. श्री महन्ती :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा था कि वह उसका गेहूं का स्टाक उठा ले ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). जी, नहीं । मध्य प्रदेश सरकार ने केवल गेहूं के स्टाक को बेचने के बारे में भारत सरकार की सहायता मांगी थी । इस समय यह मामला विचाराधीन है ।

टेलीफोन करने के लिये टोकन

†*९८९. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेलीफोन करने के लिए टोकनों का निर्माण करने के प्रश्न के बारे में वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस बीच फैसला कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया है।

दिल्ली में नया अस्पताल

*९९०. श्री भक्त दर्शन :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २ अगस्त १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था में ६५० बिस्तर वाले एक अस्पताल की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के निर्माण कार्य को संस्था की भवन समिति द्वारा मान्य एक ठेकेदार को शीघ्र ही सौंप दिये जाने की आशा है। ६५० बिस्तरों वाले अस्पताल तथा सम्बन्धित भवनों के निर्माण के प्राक्कलन विचाराधीन हैं।

टेलीफोन बिलों का भुगतान

†*९९१. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में राज्य सरकार के २१ संस्थानों ने, बार बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, अपने टेलीफोन बिल अदा नहीं किये ;

(ख) क्या उनके टेलीफोन कनेक्शनों को काट देना पड़ा था ; और

(ग) क्या देय रकमें इस बीच चुका दी गयी हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां और टेलीफोन फिर लगा दिये गये हैं।

शहरों के लिये वृहद् योजनायें

†*९९२. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सभी शहरों के बारे में वृहद् योजनाएं तैयार कराने की कोई सलाह दी है ;

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है और इसके अनुसरण में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या वृहद् योजनाएं तैयार करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्रत्येक बात के बारे में ब्यौरेवार स्थिति बतायी गयी है।

विवरण

(क) नगरों और कस्बों में बृहद् योजनाएं तैयार कराने की वांछनीयता को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बताया गया है जिसमें देश में शहरी विकास के भावी कार्यक्रम की योजना के महत्व पर जोर डाला गया है और प्रत्येक राज्य को सभी महत्वपूर्ण कस्बों के लिये बृहद् योजनाओं के सर्वेक्षण और तैयार करने के लिये निश्चित कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया गया है। योजना में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, पूना आदि जैसे शहरों पर शीघ्र ध्यान दिये जाने का भी सुझाव दिया गया है। ७ नवम्बर, १९६० को बंगलौर में हुए नगर और ग्राम आयोजन मंत्रियों के सम्मेलन में योजना में उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में नगरों और कस्बों के लिये योजनाएं तैयार करने की वांछनीयता को विभिन्न राज्यों को बताया गया।

(ख) सभी प्रमुख नगरों के लिये बृहद् योजनाओं के बारे में सिफारिश को सामान्यतः सभी राज्य सरकारों ने मंजूर कर लिया है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि लगभग सभी राज्य बड़े शहरों के लिये बृहद योजनायें तैयार करने का काम आरम्भ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस बारे में राज्यों द्वारा की गयी प्रगति का नगर और ग्राम्य आयोजन सम्बन्धी राज्य मंत्रियों के उपरोक्त सम्मेलन में पुनर्विलोकन किया गया। अब यह राज्य सरकारों पर है कि वे अपनी अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में आवश्यक उपबन्ध करें।

(ग) सभी नगरों के लिए बृहद् योजना को तैयार करने का कार्य आरम्भ करने के लिये देश में पर्याप्त संस्था में कुशल व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। इस समय कस्बा और नगर आयोजन में प्रशिक्षण देने के लिये केवल तीन स्कूल हैं। तथापि वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय इन प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है ताकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति वर्ष १०० कुशल नगर आयोजक तैयार किये जा सकें। प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है और उनसे वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं और नयी सुविधाओं से पूरा लाभ उठाने की प्रार्थना की गयी है।

राज्य परिवहन आयुक्तों का सम्मेलन

†*३९३. **श्री तंगामणि** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ और २७ नवम्बर, १९६० को बम्बई में राज्यों के परिवहन आयुक्तों के सम्मेलन में परिवहन संचालकों के लिए ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने का फैसला किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रस्थापना है ; और

(ग) राष्ट्रीकृत और गैर-सरकारी परिवहन संचालकों को क्या सहायता दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). गैर-सरकारी क्षेत्र में परिवहन संचालकों को मोटर गाड़ियां खरीदने के लिये ऋण सुविधायें देने के प्रश्न पर नवम्बर, १९६० में बम्बई में हुए राज्य परिवहन आयुक्तों/नियंत्रकों के सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन में सिफारिश की गयी कि भारत सरकार राज्य परिवहन वित्त निगम अथवा ऐसी प्रकार की एजेन्सियां स्थापित करने की योजना बनाये और वह विचार के लिये राज्य सरकारों को भेजी जायें। आवश्यक योजना तैयार करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में पागल कुत्ते के काटे के इलाज की सुविधायें

†*९९४. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिल्ली में पागल कुत्ते के काटे के उपचार की सुविधाओं के अभाव की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अस्पतालों में पागल कुत्ते के काटे के उपचार की समुचित और यथेष्ट सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) इस बारे में सरकार ने समाचार पत्रों में खबर देखी है।

(ख) दिल्ली और नयी दिल्ली में तीन अस्पताल और चार कुत्ते के काटे के इलाज के केन्द्र हैं जहां कुत्ते के काटे के इलाज की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं।

हिसार में रेलवे यात्रियों में झगड़ा

†*९९५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रविवार, २० नवम्बर, १९६० की रात को बीकानेर-हिसार सैक्शन पर चलने वाली एक गाड़ी में ६० अकाली यात्रियों के एक दल और अन्य यात्रियों के बीच हिसार रेलवे स्टेशन पर झगड़ा हो जाने से अट्ठारह यात्री घायल हो गये ;

(ख) इस झगड़े के क्या कारण थे ;

(ग) प्रत्येक पक्ष के कितने यात्री घायल हुए ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी, हां। २० नवम्बर की रात को एक बारात और कुछ अकालियों को (उसी दिन जेल से छोड़े गये) एक यात्री गाड़ी से हिसार से जाना था जो कि रात को २२-३० बजे चलती थी। अकालियों ने जिन्होंने दो डिब्बों पर कब्जा कर रखा था, एक दिब्बे में जिसमें काफी जगह खाली थी, बारात को उसमें घुसने से रोका इससे आपस में झगड़ा हो गया जिसके परिणामस्वरूप दोनों दलों के बीस व्यक्तियों को हल्की चोटें आयीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बारात के ५ सदस्य और १५ अकाली।

(घ) इस मामले में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :—

(१) घटनास्थल पर मौजूद सरकारी रेलवे पुलिस और असैनिक पुलिस ने ६ अकालियों को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १२० और भारतीय दंड क्रिया की धारा १४८/१४९/३२४ और ३२५ के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया।

(२) प्रश्नाधीन गाड़ी के साथ रेलवे पुलिस बल और सरकारी रेलवे पुलिस के व्यक्ति साथ गये।

(३) आवश्यक पूर्वोपाय अपनाने के लिये भविष्य में अकालियों को छोड़ने के लिये जिला और जेल अधिकारियों से पूर्व परामर्श लेने की व्यवस्था भी की गयी है।

असैनिक विमानचालक

†*९९६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७० असैनिक विमान चालक, जिन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था, अभी तक बेरोजगार हैं ;

(ख) कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक विमान चालक के प्रशिक्षण पर ७५,००० रु० व्यय किया था ; और

(घ) इन व्यक्तियों को भारतीय वायुसेना में नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) ३०-९-१९६० को लगभग ३४ विमानचालक बेरोजगार थे जिनके पास चालू लाईसेंस थे।

(ख) १७४.

(ग) वर्ष १९५७ से १९५९ तक विमान चालकों के पाठ्यक्रम के लिये दो वर्ष के प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक प्रशिक्षार्थी पर सरकार द्वारा लगभग ४०,००० रुपये खर्च किया गया।

(घ) यद्यपि सरकार प्रशिक्षार्थियों को काम दिलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, कुछ बेरोजगार विमानचालकों को काम पर लगाने का प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्रालय को विचारार्थ भेजा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण-पूर्व रेलवे के निर्माण-कार्य की जांच

†*९९७. { **राम कृष्ण गुप्त :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **रेलवे** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे के उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) और एक जिला इंजीनियर की देखरेख में किये जा रहे एक निर्माण-कार्य की, जो बाद में मानक विशिष्टियों से निचले स्तर का पाया गया था, जांच के बारे म विशेष पुलिस संस्थान की रिपोर्ट पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी, हां। मुख्य इंजीनियर को और जिला इंजीनियर को मानक विशिष्टियों से निचले स्तर के लिये जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है क्योंकि इस पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति मिली हुई थी।

मनमाड स्टेशन पर पोस्टर

†१९५९. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के मनमाड स्टेशन पर कितने पोस्टरों को रजिस्टर किया गया ;

(ख) वर्ष १९५९–६० में उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १०० ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]**

अपर इंडिया एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

†१९६०. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १० सितम्बर, १९६० को १३ अप अपर इंडिया एक्सप्रेस का एक डिब्बा पूर्व रेलवे के बरूना और बक्सर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गया, तो १३ व्यक्तियों को चोटें आयीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : ९ सितम्बर, १९६० को बरूना और बक्सर स्टेशनों के बीच १३ अप अपर इंडिया एक्सप्रेस के एक डिब्बे के पटरी से उतर जाने से किसी को कोई चोट नहीं आई ।

रेलवे मजिस्ट्रेट

†१९६१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम श्रेणी के अधिकारप्राप्त सेवा-निवृत्त डिप्टी मजिस्ट्रेट और लोअर मजिस्ट्रेट पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोन में ऐसे कितने मजिस्ट्रेट हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नये मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के बजाय उन्हीं मजिस्ट्रेटों को उच्च वेतन पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में एक और पूर्व रेलवे में चार ।

(ग) रेलवे मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है जिन्होंने उनको छोड़ना कठिन समझा है ।

क्विलोन नगर में रलवे क्रासिंग

†१९६२. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री कोडियान :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्विलोन शहर (दक्षिण रेलवे) के मुख्य स्थानों में चार लेविल क्रासिंग होने से उत्पन्न यातायात की कठिनाइयों की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) क्या उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार की कोई प्रस्थापना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) संबंधित सड़क प्राधिकार/राज्य सरकार से विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिन्होंने उस कार्य के बारे में लागत में अपना अंश देना है, लेविल क्रासिंग को ऊपरी/निचले पुलों में बदलने की योजना है । अभी तक केरल सरकार ने इन चार लेविल क्रासिंगों में से केवल एक को, जहां यातायात बहुत अधिक है, ऊपरी पुल में बदलने की सिफारिश की है । इस ऊपरी पुल की योजना तैयार कर ली गयी है । और उसकी राज्य सरकार परीक्षा कर रही है और जैसे ही ये स्वीकृत हो जायेंगे, कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

अन्य तीन लेविल क्रासिंगों पर सड़क यातायात बहुत थोड़े समय के लिये रोका जाता है ।

आंध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखाने

†१९६३. **श्री रारी रेड्डी** : **क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सहकारी क्षेत्र में कितने चीनी कारखाने स्थापित किये जाने की आशा है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक की क्या क्षमता है ;

(ग) उनमें से प्रत्येक की अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) ये कारखाने कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आंध्र प्रदेश में सात सहकारी चीनी कारखाने स्थापित किये जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है। जिसमें ब्यौरेवार जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]**

आन्ध्र प्रदेश में 'वशिष्ठ' नदी पर पुल

†१९६४. **श्री रामी रेड्डी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वशिष्ठ नदी पर पुल बनाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) पुल पर निर्माण-कार्य कब आरम्भ हुआ ;

(ग) यह कार्य कब पूरा होने की आशा है ;

(घ) जब यह मूलतः मंजूर किया गया था, तो निर्माण की प्राक्कलित लागत क्या थी ;

(ङ) क्या मंजूरी के बाद प्राक्कलनों में संशोधन किया गया है ;

(च) यदि हां, तो संशोधित प्राक्कलन क्या हैं ;

(छ) प्राक्कलनों में संशोधन के क्या कारण हैं ;

(ज) यह योजना किस एजेन्सी के जरिये कार्यान्वित की जा रही है ; और

(झ) क्या व्यय में केन्द्रीय और राज्य--दोनों सरकारें अंशदान देंगी और यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक कितना कितना अंश देगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). यह कार्य शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की आशा है।

(ग) इसके शुरू होने के ३ वर्ष के भीतर।

(घ) ९४·१९ लाख रुपये ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) और (छ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ज) यह कार्य आंध्र प्रदेश लोक-कर्म विभाग द्वारा ठेके पर किया जायेगा।

(झ) जी हां। भारत सरकार और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार व्यय को ७:१ के अनुपात में वहन करेंगी ।

राल के कारखाने

†१९६५. **श्री हेम राज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में राल के कम संभरण को ध्यान में रखते हुये सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में राल-उत्पादन क्षेत्रों में राल के और कारखाने स्थापित करने की प्रस्थापना है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : तृतीय योजना काल में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में राल के कारखाने स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है। ऐसे कारखानों की स्थापना का कार्य राज्य सरकारों से संबंधित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में उत्पादित राल

†१९६६. **श्री हेमराज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२ से १९६० तक की अवधि में अब तक हिमाचल प्रदेश में जिले-वार और वर्ष-वार कितना राल तैयार किया गया ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमख)** : जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मुगलसराय स्टेशन पर शिकायतें

†१९६७. **श्री सरजू पांडे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में मुगल सराय जंक्शन स्टेशन पर शिकायत पुस्तक में कितनी और किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की गयी थीं ; और

(ख) उनके संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(१) १ अप्रैल, १९५९ से ३० सितम्बर, १९६० तक ११६ शिकायतें दर्ज की गयी थीं । उनका ब्योरा इस प्रकार से है :—

	शिकायतें
(१) अशिष्टाचार	१७
(२) रिशवत और भ्रष्टाचार	३
(३) वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा अनियमित कार्य—जैसे कि टिकटों की खिड़कियों को देर से खोलना, अपने कार्य से अनुपस्थित होना, माल को बुक करने से इन्कार करना । .	३२
(४) नियमित रेल गाड़ी सेवा . . .	१
(५) मेकेनिकल त्रुटियों जैसे कि पंखों और रोशनी का खराब हो जाना	३
(६) असन्तोषजनक योजना व्यवस्था . .	३०
(७) सुविधाओं की कमी	१२
(८) विविध शिकायत . .	१२
(९) लाइसेंस प्राप्त पोर्टरों के विरुद्ध शिकायतें	६
कुल . .	११६

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन त्रुटियों को दूर कर देने के संबंध में कार्यवाही की गयी है और दोषी कर्मचारियों को उचित दंड दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में मुख्य सड़कें[1]

†१९६८. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की किन्हीं मुख्य सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ की सूची में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजनाकाल में उन सड़कों के संधारण पर कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित मुख्य सड़कों को राष्ट्रीय राजपथों में मान लिया गया है :—

(१) दिल्ली–गाजियाबाद, मुरादाबाद–बरेली–लखनऊ रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २४)।

(२) लखनऊ–फैजाबाद–गोरखपुर रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८ का भाग)।

(३) आगरा–ग्वालियर सेक्शन (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३ का एक भाग)।

(४) लखनऊ–कानपुर–झांसी रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २५ का एक भाग)।

(५) दिल्ली–आगरा–शिकोहाबाद–कानपुर–इलाहाबाद– वाराणसी से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २ का भाग)।

(६) गोरखपुर–गाजियाबाद–वाराणसी रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २९)।

(७) मिर्जापुर–रीवा रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७)।

(८) इलाहाबाद–रीवा रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २७)।

(९) झांसी–सागर रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६)।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रत्येक वर्ष में इन सड़कों के संधारण पर निम्नलिखित राशियां खर्च की गयी थीं :—

वर्ष	राशि
	लाख रुपये
१९५६–५७ . .	५५·७६
१९५७–५८ . . .	४८·१९
१९५८–५९ .	५०·४०
१९५९–६० . .	५१·४३
१९६०–६१	३७·६०

†मूल अंग्रेजी में

[1]Trunk Roads.

उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

†१९६९. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कोई नयी रेलवे लाइन बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन नयी रेलवे लाइनों के संबंध में सुझाव दिया गया है ; और

(ग) क्या तृतीय योजना काल में इन में से किसी लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के संबंध में उत्तर प्रदेश से अभी सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इंजन-डिब्बे

†१९७०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में उत्तर रेलवे की बड़ी तथा मीटर लाइनों के लिये कितने नये इंजन, डिब्बे तथा माल डिब्बे आवंटित किये गये हैं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उत्तर रेलवे की इन लाइनों पर कितने इंजन और डिब्बे आदि चलाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७]**

टेलीफोन के कनेक्शन

†१९७१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बटाला जिला (पंजाब) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं ; और

(ख) इन कनेक्शनों के लिये मंजूरी देने के कार्य को गति देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) १६४ ।

(ख) बटाला के एक्सचेंज की क्षमता को अभी हाल ही में १५० से २०० लाइनों तक बढ़ा दिया गया है और नये कनेक्शन शीघ्र ही दे दिये जायेंगे । इस एक्सचेंज को बढ़ा कर ४०० लाइनों तक कर देने के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमृतसर-पठानकोट रोड

†१९७२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अमृतसर-पठानकोट रोड को चौड़ा कर देने के संबंध में कोई सुझाव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में रेलवे के ऊपरी पुल

†१९७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ और १९६१–६२ में पंजाब में रेलवे के कितने ऊपरी पुल बनाये जा रहे हैं और वे कहां कहां बनाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : यह जानकारी राज्य-वार नहीं अपितु रेलवेवार रखी जाती है ।

बटाला स्टेशन

†१९७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि पंजाब के बटाला स्टेशन के प्लेटफार्मों पर छत लगाने और पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल के विस्तार के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : इस स्टेशन पर केवल एक ही प्लेटफार्म है, इसलिये ऊपरी पुल की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिये उसके विस्तार का भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । जहां तक प्लेटफार्म पर छत लगाने का संबंध है, उस कार्य को १९६२–६३ के कार्यक्रम में सम्मिलित करने का विचार किया गया है, परन्तु ऐसा कार्य धन की उपलब्धि और रेलवे उपभोक्ता सुविधा समिति से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

पुरी में 'गोविन्द द्वादशी' के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्ध

†१९७५. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री सामन्त सिंहार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से इस संबंध में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि पुरी में शीघ्र ही होने वाले गोविन्द द्वादशी स्नान के अवसर पर, जो कि सौ वर्ष के बाद एक बार आता है, पुरी में आने वाले यात्रियों की भीड़ के लिये यात्रा संबंधी उचित प्रबन्ध कर दिये जायें ;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों के पास ये रिपोर्टें पहुंच गयी हैं कि इस अवसर पर दस लाख से भी अधिक यात्री वहां पधारेंगे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे प्राधिकारी इस भीड़भाड़ को सुविधायें देने के लिये पहले ही उपयुक्त कार्यवाहियां कर लेने का विचार रखते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो यात्रियों के आने जाने के संबंध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इंजनों, रेल डिब्बों, लाइन क्षमता और रेल गाड़ियों के स्थान की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये नियमित रेल गाड़ियों में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जायेगी और यदि आवश्यकता समझी गयी तो विशेष गाड़ियां भी चलायी जायेंगी। संबंधित स्टेशनों पर बढ़िया किस्म की स्वच्छता संबंधी व्यवस्था, अतिरिक्त बुकिंग सुविधायें तथा अन्य यात्री सुविधायें भी दी जायेंगी ।

पुरी में गोविन्द द्वादसी के अवसर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी पूर्वोपाय

†१९७६. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि फरवरी, १९६१ में पुरी में मनाये जाने वाले गोविन्द द्वादशी स्नान के अवसर पर बीमारियों की रोक-थाम के लिये वित्तीय सहायता और प्रविधिक सहायता दी जाये ;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों से यात्री यहां आ रहे हैं, अतः क्या राज्य सरकार ने उस अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी विशेष कार्यवाहियों के बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई परामर्श किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्दमान वन विभाग

†१९७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष के लिये अन्दमान वन विभाग को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है :—

(१) सामान्य प्रशासन ;

(२) बस्तियां बसाना और पुनर्वास ; और

(ख) अभी तक कितनी राशि इस्तेमाल की जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). जानकारी निम्नलिखित है :—

	१९६०-६१ के आय-व्ययक में आवंटित राशि	अक्तूबर, १९६ तक इस्तेमाल की जा चुकी राशि
	रुपये	रुपये
१. सामान्य प्रशासन .	१०,०४,०००	५,५०,५०३
२. बस्तियां बसाना . .	९,२५,०००	३,७४,१२७

विशेष—वन विभाग आय-व्ययक में पुनर्वास के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बस्ती बसाने के अन्तर्गत जंगल काटने की व्यवस्था है।

उत्तर रेलवे में लोको वर्कशाप

†१९७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर रेलवे में कुल कितनी लोको वर्कशाप हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्कशाप में कितने मजदूर काम करते हैं ;

(ग) १९६० में प्रत्येक वर्कशाप में कितने इंजनों की मरम्मत की गयी है ; और

(घ) १९६० में प्रत्येक रेलवे वर्कशाप द्वारा (१) प्राइमरी और (२) माध्यमिक शिक्षा पर कुल कितना खर्च किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [देखि परिशिष्ट, ३, अनुबन्ध संख्या ६८]

विभागीय भोजन व्यवस्था

†१९७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में भारतीय रेलों पर विभागीय भोजन व्यवस्था से अभी तक कितना लाभ या हानि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : १९६०-६१ के वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार विभागीय भोजन व्यवस्था से लगभग ३,३६,००० रुपयों की हानि होगी।

चाल वित्तीय वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुये हैं।

स्टेशनों के नामों में परिवर्तन

†१९८०. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में नासिक जिले के पञ्चन स्टेशन के आसपास के निवासिमों की ओर से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि इस स्टेशन का नाम बदल कर इसके स्थान पर कसाबे मण्डवाड नाम रख दिया जाये

†मूल अंग्रेजी में ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस स्टेशन के निकट पजन नाम का कोई गांव या नदी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) नाम को बदलने का कोई विचार नहीं है क्योंकि पश्चिम रेलवे पर माण्वाड नाम का पहले ही एक स्टेशन है और यहां भी वैसा ही नाम रख देने से भ्रम उत्पन्न हो जाने का डर है।

(ग) जी हां। पंझन स्टेशन से ७ मील की दूरी पर पजन नाम की एक नदी है ।

राम गंगा पर नौकाओं का पुल

†१९८१. **श्री राम शरण** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को मुरादाबाद के निकट राम गंगा पर नौकाओं का पुल बनाने की योजना के लिये सरकार से मंजूरी मिल गयी है ;

(ख) क्या इस पुल के बनने की आशा है ; और

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि रेलवे के पुल से नदी को पार करने में जनता को कितनी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं । उस मार्ग के लिये तैयार किये गये प्राक्कलनों को आवश्यक संशोधनों के लिये राज्य के मुख्य इंजीनियर के पास भेज दिया गया है ।

(ख) और (ग). जी हां ।

रेडियो लाइसेंस

†१९८२. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ की तुलना में १९५९-६० में कुल कितने ऐसे रेडियो सेट पाये गये थे जोकि या तो खराब हो गये थे या बेच दिये गये थे ;

(ख) १९५८-५९ की तुलना में १९५९-६० में कितने लाइसेंस धारियों पर अभियोग चलाये गये थे और कितनों को दण्ड दिया गया था ; और

(ग) १९५८-५९ की तुलना में १९५९-६० में ऐसे कितने लाइसेंस धारी हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चला है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क)

१९५९-६०	२४९७३
१९५८-५९	२०३१८

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लाइसेंस धारियों की संख्या :—

(१) जिन पर अभियोग चलाये गये :—

१९५९-६०	५७३
१९५८-५९ . . . , .	७८८

(२) जिन्हें दण्ड दिया गया :—

१९५९-६०	१०४
१९५८-५९	२६९

(३) जुर्माने के रूप में राशि :—

१९५९-६०	८०७९.२५ रुपये
१९५८-५९	११,२४८.०८ रुपये

(ग) १९५९-६०	१९९०७
१९५८-५९	१५१०७

विमानों की खरीद

†१९८३. श्री प्र० गं० देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ८ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे विमान किस-किस फैक्टरी से खरीदे गये थे ; और

(ख) आगामी वर्ष के लिये खरीद सम्बन्धी कार्यक्रम क्या हैं ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) १९५८ और १९५९ में जिन फैक्टरियों से विमान खरीदे गये थे, उनके नाम ये हैं :—

विमान का नाम	फैक्टरी का नाम
१. एक-पाइपर सुपर कब . .	पाइपर एयर क्राफ्ट कारपोरेशन, लॉक हेवन, पेंसिलेनिया, अमरीका ।
२. दो-सुपर कांस्ट्रलेशन .	लॉक हीड एयर क्राफ्ट कारपोरेशन अमरीका
३. पांच-वाइकाऊंट . . .	मेसर्स विकर्स आर्म स्ट्रांग एयर क्राफ्ट लिमिटेड, सुरे, इंगलैंड ।

(ख) केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से १९६० में एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन द्वारा वोइंग एयरप्लेन कम्पनी, सीटल, वाशिंगटन, अमेरिका को एक वोइंग ७०७ जोट एयर

†मूल अंग्रेजी में

क्राफ्ट के लिये और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा रायल नीदरलैंड्स एयर क्राफ्ट फैक्टरी, फॉवर एम्स्टर्डम (हालैंड) को पांच फॉकर एफ-३७ फ्रैंडशिप एयर क्राफ्ट के लिये आर्डर दे दिये गये हैं। वे विमान १९६१ की प्रथम तिमाही में हमें दे दिये जायेंगे।

दिल्ली में बसों और ट्रकों का टर्मिनल

†१९८४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बसों और ट्रकों के लिये आधुनिक टर्मिनल की स्थापना से सम्बन्धी योजना पर विचार कर लिया गया है और उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

भिवानी बुकिंग एजेंसी

†१९८५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भिवानी में एक बुकिंग एजेंसी खोलने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री वें० सें० रामस्वामी)** : भिवानी में नगर बुकिंग एजेंसी की स्थापना के ठेकेदार का चुनाव कर लिया गया है और उसे आवश्यक किताबें तथा फार्म आदि संभरित कर दिये गये हैं। वह अब एजेंसी के लिये कर्मचारियों और स्थान के लिये प्रबन्ध कर रहा है। आशा है कि एजेंसी का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

कलकत्ता की जल संभरण तथा जल निस्सारण योजना

†१९८६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की जल संभरण तथा जलनिस्सारण योजना पर आने वाले वित्तीय खर्च का अनुमान लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना की कार्यान्विति के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वृहद कलकत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण करने, नक्शे और चार्ट तैयार करने तथा आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है। वृहद कलकत्ता के जल संभरण, और जल निस्सारण सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिये कलकत्ता राजधानी प्राधिकार की स्थापना के लिये एक प्रारूप विधेयक तैयार कर लिया गया है और वह पश्चिमी बंगाल सरकार के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्युत के लिये छोटे 'टर्बाइन'

†१९८७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थोड़ी मात्रा में बिजली पैदा करने के लिये छोटे टर्बाईनों के डिजाइनों के सम्बन्ध में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) उनके बारे में अभी तक विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम में संशोधन

†१९८८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम अधिनियम के प्राप्त संशोधनों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से उन प्रारूप संशोधनों पर अभी तक विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तार जांच आयोग

१९८९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री तंगामणि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तार जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय लेने और उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाक-तार बोर्ड ने बहुत सी सिफारिशों पर निर्णय कर लिये हैं। शेष सिफारिशें डाक-तार बोर्ड के विचाराधीन हैं। कुछ मामलों में उक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं और शेष मामलों में आदेश जारी किये जाने वाले हैं । समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों तथा डाक-तार बोर्ड द्वारा उन पर किये गये निर्णय अथवा तत्सम्बन्धी कार्रवाई का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६९ और ७०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

आयुर्वेद के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ

१९९०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों को प्राप्त कर के उनमें खोज व अनुसन्धान करने के कार्य मे अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् ने ८ तथा ९ सितम्बर, १९६० को हुई अपनी बैठक में साहित्यिक अनुसन्धान उपसमिति की सिफारिशों पर विचार किया। प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में विभिन्न पुस्तकालयों आदि में उपलब्ध पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की सूचियां एकत्र की जा रही हैं तथा उनका विश्लेषण किया जा रहा है ।

आर० एम० एस० पुनर्गठन समिति

१९९१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर० एम० एस० के पुनर्गठन से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट पर क्या इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति की सिफारिशों व उन पर किये गये निर्णयों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) आर० एम० एस० समिति की मुख्य सिफारिशें तथा उन पर अब तक किये गये निर्णयों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]**

राष्ट्रीय राजमार्ग

†१९९२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पविहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने टूटे हुए पुलों और मिलाने वाली सड़कों के पूर्ण किये जाने का विचार था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने काम पूरे हो चुके हैं और कितने कामों के दूसरी योजना अवधि में पूर्ण हो जाने की आशा है ;

(ग) इस अवधि में जो काम पूरे नहीं होंगे बल्कि तीसरी योजना अवधि में लिये जायेंगे उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) दूसरी योजना अवधि में राष्ट्रीय राज मार्गों पर चालीस बड़े पुलों और ७०० मील मिलाने वाली सड़कों के पूर्ण किये जाने का विचार था ।

(ख) योजना की बकाया अवधि में ३२ बड़े पुलों और ६२० मील मिलाने वाली सड़कें पहले से ही पूरी की जा चुकी हैं और ५ बड़े पुल तथा ८० मील टूटी हुई मिलाने वाली सड़कों के पूर्ण किये जाने की आशा है ।

(ग) तथा (घ). अपेक्षित जानकारी वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]** ।

डाक तथा तार सम्बन्धी सामान का आयात

१९९३. श्री पद्म देव: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० में डाक और तार सम्बन्धी सामान के आयात पर कितना व्यय हुआ ; और

(ख) आयातित वस्तुओं को अपने देश में बनाने के लिये क्या प्रयत्न हो रहे हैं और इस दिशा में भारत कब तक आत्म-निर्भर होगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

	रु० न० पै०
१९५७-५८ . .	१४२.४७
१९५८-५९ . . .	१४८.१४
१९५९-६० . . .	१२४.२७

(ख) भारतीय टेलीफोन उद्योग, हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रोनिक्स आदि डाकतार विभाग के कारखानों तथा प्राइवेट कारखानों में ऐसे सामान का यथासंभव उत्पादन करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। आयात कब बन्द कर दिया जायेगा, इसके लिये इस समय कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती ।

बिजली से रेलें चलाना

†**१९९४. श्री साधन गुप्त**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कब तक (१) बर्दवान—आसनसोल सैक्शन और (२) आसनसोल—गया—मुगलसराय सैक्शन पर बिजली से रेलें चलाने सम्बन्धी कार्य पूरा हो जायेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन में से किसी सैक्शन का विद्युतीकरण कार्यक्रम में पिछड़ गया है ;

(ग) यदि हां, तो किस सैक्शन का ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । [देखि परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८

†१९९५. **श्री त० ब० विट्ठल राव:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८--बम्बई, दिल्ली को, बड़ोच और गोधारा के बीच, इस सैक्शन पर यातायात में वृद्धि होने के कारण, चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) काम की अनुमानित लागत क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) बड़ोच-गोधारा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ का अंग नहीं है इसलिये भारत सरकार का इसे चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पेंशन एवं उपदान योजना

†१९९६ { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६० के अन्त तक पेंशन एवं उपदान योजना के लिये रेलवे के कितने कर्मचारियों ने स्वीकृति दी है ;

(ख) क्या स्वीकृति देने की अवधि सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) योजना आरम्भ होने के पश्चात् सितम्बर, १९६० के अन्त तक, योजना के पक्ष में स्वीकृति देने के कितने कितने रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)**: (क) २८,३७५ ।

(ख) स्वीकृति देने की अवधि सीमा ३१ मार्च, १९६१ तक बढ़ा दी गई है ।

(ग) ६,२५४ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुराने जहाज

†१९९७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ से लेकर अब तक कितने पुराने जहाज खरीदे गये हैं और उनका टनभार तथा मूल्य कितना था और वे किन देशों से खरीदे गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे का विद्युतीकरण

†१९९८. **श्री आचार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्यों में रेलवे विद्युतीकरण योजनाओं के लिये किसी राज्य को कुछ निश्चित राशि आवंटित की है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों को और प्रत्येक को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) :** (क) और (ख). **रेलवे** विद्युतीकरण योजनायें रेलवे के अनुसार बनाई जाती हैं राज्य के अनुसार नहीं । और उन्हें कार्यान्वित भी रेलवे के द्वारा ही किया जाता है । अत : राज्यों को इन योजनाओं के लिये धन आवंटित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात गणना

†१९९९. **श्री वारियर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में पालघाट और कोचीन पत्तन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की गणना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क के भूतल का वर्तमान रूप इस पर चलने वाले यातायात के लिये काफी है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर 'न' है तो क्या निकट भविष्य में उसे करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) सड़क का वर्तमान ढंग का भूतल, वर्तमान यातायात के लिये पर्याप्त नहीं है और प्राथमिकता वाले सैक्शनों में सड़क का अब सुधार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पटसन उत्पादन

†२०००. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संस्था ने पटसन उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकारी कार्रवाई के अतिरिक्त कोई कार्रवाई की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) तथा (ख). भारतीय पटसन मिल संस्था ने हाल में भारत में पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक योजना तैयार की है । आरम्भ में वे पश्चिम बंगाल के तीन चुने हुए क्षेत्रों में १०० से २०० एकड़ के खण्डों में व्यापक प्रदर्शन करने का विचार करते हैं जहां उत्पादन बढ़ाने के उपायों और पटसन तन्तुओं की किस्म सुधारने के तरीकों का कृषकों में प्रदर्शन किया जायेगा । वे उर्वरकों के वितरण में सहायता करना तथा तन्तुओं को सड़ाने की सुविधाओं की समस्या को हल करने और पटसन के बढ़िया किस्म के बीजों के संभरण में सहायता करने का भी विचार करते हैं ।

तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर योजना

†२००१. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर योजना के निर्माण के लिये मैसूर सरकार ने कोई प्रक्रमों वाला कार्यक्रम भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रोहतक में बाढ़

†२००२. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्री नारायण दास :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस शिकायत की ओर दिलाया गया है जो पंजाब के मुख्य मंत्री ने रोहतक में बाढ़ संकट को रोकने के लिये की गई योजनाओं को कार्यान्वित करने में दिल्ली प्रशासन द्वारा सहयोग न दिये जाने के बारे में दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध की है ; और

(ख) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजकोट डीविजन में आम हड़ताल

†२००३. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ११ जुलाई, १९६० से १६ जुलाई, १९६० तक की पिछली हड़ताल में शान्तिपूर्ण हड़तालो रेलवे कर्मचारियों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि राजकोट डिवीजन में भिन्न भिन्न तरीके अपनाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जो कार्रवाई की गई थी वह संबद्ध परिस्थितियों की तुलना में अधिक सख्त नहीं थी । जिन कर्मचारियों ने अत्यन्त दुर्व्यवहार नहीं किया था, तोड़ फोड़ या धमकियों में भाग नहीं लिया था, परन्तु केवल काम से अनुपस्थित हुए थे, उन्हें काम पर वापिस आने दिया गया था । रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के बारे में जो आदेश जारी किये थे उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७४]**

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव

†२००४. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री कोडियान :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक्टरों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) देश में डाक्टरों की जरूरत को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं, किन्तु पंचवर्षीय योजना की योजनाओं के लिये देश में डाक्टरों की आवश्यकता का इस प्रकार अनुमान लगाया गया है कि ५००० जन संख्या के लिये १ डाक्टर और बाद की योजना अवधियों में इस अनुपात में धीरे धीरे कमी कर के ४००० के लिये १, फिर ३००० के लिये और तत्पश्चात् २००० के लिये एक डाक्टर ।

(ख) नये मैडिकल कालिज स्थापित करने तथा वर्तमान कालेजों के विस्तार की योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है । इस समय देश में ५८ चिकित्सा कालेज हैं जब कि १९४७ में २५ थे ।

अमरीका से गेहूं का जहाजों में लाना

†२००५. **श्री कोरटकर** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा दी गई गेहूं को शीघ्रतापूर्वक लाने के लिये भारत सरकार ने, जर्मनी सरकार द्वारा प्रतिज्ञित ऋण की राशि में से जर्मन जहाज निर्माण कम्पनी से भारतीय व्यापार नौवहन के लिये नये जहाज लाने का फैसला किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण इस काम के लिये रख लिया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास के लिये वृहत् योजना

†२००६. **श्री तंगामणि** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ने अक्तूबर, १९६० में मद्रास निगम द्वारा पेश किये गये मान पत्र के उत्तर में मद्रास की एक वृहत् योजना का प्रस्ताव दिया था ।

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने किस प्रकार की सहायता देने का विचार किया है; और

(ग) ऐसी वृहत् योजनाएं और किन नगरों के लिये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं की गई है ।

(ग) विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५]

केरल में बिजली

†२००७. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास केरल सरकार से राज्य में बिजली की कमी के बारे में कोई अभ्यावेदन आया है; और

(ख) क्या केरल में नई विद्युत् योजनाएं आरंभ करने में सर्वाधिकार प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के सामने है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि भारत सरकार राज्य में विद्युत् स्थिति से अवगत है ।

(ख) राज्य सरकार को १९६०-६१ में तीसरी पंचवर्षीय योजना की एक योजना शोधित पंबा-कक्की जल विद्युत् परियोजना का प्रारंभिक कार्य आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई थी।

दिल्ली में कब्रिस्तान

†२००८. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सावित्री नगर (शेख सराय) नई दिल्ली के अनुसूचित जातियों के लोगों के उपयोग में आने वाला कब्रिस्तान सरकार ने एक तालाब खोदने के लिये एक गैर-सरकारी व्यक्ति को बेच दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि कब्रिस्तान नों का मान किया जाता है और किसी भी हालत में उन्हें कब्रिस्तान के अतिरिक्त अन्य किसी काम में लाने नहीं दिया जाता ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार को कब्रिस्तान के दुरुपयोग के बारे में कोई सूचना नहीं मिली ।

पार्सल में भेजे गये सामान के बारे में गलत जानकारी देना

†२००९. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक तेज मद्यसार की बोतलों की २५ पेटियों का पार्सल जिसका मूल्य २५००० रुपये था, २ अक्तूबर, १९६० को सिकन्दराबाद से बेलमपल्ली (मध्य रेलवे) तक औषधि के रूप में बुक हुआ और ४ अक्तूबर, १९६० को बेलमपल्ली में उतार दिया गया ;

(ख) क्या उसी दिन जब यह पार्सल मालगाड़ी से नागपुर के लिये पुन: बुक करवाया जा रहा था, स्टेशन कर्मचारियों ने उस के अन्दर के माल की गलतबयानी पकड़ ली;

(ग) क्या माल भेजने वाले और मंगवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तब से कोई अभियोग चलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, हां । २८-९-६० को, २-१०-६० को नहीं । पार्सल की लागत अभी मालम नहीं हुई ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल

२०१०. डा० राम सुभग सिंह : क्या सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी "बाल दिवस" के अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों के सामुदायिक विकास खंडों ने कुछ नये स्कूलों की भेंट की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ; और

(ग) इन स्कूलों के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) जी हां ;

(ख) राज्यों/संघीय क्षेत्रों से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संख्या ४,७२५ है ।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खंड विकास अधिकारी

†२०११. श्री अरविन्द घोषाल : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई राज्य खंड विकास अधिकारियों को विकासातिरिक्त कार्य न देने की केन्द्रीय सरकार की नीति का पालन करने में असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) और (ख). खंड विकास अधिकारियों को सामान्यतया किसी भी राज्य में बिहार को छोड़ कर जहां खंड विकास अधिकारी राजस्व कार्य भी करते हैं, कोई विकासातिरिक्त कार्य नहीं दिया जाता । असम और पश्चिम बंगाल में उन्हें अकाल सहायता कार्य भी करना पड़ता था । इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में खंड विकास अधिकारी, जो पदेन मंडल अधिकारी होते हैं, कुछ प्रशासनिक कार्य भी करते हैं । उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में, खंड विकास अधिकारियों को जनगणना का काम भी सौंपा जाता है । महाराष्ट्र में खंड विकास अधिकारियों को निर्वाचन कार्य भी सौंपा जाता है जिसके लिये राज्य सरकार के सब कर्मचारी लगाने की आवश्यकता पड़ती है ।

रेलवे कर्मचारियों को सेवा से निकाला जाना

†२०१२. श्री अरविन्द घोषाल : : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कितने रेलवे कर्मचारियों को निम्न दो उपायों के प्रयोग के द्वारा १९४७ के पश्चात् नौकरी से निकाला गया है ।

(१) रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा का बचाव करना) नियम १९४९, और

(२) संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (१) १४२ ।

(२) १७ ।

राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता योजनाएं

†२०१३. श्री झूलनसिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली और दूसरी योजनाओं में पीने के लिये ग्राम्य और नगरीय जल संभरण के लिये किये गये धन का बड़ा आवंटन इस प्रकार उपयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

में नहीं लाया जा सका , क्योंकि योजना आयोग ने यह शर्त लगा दी थी कि केवल नल वाले जल का संभरण किया जा सकता है और देश में लोहे के नलों की कमी थी; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष से लोहा और इस्पात फैक्टरियों के काम करने के कारण या सीमेंट के नलों के प्रयोग के कारण जो कुछ वर्षों से सीमेंट उत्पादन की स्थिति में बाजार की उन्नति के कारण इस काम के लिये उपलब्ध की जा सकती हैं ; इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम्य जल संभरण योजनाओं पर यह शर्त लगाई गई थी कि केवल नल द्वारा जल संभरण योजनाएं आरंभ की जाएं और नगरीय जल संभरण योजनाओं के मामले में ढले हुए लोहे की नालियों की कमी के कारण कार्यक्रम की प्रारंभिक स्थिति में कुछ मात्रा तक वाधा पड़ी, किन्तु अब इस स्थिति में बहुत सुधार हो गया है । सब मिल कर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम्य और नगरीय जल संभरण योजनाएं पहली और दूसरी योजना अवधियों में संतोषजनक रही हैं और इनके लिये आवंटित राशि का अधिकांश उपयोग में लाया गया है ।

स्कूलों की बसें

†२०१४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९६० में अब तक कितनी स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया है ;

(ख) उनमें कितनी बसों में नुक्स पाये गये ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था के यातायात सलाहकार द्वारा बताये गये उपायों पर अधिकारियों ने विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) १–१–१९६० से २५–११–१९६० तक २४६ ।

(ख) १७६ ।

(ग) यातायात सलाहकार की अधिकांश सिफारिशें दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और उनको कार्य रूप में लाने के बारे में विचार किया जा रहा है । उनकी कुछ सिफारिशों के अनुसार दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन करना पड़ेगा ।

खाद्य उत्पादन अनुसंधान केन्द्र

२०१५. **श्री भ० दी० मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य उत्पादन संबंधी अनुसंधान शालायें किस किस राज्य में काम करने लगी हैं और उनकी संख्या कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ऐसे भी राज्य अभी शेष हैं जिनमें अब तक कोई अनुसंधान शाला नहीं खोली गई है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र माना गया है, कोई अनुसंधान शाला काम कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई ऐसे खाद्य संबंधी बीज, धान, मक्का, आदि ढूंढ निकाले गये हैं जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बोये जा सकें ;

(ङ) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों के लिये क्या योजना बनाई गई है ; और

(च) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों में चीनी मिलें खोलने या खुलवाने के लिये उन क्षेत्रों को कोई संकेत किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) समस्त राज्यों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों में ५०० से अधिक कृषि अनुसंधानशालायें कार्य कर रही हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां (१) बन्सदीह (जिला बल्लिया) और (२) गोग्राघाट (गोंडा के पास) ।

(घ) उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में अभी तक कोई सुधरा हुआ बीज विकसित नहीं किया गया है ।

(ङ) परिषद् ने उत्तर प्रदेश के बन्सदीह में एक योजना पांच साल के लिये, बाढ़ें आने वाले क्षेत्रों के अनुकूल धान के विकास के लिये १–४–५७ से मंजूर की है।

(च) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ें आने वाले क्षेत्रों में चीनी मिलों के आरम्भ करने के लिये उनको चालू करने या उनको सहायता देने का कोई निदेश नहीं दिया है।

रेल दुर्घटना

†२०१६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ नवम्बर, १९६० को या उसके आसपास मध्य रेलवे के विकाराबाद स्टेशन के पास फाटक पर एक दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ;

(ग) हताहतों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या उक्त फाटक पर किसी की ड्यूटी थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, १७ नवम्बर, १९६० को ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) ३६ लोगों को चोटें आईं जिनमें ३ को गहरी चोटें आईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) यातायात के आधार पर किये गये वर्गीकरण के अनुसार इस फाटक पर किसी की ड्यूटी नहीं होती थी ।

आंध्र प्रदेश के छोटे पत्तन

†२०१७. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश में छोटे पत्तनों के विकास के लिये आवंटित धन खर्च नहीं किया गया है और विकास कार्य आरम्भ नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विकास कार्य कब आरम्भ किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६] ।

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

†२०१८. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की क्लेरिकल तथा सम्बद्ध संवर्गों में पुष्टि के लिये एक सूची रखने का आदेश दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक तथा तार विभाग के पंजाब सर्कल में विशेषत: केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में ऐसी कोई सूची नहीं रखी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी सूची न रखने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पंजाब सर्कल में सूचियां रखी जा रही हैं ।

नई दिल्ली के केन्द्रीय तारघर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पुष्टि के लिये कोई पृथक सूची नहीं रखी जा रही है । संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त हिदायतें दे दी गई हैं ।

मेसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी

†२०१९. **सरदार अ० सिंह० सहगल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी अन्दमान वनों के पट्टे संबंधी करार के अन्तर्गत अपने दायित्वों की पूर्ति करने के लिये मेसर्स पी० सी० राय एंड को० लिमिटेड ने सरकार के पास केवल १० लाख रुपये जमानत के रूप में जमा कर रखे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पट्टेदार पर बड़ी मात्रा में बकाया रायल्टी के कुछ हिस्से के भुगतान न होने से सरकार को जो नुक्सान हो सकता है, उससे बचने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ;

(ग) क्या पूर्व उत्तर में उल्लिखित ६४९३ टन इमारती लकड़ी पर तथा पट्टेदार की लापरवाही के कारण १ अप्रैल, १९५९ से इमारती लकड़ी के नुकसान पर इस बीच रायल्टी का अनुमान लगाया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कम्पनी से वह रकम देने के लिये कहा गया है जो उन्हें सरकार को देनी है । यदि वे उचित समय के अन्दर अदा नहीं करेंगे तो उसको वसूल करने के लिये करार के अनुबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । यदि अनुज्ञप्तिधारी करार की सारी या किसी शर्त को पूरी नहीं कर पायेगा तो उसकी जमानत जब्त कर ली जायेगी । यदि आवश्यक हुआ तो धन वसूल करने के लिये कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

(ग) हां, श्रीमान् । अनुज्ञप्तिधारी की लापरवाही के कारण अप्रैल, १९५९ से आगे के इमारती लकड़ी के नुक्सान पर रायल्टी के बिल न दिये जा रहे हैं ।

नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) में तापीय संयंत्र

†२०२०. **श्री उस्मान अली खां** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले तापीय संयंत्र के लिये सरकार ने जापान के हिताची वर्क्स को ठेका दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). अभी तक कोई ठेका नहीं हुआ है । तथापि नेल्लोर तापीय केन्द्र के लिये येन ऋण के अन्तर्गत जापान से वायलरों तथा भीतरी स्विचगियर आदि सहित ३० एम०डब्ल्यू संयंत्र मंगाने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार को १८४.२९ लाख की विदेशी मुद्रा दे दी गई है ।

यात्री सुविधायें

†२०२१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री ८ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रूपड़-नंगल बांध सेक्शन पर यात्रियों तथा रेलवे कर्मचारियों की कोई सुविधायें देना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). जबकि राज्य सरकार समझौते के अनुसार निर्माण का ½ के व्यय में अपना हिस्सा देने के लिये तैयार हो जायेगी, तभी रूपड़-नंगल बांध सेक्शन पर सुविधायें देने के बारे में विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड

†२०२२. { श्री आचार :
श्री तंगामणि :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड के नई दिल्ली में हुये ३२ वें अधिवेशन में मुख्य सिफारिशें क्या की गई थीं ;

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) वे सिफारिशें अभी पुष्टि के लिये बोर्ड के सदस्यों के पास भेजी गई हैं और अभी तक केन्द्रीय सरकार को पेश नहीं की गई हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड

†२०२३. श्री कालिका सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड, खड्डा, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १६५१ की धारा १८ के अन्तर्गत नियंत्रण जारी रखने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य चीनी मिलों के बारे में ऐसी ही कार्यवाही करना चाहती है ;

(ग) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार के नियंत्रण से विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स के कार्य पर असर पड़ा है, और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) मेसर्स विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड पर इसलिये नियंत्रण जारी रखना पड़ा जिस से कारखाना बन्द न हो जाये क्योंकि जिन परिस्थितियों में अंशधारियों के बीच झगड़े की स्थिति में नियंत्रण लगाना पड़ा था वह अभी वर्तमान है ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । जब कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिस से नियंत्रण की आवश्यकता होती है, तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण लगाने के बारे में विचार करना होता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ). जी हां, चीनी का उत्पादन बढ़ा है और कई सालों के लगातार नुकसान के बाद कारखाने १६५७–५८ और १६५८–५६ में क्रमशः १.११ और ३.०४ लाख रुपये का लाभ हुआ। १६५६–६० में १६५८–५६ से भी अधिक लाभ की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाला टीला-कोटावसाला रेलवे लाइन

†२०२४. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित बालाटीला–कोटावसाला रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के लिये रेलवे के निर्माण पदाधिकारियों सहित महाप्रबन्धक का कार्यालय खोल दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह कार्यालय बाल्टेयर में स्थापित किया गया है यद्यपि रेलवे मंत्री ने इसे उड़ीसा में स्थापित करने का वचन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये मुख्य कार्यालय के स्थान में परिवर्तन क्यों किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). निर्माण संगठन बाल्टेयर में स्थापित किया गया है क्योंकि वह इस काम के लिये बहुत ही उपयुक्त स्थान समझा गया । रेलवे मंत्री द्वारा ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया था कि यह संगठन उड़ीसा में स्थापित किया जायेगा ।

कटक में सहायता प्राप्त होटल

†२०२५. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों के ८० से अधिक विद्यार्थियों ने उड़ीसा में कटक रेलवे सहायता प्राप्त होटल में भर्ती के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक उन्हें भर्ती नहीं किया गया है; और

(ग) क्या इस होटल के लिये पृथक भवन बनाने के लिये स्थान अब तक प्राप्त कर लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) नहीं, श्रीमान् । सिर्फ ४८ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) केवल ११ प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जा सके क्या गत वर्ष के व्यक्तियों को भी रखना था और होटलों में केवल २५ व्यक्तियों के लिये स्थान है ।

(ग) जी नहीं, अभी नई इमारत बनाने का विचार नहीं है किन्तु वर्तमान होटल में २५ से ५० व्यक्तियों के लिये व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

जामनगर और ओखा के बीच सड़क

†२०२६. **श्री क० उ० परमार** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जामनगर और ओखा को एक अच्छी सड़क से जोड़ने के लिये मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : खम्बलिया से ओखा मेहदी तक के भाग को छोड़कर जामनगर तथा ओखा के बीच की सड़क पक्की बना दी गई है अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के निर्माण व विकास के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम में २०.७५ लाख की अनुमानित लागत से खम्बलिया-ओखा मेहदी सैक्शन पर भूमि को समतल

†मूल अंग्रेजी में

बनाने तथा आर पार नाली की व्यवस्था करने का काम सम्मिलित कर दिया गया है। इस भाग को समतल बनाने के लिये जनवरी १९५८ में ७,८१,४०० रुपये मंजूर कर दिये गये थे। काम चल रहा है। इस सैक्शन पर अन्य कार्यों के लिये राज्य सरकारें स्वयं धन मंजूर करेंगी।

हैदराबाद में स्नातकोत्तर मैडिकल शिक्षा केन्द्र

†२०२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजना काल में अखिल भारतीय आधार पर विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिये हैदराबाद में एक स्नातकोत्तर मैडिकल शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिये क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की प्रार्थना पर विचार किया है और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). यह विचार है कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना अन्तिम रूप से तैयार हो जाये उस के बाद ही अखिल भारतीय आधार पर विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिये हैदराबाद में एक स्नातकोत्तर मैडिकल शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार की प्रार्थना के बारे में निश्चय किया जाये।

पटसन के पौधे की नई किस्में

†२०२८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने पटसन के पौधे की नई किस्में निकाली हैं; और

(ख) यदि हां, तो नई किस्मों के पटसन के पौदों की कितनी उपज हो सकती है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) भारत में जिन दो किस्मों की पटसन की काश्त की जाती है उन से भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली द्वारा एक नई किस्म की पटसन निकाली गई है।

(ख) इस नई किस्म की पटसन की उपज का अनुमान पटसन उगाने के लिये खेतों में लगाया जायेगा।

राज्य परिवहन आयुक्त

†२०२९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में हाल ही में राज्य परिवहन आयुक्तों का जो सम्मेलन हुआ था, क्या सरकार ने राज्य परिवहन वित्त निगम अथवा इसी प्रकार के अभिकरणों की स्थापना करने के बारे में उसकी सिफारिश पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). राज्य परिवहन आयुक्तों/नियंत्रकों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार द्वारा परिवहन

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त निगमों अथवा इसी प्रकार के अभिकरणों की स्थापना करने के लिये एक योजना तैयार की जानी चाहिये और उस पर राज्य सरकारों के विचार जानने के लिये उसे उन के पास भेजना चाहिये। योजना बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है किन्तु इस को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा।

महाराष्ट्र में पुल

†२०३०. **श्री पांगरकर :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने परभानी जिले में खैदा और हिवारा नदियों पर दो पुल बनाने के लिये कोई योजना और अनुमान भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक वह योजना व अनुमान स्वीकार किये जा चुके हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). खैदा तथा हिवारा नदियों पर प्रस्तावित पुलों की स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है :—

(१) खैरा पर पुल : ११ अप्रैल, १९६० को भारत सरकार ने ३,९१,८०० रुपये की अनुमानित लागत की पुल की योजना व प्राक्कलन स्वीकार कर दिये थे। केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) निक्षेप से इस पुल के लिये १ लाख रुपये का अनुदान मंजूर कर दिया गया है, शेष २,९१,८०० रुपये राज्य कोष से व्यय किये जायेंगे।

(२) हिवारा पर पुल : इस पुल के बारे में २९ अगस्त, १९६० को यह मंजूरी दी गई कि इस के लिये अनुमानतः ३,६६,४४८ रुपये व्यय किये जायें और यह धन केन्द्रीय सड़क निधि में से महाराष्ट्र को नियत की गई राशि में से ले लिया जाये। इस पुल के लिये अनुमान तथा योजना के लिये भारत सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और महाराष्ट्र सरकार अपनी प्रक्रिया के अनुसार उसे स्वीकार करेगी।

रेलवे अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि

२०३१. **श्री पन्नालाल बारूपाल :**
श्री लच्छी राम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५८ से अब तक रेलवे बोर्ड में कितने उच्च अधिकारियों की सेवा समाप्त होने पर उनका सेवाकाल बढ़ाया गया और प्रत्येक अधिकारी का सेवाकाल कितना बढ़ाया गया;

(ख) ऐसे अधिकारियों का, जो योग्य और स्वस्थ हैं, सेवाकाल न बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि में कितने उच्च अधिकारियों को उन की सेवा समाप्त होने पर पुनः नियुक्त किया गया ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ग). बयान नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७७]**।

(ख) साधारण रूप से सेवा काल बढ़ाया नहीं जाता, लेकिन सरकारी हित को देखते हुए खास मामलों में ऐसा कर दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की भर्ती

†२०३२. **श्री तंगामणि :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की स्वीकृत अनुपात में नियुक्ति नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसे ठीक करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) १९५९–६० में तथा १९६०–६१ में अब तक कितने नियुक्त किये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) कुछ वर्गों को छोड़कर जहां प्रविधिक योग्यता आवश्यक है, दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये जितने पद सुरक्षित रखे गये हैं उतने पदों पर उनके उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है ।

(ख) जब रेलवे सेवा आयोग के जरिये पर्याप्त मात्रा में उम्मीदवार नहीं मिलते, तो महा-प्रबन्धक में निहित शक्तियों के अधीन विशेष भर्ती की जाती है ।

(ग)

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
१९५९–६० . . .	६३६	३३
१९६०–६१ में अब तक . .	२४०	५

केन्द्रीय सड़क निधि

†२०३३. **श्री तंगामणि :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६०–६१ में केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों में व्यय के लिये ६७७ लाख रुपये दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितना धन नियत किया गया है तथा अप्रैल–नवम्बर, १९६० में कितना व्यय किया गया ;

(ग) क्या किसी राज्य को नियत की गई राशि से अधिक राशि दी जा चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या नियत की गई धन राशियों में से रुपया अन्य राज्यों के लिये दे दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७८]**

(ग) नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इम्फाल-दीमापुर सड़क पर तार तथा टेलीफोन के कनेक्शन

†२०३४. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६० में नागा विद्रोहियों ने इम्फाल-दीमापुर सड़क के भरम-दीमापुर सेक्शन पर तार तथा टेलीफोन के कनेक्शन काट दिये थे ;

---

† मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो यह कनेक्शन कब तक कटे हुये पड़े रहे ; और

(ग) क्या अब सामान्य रूप से काम चलने लगा ह ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां।

(ख) १६७ घंटे।

(ग) जी, हां।

पौधों की रक्षा

†२०३५. श्री मणियंगाडन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स कोम्बाटा एवीएशन्स, बम्बई ने टिड्डियों को मारने वाली दवायें छिड़कने के लिये सरकार से मुफ्त में अपना विमान देने के लिये कहा था ;

(ख) क्या सरकार ने उसे स्वीकार किया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो मना करने के क्या कारण हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के कर्मचारियों के वेतन-क्रम

†२०३६. श्री रामजी वर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली के जूनियर तथा सीनियर रिसर्च असिस्टेंटों का, वर्ष १९६० के पुनरीक्षित वेतन नियमों के अधीन, क्या वेतन-क्रम तथा भत्ता है :

(ख) क्या नये वेतन-क्रम लागू कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और ऐसा करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) वहां पर केवल रिसर्च एसिस्टेंट्स की पोस्ट्स हैं, जिनके वेतन-क्रम १६०–१०–३३० रुपये और २५०–१०–३०–१५–४५०–२५/२–५०० रुपये हैं। १६०–१०–३३० के वेतन-क्रम में १५ प्रतिशत रिसर्च असिस्टेंटों को उस पदाली के सेलेक्शन ग्रेड में भी नियुक्त किया जाता है जिसके लिये २५०–१०–३००–१५–४५०–२५/२–५०० रुपये का वेतन-क्रन मंजूर किया गया है। पुनरीक्षित वेतन नियम, १९६० के अधीन उपरोक्त वेतन-क्रमों के लिये निम्नलिखित वेतन-क्रम निर्धारित किये गये हैं :

वर्तमान वेतन-क्रम	पुनरीक्षित वेतन नियम, १९६० के अधीन निर्धारित वेतन-क्रम
१६०–१०–३३० रुपये . . .	२१०–१०–२९०–१५–३२०-इ-बी-१५–४३५ रुपये
२५०–१०–३००–१५–४५०–२५/२–५०० रुपये	३२५–१५–४७५–इ-बी-२०–५७५ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

1698(Ai) LSD—5.

केन्द्रीय अर्सैनिक सेवा (पुनरीक्षित वेतन नियम, १९६०) की अनुसूची की धारा ७ की धारा ११ में सम्बन्धित मदों को पुनरीक्षित करने का प्रश्न लिया जा रहा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेल दुर्घटना

२०३७. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारीख २९–३० नवम्बर की मध्य रात्रि में पश्चिम रेलवे के गोधरा तथा दोहद स्टेशनों के बीच जो यात्री गाड़ी तथा माल गाड़ी की दुर्घटना हुई थी उस में अनुमानत: कितना नुक्सान हुआ ;

(ख) उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप यात्री गाड़ियों को कितना विलम्ब हुआ ;

(ग) उक्त दुर्घटना के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ; और

(घ) उक्त दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २९-११-६० को गिट्टी-गाड़ी[1] के तीन माल-डिब्बे और एक ब्रेकयान पटरी से उतर जाने के कारण लगभग २,९०० रुपये लागत की रेल-सम्पत्ति का नुक्सान हुआ ।

(ख) दोनों ओर चार सवारी-गाड़ियां रुकी रहीं, जिनके रुकने का समय एक घण्टे से लेकर लगभग छ: घण्टे के बीच था । ये गाड़ियां कुल मिलाकर पच्चीस घण्टे रुकी रहीं ।

(ग) और (घ). दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जो संयुक्त जांच हुई है, उस पर रेल-प्रशासन की रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

भोपाल के लिये स्वचालित टेलीफोन

†२०३८. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल, में कब तक स्वचालित टेलीफोन लग जायेंगे ; और

(ख) इस दिशा में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) वर्ष १९६३ के आरम्भ में ।

(ख) जगह ले ली गयी है और इमारत के लिये ब्यौरे वार नक्शे बनाये जा रहे हैं । इमारत का निर्माण, शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ballast Train

पंजाब में खाद्यान्न में राज्य व्यापार

†२०३९. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पंजाब राज्य के खाद्य मंत्री के सम्वाददाताओं के साथ हाल की मुलाकात की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने राज्य व्यापार की नीति का समर्थन किया और इसको खत्म करने में होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यक्तिगत विचार-विमर्शों को छोड़ कर राज्य सरकार को राज्य व्यापार के बारे में संघीय खाद्य मंत्रालय से अभी तक कोई पत्र नहीं मिला ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विशेष रूप से गेहूं और चीनी का राज्य व्यापार बंद करने के लिये पंजाब सरकार को राजी करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (ग). इस मामले पर हाल ही में पंजाब के खाद्य मंत्री से बातचीत की गयी थी। अब केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद नहीं हैं। पंजाब सरकार द्वारा गेहूं की वसूली तो पहले ही बंद की जा चुकी है। यदि अगली फसल की कटाई के बाद गेहूं के मूल्य अनुचित रूप से नीचे गिरे तो किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये उचित कार्यवाही की जावेगी।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, चीनी में कोई राज्य व्यापार नहीं हो रहा है परन्तु केवल लाइसेंसधारी थोक व्यापारियों, सहकारी समितियों और मंजूरशुदा खुदरा व्यापारियों द्वारा उसके वितरण पर नियंत्रण है। इस समय, नियंत्रित वितरण को पंजाब सरकार आवश्यक समझती है।

त्रिपुरा में चावल का मूल्य

†२०४०. श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में खोवई डिवीज़न के बेलोनिया और कल्याणपुर के जोलेबाडी में चावल और धान का भाव इस समय क्या है ;

(ख) क्या यह मूल्य उत्पादकों के लिये अलाभप्रद है ;

(ग) क्या चावल और धान के मूल्यों में गिरावट का एक कारण यह भी है कि सरकार ने निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर चावल और धान की पर्याप्त मात्रा नहीं खरीदी ; और

(घ) यदि हां, तो धान के उत्पादकों को आर्थिक रूप से लाभप्रद मूल्यों की गारंटी देने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) चावल का भाव जोलेबाडी में ९ दिसम्बर को १५ रुपये प्रति मन था और कल्याणपुर में ३ दिसम्बर, १९६० को यह १२ से १३ रुपये प्रति मन तक था। धान के भाव भी चावल के भाव के स्तर के अनुरूप ही थे।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में भू-अर्जन

†२०४१. श्री डामर :
श्री भ० दी० मिश्र :
श्री शि० न० रामौल :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के मुख्यायुक्त द्वारा जारी की गयी दिनांक ३ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १५(८४)-५७-एल० एस० जी० के अनुसार प्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित ३०९७.२४ एकड़ भूमि में से अब तक सरकार ने कितनी भूमि प्राप्त कर ली है ;

(ख) इस भमि में से कितनी भूमि सरकारी आवास योजना के लिये इस्तेमाल की गयी और कितनी जनता को मकान बनाने के लिये प्लाटों में बेची गयी ;

(ग) प्रश्नाधीन भूमि का बाजार भाव क्या है और इस समय दिल्ली के चारों ओर बस्तियों में प्लाटों का प्रति वर्ग गज मूल्य क्या है ; और

(घ) इस भमि के सरकार ने कितनी रकम क्षतिपूर्त्ति के रूप में दी है अथवा देनी पड़ेगी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकार

†२०४२. श्री नारायण दीन :
सरदार अ० सिं० सहगल :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास अधिनियम (१९५७ का ६१वां) की धारा ३ के अधीन बनाये गये दिल्ली विकास प्राधिकार के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ख) उपरोक्त अधिनियम की धारा ५ के अधीन बनायी गयी मंत्रणा परिषद् के सदस्यों के क्या नाम हैं ; और

(ग) उस मंत्रणा परिषद् द्वारा दी गई सलाह को प्राधिकार द्वारा वृहद् योजना, ज़ोनल विकास तैयार करने और सामान्यत: दिल्ली के विकास के लिये योजना बनाने में किस हद तक माना है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सभा पटल पर दो सूचियां रखी जाती हैं । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७९] ।

(ग) मंत्रणा परिषद् द्वारा दी गई सलाह पर प्राधिकार ने दिल्ली के लिये वृहद् योजना का प्रारूप तैयार करते समय उचित ध्यान दिया । प्राधिकार मंत्रणा परिषद् की सलाह को ज़ोनल विकास योजनायें तैयार करने में भी, जो इस समय तैयार की जा रही है, ध्यान में रख रहा है । दिल्ली विकास प्राधिकार दिल्ली के विकास सम्बन्धी योजनायें बनाने के बारे में भी मंत्रणा परिषद् द्वारा दी गई सलाह पर सामान्यत: ध्यान दे रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नौवहन किराया

†२०४३. श्री कुन्हन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन और मेसर्ज़ बिन्नी एण्ड कम्पनी, मद्रास ने अक्तूबर, १९६० से सभी टिकटों का किराया बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किराये में वृद्धि की दर क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को इन फ़र्मों द्वारा इस वृद्धि के विरुद्ध कोई विरोध प्राप्त हुआ है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) संभवतः यह प्रश्न ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन और बी० आई० एस० एन० कम्पनी, जिन के मद्रास में एजेन्ट मेसर्ज़ बिन्नी एण्ड कम्पनी हैं, द्वारा संयुक्त रूप से संचालित मद्रास/सिंगापुर यात्री-एवं-माल सेवा के बारे में है। यदि हां, तो यह सच है इस मार्ग पर अक्तूबर, १९६० से यात्रियों के किराये बढ़ा दिये गये।

(ख) यह किराया दोनों ओर यात्रा पर १० प्रतिशत बढ़ाया गया है और सैलून दर्जे के लिये वापसी टिकट पर १० प्रतिशत की छूट है।

(ग) इस वृद्धि के विरुद्ध सरकार को अभी तक कोई विरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

बम्बई के निकट तेलवाहक जहाज का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

†२०४४. श्री कुन्हन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८ नवम्बर, १९६० को 'प्रांग्स रीफ़' के बम्बई बन्दरगाह में प्रवेश द्वार पर "वर्ल्ड कान्कर्ड" नामक तेलवाहक जहाज, जिस में ३०,००० टन अशोधित तेल था, मिट्टी में धंस गया ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) एस० टी० "वर्ल्ड कान्कर्ड" एक सिंगल स्क्रू स्टीम टैंकर है जिस का कुल भार २०,२१५ टन और शुद्ध भार १२,७३१ रजिस्टर्ड टन है। यह जहाज मनरोविया (लाइबेरिया) के वर्ल्ड कान्कर्ड कारपोरेशन का है और यह मनरोविया में रजिस्टर्ड है। जहाज बन्दर मशूर (फारस की खाड़ी) से बम्बई के लिये १३ नवम्बर, १९६० को १२.३० बजे (ग्रीनविच मीन टाइम) के अनुसार रवाना हुआ जिस में ३१,४०२ टन अशोधित तेल लदा हुआ था। जहाज १८ नवम्बर, १९६० को बम्बई पहुंचा। यह बताया गया है कि जहाज १८ नवम्बर, १९६० को ११.५० बजे प्रांग्स रीफ़ के परे भूमि में धंस गया। इस को उसी दिन २३.५२ बजे बम्बई पत्तन न्यास के चार रस्सों द्वारा फिर तैराया गया। फिर जहाज ने सारा अशोधित तेल उतारा और २५ नवम्बर, १९६० को वह बम्बई से फारस की खाड़ी के लिये रवाना हो गया।

दुर्घटना के कारण का पता नहीं है और वह केवल प्रारम्भिक जांच पूरी होने के बाद ही पता लग सकता है जोकि अब वाणिज्यिक समुद्रीय विभाग द्वारा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में एक सामुदायिक विकास खंड में आग लग जाना

†*२०४५. { श्री शि० न० रामौल :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के शिलाई गांव में खंड से सम्बन्धित भण्डार (स्टोर्स) में ८ नवम्बर, १९६० को आग लग गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मामले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो भण्डार (स्टोर्स) को अथवा अन्य सरकारी सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि खंड विकास अधिकारी ने बताया है कि आग के कारण सरकारी नकद १०,००० रुपये की हानि हुई है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) और (ख). उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ग) और (घ). आग के कारण सरकार को हुई क्षति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(१) नकद १०,०९७·०९ रुपये
(२) २१८० गज कपड़ा
(३) हाथ से चलने वाला एक १६ एम० एम० प्रोजैक्टर
(४) २ दर्जन फ्लैश बल्ब
(५) कैमरा फिल्में ३
(६) बिटुमन कापट लगभग १०'×६' ।

बकाया धनराशि का भुगतान

†२०४६. श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त, १९६० में डाक तथा तार कर्मचारियों को द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन शीघ्र निर्धारित करने और उस से निकलने वाली बकाया राशि के भुगतान के लिये आदेश दिये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के केन्द्रीय तार घर में अभी तक सब तार कर्मचारियों को बकाया राशि का भगतान नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो बकाया राशि के भुगतान में इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा उस का करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । कुल १३५३ कर्मचारियों में से ३६१ को बकाया का भुगतान किया जा चुका है ।

(ग) छुट्टी लेने वाले अस्थायी कर्मचारियों के मामले में औसत वेतन का हिसाब लगाना जरा कठिन काम है । तारघर में कर्मचारी सामान्यत: जल्दी जल्दी अर्जित छुट्टी लेते हैं । और २९२ टास्क वर्क मैसेंजरों के केस इसलिये अनिर्णित पड़े हैं क्योंकि उन के पुनरीक्षित वेतन-क्रमों से सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना की जांच की जा रही है ।

(घ) इस कार्य में शीघ्रता करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ।

पंजाब में बिजली

†२०४७. श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अब तक कितन किलोवाट बिजली तैयार की गई ;

(ख) दिल्ली, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिये कितने किलोवाट बिजली ली जाती है ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पंजाब की कुल कितनी आवश्यकता होगी ;

(घ) यह कितने किलोवाट कम होगी ; और

(ङ) इस को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नवम्बर, १९६० के अन्त तक १,५०,००० किलो वाट

(ख) दिल्ली . . २०,००० किलोवाट
राजस्थान . . १२,००० किलोवाट
जम्मू तथा काश्मीर . ६,००० किलोवाट
हिमाचल प्रदेश . . ४,००० किलोवाट

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा किये गये 'लोड' सर्वेक्षण के अनुसार ३५४,००० किलोवाट ।

(घ) १६४,००० किलोवाट ।

(ङ) कमी और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई बिजली की मांग को भाखड़ा-नंगल लैफ्ट बैंक पावर हाउस से और तृतीय योजना में शामिल करने के लिये विचाराधीन निम्नलिखित परियोजनाओं से पूरा किया जायेगा :

(१) भाखड़ा-नंगल राइट बैंक पावर हाउस
(२) उहल नदी का विस्तार
(३) अपर बारी दोआब नहर पर बिजली का उत्पादन
(४) तापीय स्टेशन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली मोटरगाड़ी नियमों में संशोधन

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ नवम्बर, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित दिल्ली मोटरगाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एफ० १२/५४/६०–ट्रांस्पोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२५४५/६०]

एयर इंडिया इंटरनेशनल के लेखापरीक्षित लेखे

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : मैं विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत एयर इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२५४६/६०]

राज्य-सभा से संदेश

†सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिले हैं :—

(१) कि लोक-सभा द्वारा क्रमशः १ दिसम्बर, १९६० तथा १४ नवम्बर, १९६० को पारित क्रमशः समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० तथा मोटरगाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० को राज्य-सभा ने अपनी क्रमशः १४ दिसम्बर, १९६०, तथा १५ दिसम्बर, १९६० की बैठकों में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि इन विधेयकों के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

१. विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०

२. रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक, १९६०

३. भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १९६०

४. त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक, १९६०

मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक सन्देश और प्राप्त हुआ है जिस के साथ उन्हों ने राज्य सभा द्वारा १५ दिसम्बर, १९६० को अपनी बैठक में पारित किये गये सालारजंग संग्रहालय विधेयक, १९६० की एक प्रति संलग्न की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सालारजंग संग्रहालय विधेयक

†सचिव : मैं सालारजंग संग्रहालय विधेयक, १९६० को राज्य-सभा द्वारा पारित रूपमें सभा पटल पर रखता हूं ।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करती हूं कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं विधेयक को पुरस्थापित करती हूं ।

तार विधियां (संशोधन) विधेयक

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तार अधिनियम, १८८५ और वायरलैस टेलीग्राफ अधिनियम, १९३३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तार अधिनियम, १८८५ और वायरलैस टेलीग्राफ अधिनियम, १९३३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†डा० प० सुब्बरायन : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

साठवां प्रतिवेदन

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के साठवें प्रतिवेदन से, जो १६ दिसम्बर, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने बाईसवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिये निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

१. श्री लैसराम अचौ सिंह

२. श्री चण्डिकेश्वर शरण सिंह जूदेव

३. श्री पोकर साहेब

४. श्री बालासाहेब सालुंके

५. श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

६. श्री कमल नारायण सिंह

७. श्री आशण्णा

८. सरदार बलदेव सिंह

९. श्री रुंगसुंग सुइसा

१०. श्री ईश्वर अय्यर

११. श्री नरपा रेड्डी

१२. श्री दिनेश सिंह

१३. श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल

१४. श्री दुरायस्वामी गौंडर

१५. श्री उमा चरण पटनायक

१६. श्री मथूरामलिंग तेवर

१७. श्री इ० मधुसूदन राव

१८. श्री कनकसबे

१९. श्रीमती रेणुका राय

२०. पंडित हीरालाल शास्त्री

२१. श्री रामेश्वर राव

२२. श्री नरसिंह मलदेव

२३. रानी मंजुला देवी

२४. श्री सु० चं० चौधरी

२५. श्री च० द० पांडे

---

†भूल अंग्रेजी में

२६. श्री हजरनवीस

२७. श्री लक्ष्मीनारायण भंजदेव

२८. पंडित ठाकुर दास भार्गव

२९. श्री रघुनाथ सिंहजी बहादुर

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

†**माननीय सदस्य** : जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि १६ दिसम्बर, १९६० को संविधान (नवां संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरस्थापित करने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव पर मत विभाजन के परिणाम की घोषणा में एक ग़लती रह गई थी । यद्यपि सभा एक निर्णय ले चुकी है और इस ग़लती का उस पर कोई असर भी नहीं पड़ता है परन्तु मैं यह उचित समझता हूं कि रिकार्ड में सही स्थिति रहे ।

फोटोग्राफ की जांच करने पर तथा कार्यवाही देखने पर पता लगा कि सही परिणाम इस प्रकार है । १६ दिसम्बर की घोषणा के अनुसार पक्ष में १६९ मत हैं जो १७० होने चाहिए ।

राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब कार्य सूची की आगे की मद पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मेरा निवेदन है कि यदि दोनों विधेयक अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक एक ही साथ विचारार्थ लिये जायें तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि इस से चर्चा करने में सुविधा होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है । विचार करने की स्थिति में यदि दोनों विधेयकों को एक साथ प्रस्तुत किया जाय और यदि इस से सभा को सुविधा मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हां खंडवार चर्चा के समय उन पर अलग से विचार किया जा सकता है । तथा मतदान के लिये उन्हें अलग अलग रखा जा सकता है क्योंकि दोनों के लिये अलग अलग से बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : इस में कुछ प्रविधिक कठिनाइयां हैं । संवैधानिक दृष्टि से संसद् उस विधेयक पर जोकि कुछ राज्य क्षेत्रों को विलय करने के बारे में है विचार करने के लिये उस समय तक सक्षम नहीं जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो जाता । मेरे विचार में टेकनिकल बातों के लिये पहले नवां संशोधन विधेयक पर विचार किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र दें तब तो संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ राज्य क्षेत्रों को जो पाकिस्तान से आये हैं उन को मिलाने के लिये संशोधन में परिवर्तन करने की आवश्यकाता नहीं है। चूंकि यह विधेयक अर्जित राज्य क्षेत्रों के बारे में है अतः इस बारे में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा सुझाव है कि सभा पटल पर अथवा कहीं और एक मानचित्र रख दिया जाये ताकि माननीय सदस्य सीमा के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकें और यह पता कर सकें कि रेडक्लिफ लाइन कहां हो कर जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री महोदय के पास ऐसा कोई मानचित्र है जो सीमा सम्बन्धी जानकारी दे सके कि कौनसा भाग हमें मिल रहा है तथा कौन सा भाग हम दे रहे हैं ।

यदि बिना मानचित्र की सहायता के वस्तुस्थिति का अध्ययन करना माननीय सदस्यों के लिये कठिन होगा तो इस पर मैं विचार करूंगा । फिर भी इस समय जो भी मानचित्र उपलब्ध हों वे यहां रखे जायें ।

यह ठीक है कि मैं नहीं चाहता कि यहां माननीय सदस्य बिना सोचे समझे ही मतदान करें। लेकिन वे मानचित्रों को पहले से मांग सकते थे अब जब विधेयक पर विचार होने जा रहा है तो इस तरह की बाधायें डालना ठीक नहीं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं इस बात से सहमत हूं कि इन दोनों विधेयकों पर एक ही साथ विचार करना सभा के लिये लाभदायक होगा । दोनों की परिस्थितियां भी लगभग एक ही सी हैं । दो तरह की बातें करनी हैं एक तो अर्जित क्षेत्रों के बारे में हैं और दूसरी बात कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को देने की है । उच्चतम न्यायालय ने दूसरे ढंग की प्रक्रिया अपनाने की बात कही है और इसीलिये हमें ये दो विधेयक रखने पड़े । मेरे विचार में यह बात बिल्कुल ठीक है और वांछित भी है कि इन दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जाय ताकि सदस्य सभी स्थिति पर अच्छी तरह विचार कर सकें । जैसाकि आपने कहा है कि मतदान तथा खंडवार चर्चा के लिये उन्हें अलग अलग रखा जायेगा यह बात ठीक है ।

मुझे इस बात का खेद है कि सभा में यह भावना व्याप्त है कि यहां मानचित्र नहीं है । कठिनाई यह नहीं है कि यहां मानचित्र नहीं है बल्कि कठिनाई तो यह है कि मानचित्र काफी संख्या में नहीं हैं । सामान्यतः ये क्षेत्र इतने छोटे हैं कि आम नक्शों में यह दिखाये नहीं गये हैं । जब तक कि हम बड़े मानचित्र नहीं बनाते तब तक इनका दिखाना संभव नहीं है । मैं आज दिन को कुछ मानचित्र लाने का प्रयत्न करूंगा । लेकिन माननीय सदस्यों के लिये यहां सभा में बैठे बैठे देखना कठिन होगा । इसलिये उन चित्रों को मैं पुस्तकालय अथवा अन्य स्थानों पर उपलब्ध कर सकूंगा ।

जैसा कि मैं बता चुका हूं इन दोनों विधेयकों में स्थूल रूप से वे ही बातें सम्मिलित हैं जो तीन भारत-पाकिस्तान करारों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं । १० सितम्बर, १९५८ को जो करार हुआ है वही मुख्य करार हैं । दूसरा २३ अक्तूबर, १९५९ का है और तीसरा करार ११ जनवरी,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६० का है। मेरा विचार है कि अच्छा यह होगा कि आगे की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर दूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में अर्जित किये गये कुछ राज्य क्षेत्रों को आसाम, पंजाब और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में विलय और तत्सम्बन्धी उपबन्धों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं पहले इस प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद प्रधान मंत्री से दूसरे प्रस्ताव को रखने के लिये निवेदन करूंगा।

†**श्री सुबिमन घोष** (बर्दवान) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। और वह यह है कि यह विधेयक संविधान की शक्ति से परे है। क्योंकि इस विधेयक के द्वारा हम भारत-पाकिस्तान करारों को क्रियान्वित करने जा रहे हैं। पहला रेडक्लिफ पंचाट था जिसके कारण भारत और पाकिस्तान बने। बाद को आगे न्यायाधिकरण बना। उस समय पाकिस्तान सरकार ने बेरूबाड़ी के बारे में कोई झगड़ा नहीं किया। बाद को पाकिस्तान और भारत के प्रधान मंत्रियों के बीच करार हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आपका औचित्य प्रश्न क्या है ?

†**श्री सुबिमन घोष :** औचित्य प्रश्न यह है कि यह विधेयक संविधान की शक्ति से परे है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्यों और कैसे ?

†**श्री सुबिमन घोष :** वही मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच यह झगड़ा एक बार सदैव के लिये ही समाप्त हो गया था। १९५२ में रेडक्लिफ पंचाट के आधार पर पाकिस्तान ने झगड़ा खड़ा किया और मेरा विचार है कि बेरूबाड़ी का मामला तो साधारण रूप से ही समाप्त हो जाना चाहिये था।

मेरा औचित्य प्रश्न करार के बारे में है। यह विधेयक उसी करार पर आधारित है।

†**अध्यक्ष महोदय :** न तो अब हम कोई समझौता ही कर रहे हैं और न करने जा रहे हैं और न उनमें कोई संशोधन ही करने जा रहे हैं इस समय तो हम कुछ राज्य क्षेत्रों को अर्जित कर रहे हैं जो पाकिस्तान के हैं। क्या माननीय सदस्य इस अर्जन के बारे में कोई औचित्य प्रश्न उठा रहे हैं। वह तो औचित्य प्रश्न नहीं है। (**अन्तर्बाधाएं**)।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : अर्जित क्षेत्रों के बदले में हम कुछ क्षेत्र दे भी रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार के वाद विवाद की आज्ञा मैं नहीं दे सकता। कोई भी अध्यक्ष एक विधेयक को संविधान की दृष्टि से रद्द नहीं कर सकता अथवा उसके बारे में अनुमति न देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकता। वह तर्क करने के लिये अनुमति दे सकता है। यह काम तो सदन का है कि वह सभी बातों पर अच्छी तरह विचार करके कोई निर्णय करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-पूर्व) : इस विधेयक के बारे में शुरू से लेकर अब तक ही यह बड़ी असाधारण बात रही है कि इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि क्या यह विधेयक संविधान की शक्ति से परे है अथवा नहीं। यदि एक बार यह विधेयक यहां पारित हो गया तो हमारा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को चला ही जायेगा। और फिर हमारे पास कोई उपचार नहीं रहेगा। अतः इस विधेयक के बारे में पहले आप यह निर्णय करें कि क्या यह विधेयक संविधान की शक्ति के परे है अथवा नहीं। और ऐसा निर्णय करना आपके अधिकार में है। यदि यह निर्णय हो जाता है कि यह विधेयक शक्ति से परे है तो इस पर सभा में विचार नहीं करना चाहिये। क्योंकि यदि यह एक बार विधि बन गई और इसके अनुसार कुछ राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को चले गये तो फिर से उन्हें प्राप्त करने के लिये कुछ नहीं हो सकता। अतः इस बात को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया जाना चाहिये कि क्या यह विधेयक संविधान की शक्ति से परे है अथवा नहीं।

†श्री सुबिमन घोष : इस विधेयक के आधार पर हम १० सितम्बर, १९५८ के करार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि हम तो किसी दूसरी बात पर ही विचार कर रहे हैं। उद्देश्य और कारणों के विवरण में तथा अन्य स्थानों पर भी यह कहा गया है कि हम १० सितम्बर, १९५८ के करार के आधार पर बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को दे रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद स्थिति ही बदल गई। उसने निर्णय दिया कि बेरूबाड़ी के बारे में झगड़े की कोई बात ही नहीं थी। भारत के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बात चीत की। भारत के प्रधान मंत्री का कभी भी यह मंतव्य नहीं था कि वह पाकिस्तान को बेरूबाड़ी क्षेत्र भेंट कर रहे हैं। यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो यह उन्हें नहीं करना चाहिये था क्योंकि इस प्रकार वह अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ गये और उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें पाकिस्तान को यह भेंट देने का कोई अधिकार नहीं था।

†अध्यक्ष महोदय : मैंने औचित्य प्रश्न को अच्छी तरह सुन लिया है। प्रधान मंत्री तथा सरकार का यह विचार था कि यह मामला केवल कुछ राज्य क्षेत्रों के आदान प्रदान का ही था। अतः इसके लिये संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह मामला कुछ राज्य क्षेत्र देने का है अतः संविधान में संशोधन करना चाहिये। अपने राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने की बात का निर्णय करना इस सदन के क्षेत्राधिकार में आता है। यह विचार करना इस सभा के लिये ही है कि वह अपना राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राज्य क्षेत्र के बदले में दे अथवा वैसे ही दे दे। अतः यह संविधान की शक्ति से परे की बात है अथवा नहीं क्या यह हमारे क्षेत्राधिकार के हैं अथवा नहीं, इन बातों का कोई प्रश्न नहीं उठता। सदन इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या हमें कुछ मिल रहा है अथवा हम किसी को कुछ दे रहे हैं। सभा को इस बात की छूट है कि वह इस बारे में मतदान कर सके। अतः जहां तक यह मामला है इस बारे में औचित्य प्रश्न की कोई बात नहीं उठती। सामान्यतः (अन्तर्बाधा) यह सभा इस बात के लिये सक्षम है कि वह अपने राज्य क्षेत्र का कोई भी भाग दूसरे को दे सके।

सामान्यतः भाषण के बाद प्रस्ताव सभा में रखा जाता है। मैं इस विषय को स्पष्ट करने के लिये दोनों प्रस्तावों को सभा में रख रहा हूं। प्रधान मंत्री से कहूंगा कि वह इस पर अपने विचार व्यक्त करें। वह पहला प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं :

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†भूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री अपना दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में कुछ राज्य क्षेत्रों के पाकिस्तान को हस्तानन्तरण को कार्यान्वित करने के लिये भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सुबिमन घोष : इस विधेयक के बारे में मेरा एक दूसरा औचित्य प्रश्न है । यह विधेयक कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति के मूलभूत सिद्धान्त के बिल्कुल विरुद्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपका अभिप्राय यह है कि इस सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे देश को अपने कुछ राज्य क्षेत्रों को देने के लिये संविधान में संशोधन कर सके । यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । हमें तो केवल यह देखना है कि क्या ऐसा करने के लिये यह सभा सक्षम है अथवा नहीं । सभा सक्षम है और वह इस बारे में निर्णय कर सकती है ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मेरा दूसरा ही औचित्य प्रश्न है । यह सभा संविधान के अनुसार बनी है । संविधान के अनुसार कोई भी राज्य क्षेत्र दूसरे को नहीं दिया जा सकता । संविधान में संशोधन करने की सक्षमता तो इस सभा को अथवा इसके सदस्यों को है, लेकिन यह संशोधन उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि सभा के ये सदस्य जनता द्वारा नये चुनाव में निर्वाचित न हों ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक श्री वाजपेयी के औचित्य प्रश्न की बात है यह बात सच है कि शुरू में संविधान में राज्य क्षेत्र देने के बारे में व्यवस्था नहीं थी । लेकिन बाद को परिस्थिति ऐसी होती गई कि सरकार को शांति बनाने के लिये कुछ राज्य क्षेत्र देने पड़े । यह सभा पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे अथवा नहीं । यह ठीक है कि कुछ गम्भीर मामले आ गये हैं और कुछ नीति परिवर्तन की भी आवश्यकता पड़ गई है । लेकिन संविधान में इस बात की भी व्यवस्था नहीं है कि ऐसे मामलों पर हर बार निर्वाचन हो । और ऐसा काम निकालने के लिये सभा पर विश्वास किया है । हो सकता है कि कुछ छोटे देशों मे चुनाव फिर से होता होगा । इस सम्बन्ध में न्यायोचित बात क्या है वह निश्चय करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । लेकिन जहां तक संविधान की बात है इस बारे में अलग से चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है । अतः यह विधेयक बिल्कुल ठीक है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने सभा के सामने दो बिल रखे हैं । इनमें कुछ ऐसे मामले हैं जिनको लेकर लोगों में खास तौर से पश्चिमी बंगाल के लोगों में, काफी उत्तेजना फैली है । एक हद तक तो मैं इसको समझ सकता हूं, लेकिन उसका एक बुरा नतीजा भी निकला है, जो किसी कदर कम अहमियत नहीं रखता । बुरा नतीजा यह निकला है कि इस सिलसिले में कई बड़े गैर-जरूरी ऐसे सवालात उठाये गये हैं जिनका असल मसले, बुनियादी मसले से कोई सीधा ताल्लुक नहीं, और उनकी वजह से असल मसला साफ-साफ दिखाई भी नहीं देता । समझना मुश्किल हो जाता है कि बुनियादी बात आखिर है क्या । इसीलिये मैं सभा के सामने उन मसलों को एक ज्यादा आसान शक्ल में पेश करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हम, गैर-जरूरी सवालात में उलझे बगैर, सीधे उन पर ही गौर कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

राज्य क्षेत्रों के हस्तान्तरण और अर्जन के सिलसिले में एक बात ऐसी है जिसकी हम सभी को फिक्र है और होनी चाहिये। इलाकों के तबादिले के साथ, उन इलाकों में रहने वालों का सवाल भी जुड़ा रहता है। वह एक बुनियादी चीज है। हमें कोशिश यही करनी चाहिये कि ऐसे मामलों में कोई भी ऐसा काम न हो जिसका असर हमारे देश के किसी भी नागरिक की इच्छा के खिलाफ पड़े।

इसीलिये इस सिलसिले में आगे कुछ और कहने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं वह यह कि जिन भी इलाकों का हस्तान्तरण किया जा रहा है अगर उनमें रहने वाले लोग भारत में आना चाहेंगे, तो उनकी सहायता करना और उनको बसाना हमारा अपना फ़र्ज़ होगा वे लोग भारत आना चाहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन कितने लोग आना चाहेंगे, यह अभी नहीं बताया जा सकता। यह एक ऐसा पहलू है, जो फौरन हमारे जज़बात उभार देता है, जैसा कि पश्चिमी बंगाल में हुआ। और ठीक भी है। लेकिन हम हर मामले में अपने जज़बात को ही आगे रखकर तो नहीं चल सकते। हमें उसके दूसरे पहलुओं को, समूचे देश की भलाई को भी देखना पड़ेगा। इसकी यही कसौटी है।

इस सिलसिले में प्रधान मंत्री की इज्जत का भी हवाला किसी ने दिया था, यहां सभा में नहीं, बाहर कहीं। जाहिर है कि अगर किसी आदमी को इतने बड़े ओहदे पर बैठाया जाता है और वह समूचे भारत देश के नाम में कोई बात कहता है, तो उसके अल्फ़ाज़ के साथ कुछ इज्जत तो जुड़ जाती है, और जुड़नी भी चाहिये। वह इज्जत जाती तौर पर उस आदमी की नहीं, उसके ओहदे की होती है। लेकिन ऐसा एक उसूल सा बना लेना बिल्कुल ग़लत होगा कि प्रधान मंत्री की इज्ज़त देश की भलाई, उसके हितों से भी ऊपर है, बड़ी है। ग़लत बात है। इसकी सफ़ाई होनी चाहिये। सभा जब इस मामले पर गौर कर रही है तो वह इसकी अपनी अच्छाई-बुराइयों को देखकर ही कोई फैसला इसके बारे में करेगी। सभा देखेगी कि यह सारा काम वाकई पूरे देश और बंगाल की भलाई के लिये है या नहीं। असल कसौटी यही है। प्रधान मंत्री तो आज एक आदमी है, कल दूसरा हो सकता है। वह ग़लतियां भी कर सकता है। लेकिन अगर हमारी सरकार या हमारी संसद् कोई ऐसा काम करे जिसका पूरे देश पर बुरा असर पड़े, तो उसे जिम्मेदारियां निभाने लायक नहीं समझा जायेगा।

इसलिये इस मामले पर गौर करते वक्त हमें प्रधान मंत्री की जाती इज्जत के सवाल को उठा कर एक तरफ रख देना चाहिये। हां लेकिन एक बात है कि पूरी तस्वीर पर विचार करने के लिय उसके एक हिस्से को अलग रखना आसान भी नहीं है। इसलिये कि वह भी पूरी तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा होता है। दो देशों से ताल्लक रखने वाले मामलों में ऐसे करारों के मामलों में हमें पूरी तस्वीर, उसका हर पहलू अपने सामने रखना चाहिये। दो देशों के बीच होने वाले किसी भी करार का मतलब क्या होता है? यही कि पहले उनमें समझौता नहीं था, कुछ ऐसे मसले थे जिन पर वे एक राय नहीं थे और इसी लिये दोनों ने बैठकर बातें की और समझौता करने की कोशिश की समझौते का यह भी मतलब होता है कि दोनों देशों ने फायदों और नुकसान को एक तराजू में तोला और जब फायदे ज्यादा वजनी नजर आये तो समझौता कर लिया। अगर फायदे ज्यादा नजर नहीं आते, तो समझौता होता ही नहीं है।

इसीलिये हर करार या समझौते पर गौर करते वक्त उसके सभी पहलू देखना जरूरी होता है। 'हमें यह या वह पसन्द नहीं'—का ही राग अलापने से कोई फायदा नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जो कि किसी को भी पसन्द नहीं हो सकतीं, लेकिन उनको इसलिये मानना पड़ता है कि दूसरी तरफ

कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको हम और भी ज्यादा नापसन्द करते हैं। इसलिये कम और ज्यादा नापसन्द चीजों को एक साथ रख कर देखने पर ही कोई सही फैसला किया जा सकता है।

मुख्य करार १० सितम्बर को हुआ था जिसे 'नेहरू-नून करार' कहा गया है। २३ अक्तूबर का करार कुछ मामलों में पहले करार का ही नतीजा है। इस साल की ११ जनवरी का करार पंजाब के कुछ मसलों से ताल्लुक रखता है। ये करार उन्हीं मसलों और विवादों के बारे में हैं, जो देश के बंटवारे के बाद से अब तक हमारे सिर-दर्द बने रहे हैं। यह समझना ग़लत होगा कि इनमें कोई नया मसला है। ये सभी मसले एक अर्से से हमारे सामने रहे हैं और कई साल से हम जब तब उन पर गौर भी करते रहे हैं। हम शुरू से ही यह मानते रहे हैं कि वे मसले देश के बंटवारे और रेडक्लिफ एवार्ड की अलग-अलग ढंग से की जाने वाली व्याख्या से ही पैदा हुए हैं। अब देश का बंटवारा और रेडक्लिफ एवार्ड अच्छा था या बुरा—इसका तो सवाल नहीं। उनको तो हमें मानना ही पड़ेगा। और जब 'रेडक्लिफ एवार्ड' माना गया तो उसकी व्याख्या के बारे में झमेला खड़ा हो गया। बड़े-बड़े देशों में भी ऐसा होता है। एक से एक काबिल वकील होते हैं राजनीतिज्ञ होते हैं, जो ऐसे एवार्डों की अलग-अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। इसलिये इसकी जड़ में देश का बंटवारा ही है। उसी से यह सारे झगड़े पैदा हुए हैं। उसके बाद आते हैं रेडक्लिफ, जिन्होंने दोनों देशों के बीच की सीमा झगड़े वाली सीमाओं के बारे में एक फैसला दिया और हमें उसे मानना ही पड़ा। सभी को मानना पड़ता है। लेकिन जब हम उसे अमल में लाने लगे सीमा की उन लकीरों को नक्शे में खींचने लगे, तब कुछ चीजों के बारे में दूसरे ही ढंग की व्याख्या पेश की जाने लगी कि रेडक्लिफ का मतलब यह नहीं वह था। उस के फैसले के लिये फिर एक कमीशन बनाया गया—बागे कमीशन। तब उस कमीशन ने फैसला किया कि रेडक्लिफ एवार्ड की ठीक-ठीक व्याख्या क्या होनी चाहिये, उसके हिसाब से ठीक-ठीक सीमा क्या होनी चाहिये।

इस तरह एक के अलावा, बाकी सभी मामले रेडक्लिफ एवार्ड से ही पैदा हुये हैं, बागे कमीशन ने उसकी जो व्याख्या की उसकी बिना पर और बागे कमीशन की व्याख्या के सिलसिले में उठने वाले विवादों की बिना पर वे मामले पैदा हुए। इस तरह एक-एक करके भारत और पाकिस्तान के बीच नाइत्तिफाकी का दायरा कम होता गया। रेडक्लिफ एवार्ड ने झगड़े की कुछ बातों की सफाई की और जस्टिस बागे ने कुछ और आगे की बातों की सफाई की। दोनों देशों के बीच इन मामलों पर पिछले आठ-दस साल से बहस चल रही थी। मैंने इस दौरान इन मामलों पर कई बार सोच-विचार किया है। मैंने इनके बारे में एक नहीं बीसियों नक्शे, चार्ट और तरह-तरह के कागजात देखे हैं। और इन्हें देख कर बड़ी नाउम्मेदी सी होती थी। और हम चाहते थे कि यह सब झगड़े तय हों।

सभा में इन मामलों को लेकर कई बार कई तरह के सवालात पूछे जाते थे, स्थगन-प्रस्ताव रखे गये थे। पिछले तीन साल के दौरान यह कई बार पूछा गया कि सीमा पर ऐसा या वैसा क्यों हुआ, कोई हमला क्यों हुआ। इसलिये बड़ा अच्छा और बड़ा जरूरी था कि इन मामलों से ताल्लुक रखने वाले विवादों को खत्म किया जाता, क्योंकि सीमा के बारे में एक कोई फैसला न होने की वजह से ही वे सारी गड़बड़ियां होती थीं। हम इसी नजरिये से पिछले कई साल के दौरान इन समस्याओं का कोई हल निकालने की कोशिश में लगे थे, लेकिन इन करारों के पहले पाकिस्तान सरकार उसके लिये कोई खास उत्सुक नहीं थी।

मैं नहीं कहता कि सीमा के बारे में हमने जब भी जो कहा वही जरूरी तौर पर ठीक था। देशों की तरफ से कानूनी दलीलें पेश की जाती हैं और हमें कानून मानना पड़ता है। हर देश अपनी अपनी जगह पर अड़ जाता है और तब उनमें समझौता नहीं हो पाता। लेकिन हमने देखा कि सितम्बर,

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

१९५८ के बाद कई कारणों से पाकिस्तान ने पहले जैसी कानूनी हठ छोड़ दी और अड़चनें पैदा करने का रवैया छोड़ दिया था। तभी ये करार होने शुरू हुए थे दोनों देश इन विवादों से तंग आ गये थे। इसलिये इन पर बात करना हमारे लिये ज्यादा आसान हो गया था।

जैसा कि मैंने बताया, हमारे सामने ये सवालात पिछले दस-बारह साल से थे। कभी इन में से कुछ ज्यादा अहम बन जाते थे, और कभी कुछ और। कुछ सवालात बाद में हालात आगे बढ़ने पर हमारे सामने आये। इस दौरान इन मामलों के बारे में कई कान्फ्रेंसें हुईं--दोनों देशों के अफसरान की। कभी सेक्रेटरियों की कान्फ्रेंसें हुईं और कभी मंत्रियों की। जिनका नतीजा हुआ कि कुछ मामलों पर दोनों में इत्तिफाक हुआ। फिर भी सीमा का बड़ा सवाल तय नहीं हो पाया। उन कान्फ्रेंसों में एक-एक करके ये सवालात लिये जाते रहे। मान लीजिये कि एक कान्फ्रेंस में हमने पंजाब की सीमा का सवाल लिया, और दोनों पक्ष एक किसी बात पर अड़ गये। न हम कुछ छोड़ने को तैयार हुए, न वे और कान्फ्रेंस फेल हो गई। कभी कुछ इत्तिफाक हुआ, और कभी नहीं भी हुआ। इसी तरह कई कान्फ्रेंसें हुईं। यह कहना भी सही नहीं होगा कि हमारी हर बात सौ फी सदी ठीक थी, और उनकी हर बात सौ फी सदी ग़लत। देशभक्ति के नजरिये से तो माना जा सकता है कि हमने जो भी कहा, ठीक कहा, हमारी बात ही सही थी, फिर चाहे वह ग़लत ही रही हो। लेकिन मैं इस मामले में वह रवैया नहीं अपनाना चाहता।

सीमा से ताल्लुक रखने वाले ये सवालात जरा टेढ़े होते हैं, उनकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं होता। वैसे तो देश का बंटवारा, विभाजन ही बुनियादी तौर पर असंगत और तर्क विरुद्ध था। और जब बुनियादी तौर पर किसी असंगत बात को मजबूरी में मानना पड़े, तो जाहिर है उसके परिणाम भी उतने ही असंगत होंगे। हमें उनका भी सामना करना ही पड़ेगा। इन सवालात के बारे में यही मुश्किल थी। इसलिये गौर करने की बात है कि इन मामलों में अच्छाई और बुराई की कसौटी नहीं रखनी थी। खास बात यह थी कि कानूनी ढंग से इनकी व्याख्या क्या की जा रही है। स्वाभाविक है कि हम अपनी तरफ से हर सवाल की जो कानूनी व्याख्या करते हैं, उसी को सही मानते हैं और फिर हम दूसरी तरफ से पेश की जाने वाली कानूनी दलीलों पर गहराई से विचार नहीं करते। जो भी हो; इस बारे में दोनों तरफ के बड़े-बड़े अफसरान की कई कान्फ्रेंसें हुईं अलग-अलग सवालों को लेकर, मील-दो मील की सीमा के अलग-अलग मसलों पर।

और उन कान्फ्रेंसों के बाद, उनकी बिना पर एक नया नजरिया पैदा हुआ कि इस पूरी समस्या को एक माना जाये और उस पर उसी ढंग से बात की जाये। नतीजा यह हुआ कि एक नया वातावरण बन गया और दोनों तरफ से इस समस्या का हल निकालने के लिये ईमानदारी से कोशिशें शुरू हुईं और तभी यह करार हुआ। इस करार से पहले, यानी सितम्बर, १९५८ से पहले, दोनों तरफ के अफसरान की कई बैठकें कराची में हुई थीं। हमारे अफसरान पाकस्तिान गये और उनके अफसरान हमारे यहां आये। इसलिये यह समझना ग़लत होगा कि यह करार एक ही बार में एकाएक किया गया था। इसके सभी पहलुओं पर काफी गहराई से सोच-विचार हुआ था। यह दूसरी बात है कि फैसले ग़लत हों या सही, लेकिन जो भी फैसले हैं काफी सोच-विचार के बाद किये गये हैं। उनमें कई साल लगे हैं। और इस दौरान वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने इन सवालात से ताल्लुक रखने वाली राज्य सरकारों के साथ काफी नजदीकी सम्पर्क रखा है, क्योंकि हमारा ख्याल है कि राज्य-सरकारें ऐसे मामलों में कभी-कभी एक सीमित दृष्टिकोण अपना सकती है। इसीलिये इनके बारे में राज्य-सरकारों से

बराबर लिखा पढ़ी होती रही । कराची, रावलपिंडी, ढाका, कलकत्ता या यहां दिल्ली में, जहां भी अफसरान की कान्फ्रेंसें हुईं, उनमें राज्य-सरकारों के नुमाइन्दे भी शामिल होते रहे । आम तौर पर यही होता है । अफसरान की कान्फ्रेंसों में उनका नेता, आम तौर पर कामनवैल्थ सेक्रेटरी ही रहता है, क्योंकि उसे इन मामलों की गहरी जानकारी है, वह इनके सभी पहलू जानता है ।

इस तरह, सितम्बर, १९५८ में दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की कान्फ्रेंस के लिये एक-एक कदम आगे बढ़ कर, रास्ता साफ़ किया गया । प्रधान मंत्रियों की कान्फ्रेंस एक सिलसिले का नतीजा थी । उसके लिये जमीन तैयार की गई थी । एक-दो महीने पहले कराची या रावलपिंडी में अफसरों की ठक में हर मामले पर चर्चा की जा चुकी थी । उसके बाद ही हम दोनों मिले थे और तब भी एक बार फिर दोनों तरफ के अफसरान ने इन पर चर्चा की थी ।

अब एक बहस उठ खड़ी हुई है कि इनके बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार के नुमाइंदों से सलाह की गई थी, या नहीं । ऐसी बहस खड़ी होना एक बड़ी अफसोसनाक बात है । मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कहीं कोई ग़लतफहमी ज़रूर हुई होगी । इसलिये कि इस पूरे दौरान में जितनी भी बहस या चर्चा हुई है उसमें सभी ने एक साथ मिलकर हाथ बंटाया है । लगता है कि कहीं कोई चूक हुई है, जिससे लोगों के समझने में कुछ फर्क पड़ गया है । हो सकता है कि ग़लती मेरी ही हो । मैं तो एक पक्के तौर पर यही समझ लेकर इस मामले में आगे बढ़ रहा था कि चर्चा में जितने भी राज्य भाग ले रहे हैं वे सभी यानी पंजाब, आसाम और पश्चिमी बंगाल के नुमाइंदे, उनके अफसरान—इन फैसलों से इत्तिफाक करते हैं । मैं यही मान कर चल रहा था । यदि इसमें शक होता, तो मैं आगे न बढ़ता । लेकिन हो सकता है कि इस तरह मान लेना ठीक न रहा हो और कामनवैल्थ सेक्रेटरी या मैंने उसे ठीक न समझा हो । खैर जो भी हो इस मामले में मैं सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता । लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सम्बन्धित राज्यों से पूछे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते । ऐसा करना ग़लत होगा ।

ख़ैर ! हम दोनों प्रधान मंत्रियों की मुलाकात हुई । उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे । हमने उन पर विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके फायदे और नुकसान को देखते हुये वे प्रस्ताव अच्छे ही हैं । बाद में वे प्रस्ताव करार में रख दिये गये । इन प्रस्तावों में कुछ ऐसी बातें थीं जो हमें पसन्द नहीं थीं, जिनको गले से नीचे उतारना तकलीफदेह था ; लेकिन साथ ही कुछ बातें ऐसी भी थीं, जो हमें पसन्द थीं । लेकिन सवाल तो यह था कि या तो उन सबको नामंजूर किया जाये, या सबको मंजूर किया जाये । यह कहना ग़लत होता कि हम उन प्रस्तावों के ७५ फी सदी भाग को ही मंजूर करते हैं, २५ फी सदी भाग को नामंजूर । सवाल सौ फी सदी लेने या ठुकराने का था ।

इसीलिये हमने उन सभी को मंजूर किया । उनके फायदे और नुकसान दोनों को देखते हुये, कहा जा सकता है कि कुल मिला कर वे प्रस्ताव समूचे देश ही नहीं, देश की समूची सीमा ही नहीं, पश्चिमी बंगाल और उसकी जनता के लिये भी अच्छे रहेंगे । हमारा यही नजरिया था ।

इस सिलसिले में याद रखने की कुछ बातें ये हैं। पहली तो यह कि यह कोई अलग मसला नहीं, बल्कि पूरी समस्या का ही एक हिस्सा है । कुछ लोग जब इसे एक नये मसले के रूप में पेश करते हैं, कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के दबाव में आकर उनकी बात मानी है, तब वे भूल जाते हैं कि यह मसला देश के बंटवारे का ही एक लाजिमी नतीजा है, उसी से पैदा हुआ है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है । इसे अलग रख कर नहीं देखा जा सकता । यह मसला, बंटवारे की उसी बड़ी समस्या का एक हिस्सा

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

है, जिसके बारे में हमने इतने अर्से में एक-एक कदम रख कर, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए, इत्तिफाक का दायरा बढ़ाया है। और अगर यह मसला बंटवारे की समस्या का ही एक हिस्सा है, तो ज़ाहिर है कि वह कानूनी व्याख्या का मामला है। और तब मेरे या वहां के लोगों के उससे इत्तिफाक करने या न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ देश का बंटवारा मंजूर करना पड़ा था और उस तरह का हर तरह का खमियाजा भुगतना पड़ा था। उसे सौगात के रूप में देश का एक हिस्सा देना नहीं कहा जा सकता।

उच्चतम न्यायालय ने इसे राज्य-क्षेत्र का अभ्यर्पण करना कहा है। बिलकुल ठीक है, सौ फी सदी ठीक है। इसलिये कि हमारे संविधान में देश की जो सीमायें बताई गई हैं उनमें यह इलाका शामिल है। इसलिये इनका तबादला करने के लिये आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, सीमाओं का विवरण ठीक करना पड़ेगा। "अभ्यर्पण" का मतलब है किसी दूसरे देश को अपना कोई क्षेत्र दे देना। इसका यह मतलब तो नहीं है कि यह मसला बंटवारे की समस्या का ही एक हिस्सा नहीं है। आप इसे अभ्यर्पण कहें या हस्तांतरण कहें, या कुछ और कहें, इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता यह करार इसी तरह हुआ था।

मैं यह भी साफ कर दूं कि जब भी ऐसा कोई करार हुआ है, मैं सभा को उसके बारे में तुरन्त बताता रहा हूं। मिसाल के तौर पर, पहला करार १० सितम्बर को हुआ था और मैंने उसके दो दिन बाद ही, १२ सितम्बर को उसके बारे में पूरे ब्यौरे के साथ एक वक्तव्य सभा में दिया था। २३ अक्तूबर का करार जब हुआ, तब सभा की बैठकें नहीं चल रही थीं। लेकिन जैसे ही सभा की बैठकें शुरू हुईं, मैंने बीच नवम्बर में उसकी रिपोर्ट पेश कर दी थी। १० जनवरी को तीसरे करार के वक्त भी सभा की बैठकें नहीं हो रही थीं, लेकिन जैसे ही ६ फरवरी को बैठकें शुरू हुईं मैंने उसकी रिपोर्ट पेश कर दी थी। हमने सभा या देश की जनता से कोई बात नहीं छिपाई।

जब पहले करार की बात सभा में बताई गई, तब पश्चिमी बंगाल सरकर ने उसके, और ख़ास तौर पर बेरुबाड़ी के इलाके के बारे में अपनी नाउम्मेदी और नाइत्तिफाकी जाहिर की थी। तब भी कुछ ऐसी बहस चली थी कि पश्चिमी बंगाल सरकार से पूछा नहीं गया था। उस सबको दोहराने से कोई फायदा नहीं। फिर, सवाल उठा कि इस करार को अमल में कैसे लाया जाये। उसके साथ, कुछ कानूनी मसले भी जुड़े हुए थे, और इसीलिये हमने फैसा किया था कि अगर राष्ट्रपति जी उस पर उच्चतम न्यायालय की राय ले लें तो अच्छा हो। हम इतने गम्भीर मामले की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे।

उच्चतम न्यायालय को सौंपने का क्या मतलब होता है ? यही कि हम जानना चाहते थे कि इस फैसले को अमल में लाने का क्या तरीका अपनाया जाये। राष्ट्रपति जी ने उच्चतम न्यायालय से यह नहीं पूछा था कि फैसला ठीक था या ग़लत, कानूनी था या गैर-कानूनी। मतलब साफ था कि फैसले को अमल में लाना है और वह न्यायालय उसके तरीके के बारे में ही अपनी राय दे।

यह मामला उच्चतम न्यायालय में करीब एक साल तक---१ अप्रैल, १९५९ से १५ मार्च, १९६० तक--- रहा। इस पूरे अर्से में पहला करार होने के बाद से ही, हम पश्चिमी बंगाल सरकार के सम्पर्क में लगातार रहे। इसको अमल में लाने के बारे में बातें हुईं। हमें इस सिलसिले में तथ्य, आंकड़े और जानकारी दी गयी। सही है कि शुरू में, १९५९ में, बंगाल सरकार और पश्चिमी बंगाल विधान सभा ने इस फैसले के, करार के, इस हिस्से का विरोध किया था। हमने उनको पूरी बात

समझाने की कोशिश की थी। बहस भी इसको लेकर चली थी। उसके बाद से सारी कार्यवाही इसी तरह चली जैसे कि उन्होंने सभी बातों का आगा-पीछा देखते हुए, इसको मंजूर कर लिया हो, कुछ नापसन्दगी के साथ। मेरे पास पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से आये हुये पत्रों का एक बड़ा पुलन्दा मौजूद है। वे पत्र अफसरान की आम ढंग की खतो-किताबत के हैं। उनमें बुनियादी सवालों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उनमें कहा गया है कि क्या किया जाना चाहिये या क्या नहीं किया जाना चाहिये। मैं फिर दोहराता हूं कि उच्चतम न्यायालय को मामला सौंपने का आधार भी यही था कि इस फैसले को मंजूर किया जाता है और अब इसे अमल में कैसे लाया जाये। अगर ऐसा न होता, तो फिर उच्चतम न्यायालय के बड़े-बड़े न्यायधीशों का वक्त ऐसी बात को तय करने में क्यों बरबाद कियाजाता जिसे हम शायद न करते। अगर अमल में लाना ही न हो, तो उसका तरीका पूछने का कोई सवाल ही कहां उठता है? उच्चतम न्यायालय ने काफी सोच-विचार के बाद, सावधानी के साथ अपनी राय जाहिर की है।

उच्चतम न्यायालय की राय है कि हम इसको अमल में लाने के लिये तीन तरीके अपना सकते हैं। हमने उन तीनों में से एक को ज्यादा ठीक समझा है, और उसी फैसले के मुताबिक मैंने सभा में यह विधेयक पेश किया है। यह उच्चतम न्यायालय की सलाह के मुताबिक ही किया जा रहा है।

कुछ समय पहले इस सभा में कुछ विधि संबंधी प्रश्न उठाये गये थे अतः उन के सम्बन्ध में, मैं बताना चाहता हूं कि जो रास्ता हम ने अपनाया था वह उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार ही था। अब उन्हीं चीजों के बारे में दोबारा कहना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि मैं एक बार पहले इस सम्बन्ध में काफी कुछ कह चुका हूं।

उच्चतम न्यायालय में पश्चिमी बंगाल के सुप्रसिद्ध वकील पेश हुए थे। उन्हों ने उस मामले पर बहस की कि इसे कैसे किया जाये किन्तु समझौते के आधार को चुनौती नहीं दी।

यद्यपि इस प्रश्न में भावुकता का समावेश है तथापि यह तुलनात्मक दृष्टि से सरल ही है। जहां तक कानून का प्रश्न है हमें कानून के अनुसार ही चलना होगा। अगर कोई कहता है जैसा कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने औचित्य प्रश्न उठा कर कहा, कि इस संसद को अपना क्षेत्र समर्पित करने का अधिकार नहीं, यह बड़ी असाधारण सी बात है। अपना क्षेत्र तो देना कोई चाहता भी नहीं परन्तु यह कहना कि इस सभा की प्रभुत्व-सम्पन्नता सीमित है या मर्यादित है, यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई साधारण व्यक्ति या कानून का जानकार कभी नहीं मान सकता। यह तर्क उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था और वहां पर इस पर काफी विचार हुआ है। इस तरह से इस सभा के अधिकार कम हो कर रह जायेंगे और इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस सभा को हर तरह का अधिकार है परन्तु इस के प्रयोग को आप जितना चाहें कठिन बना सकते हैं। आप इस को मर्यादित कर सकते हैं; इसे और कठिन भी बना सकते हैं।

विधि सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में सारे हालात बताते हुए मैं ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने एक तरीके का सुझाव दिया था और कहा था कि मामले को इस प्रकार से ही हल किया जा सकता है परन्तु हम ने जानबूझ कर ही उस तरीके को नहीं अपनाया क्योंकि भविष्य में इस तरह से क्षेत्र समर्पित करने की प्रणाली आसान हो जाती। हम तो इस प्रणाली को और भी कठिन बनाने के पक्ष में हैं। ताकि यह सभा भी साधारण से मतदान से ऐसा न कर सके। किन्तु इस बात के ऊपर आपत्ति नहीं की जा सकती कि सभा को हर चीज करने का अधिकार है।

तो विभाजन के परिणामस्वरूप सही सीमाओं के बारे में विवाद अभी पड़े हुए हैं। उन झगड़ों को कुछ न्यायाधिकरणों को सौंपा जाता है परन्तु फिर भी कुछ चीजें बची रह जाती हैं। ऐसे विवाद वर्षों

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

तक चलते हैं और सम्मेलनों, बैठकों आदि में इन की चर्चा होती रहती है। कुछ हल हो जाते हैं और कुछ फिर रह जाते हैं। अन्ततः हम प्रधान मंत्री स्तर पर मिलकर उन सब पर विचार करते हैं और उन्हें सुलझाने में सफल हो जाते हैं। समझौता कुछ लेन देन के आधार पर होता है। मैं यह बात फिर कहता हूं कि यह समझौता केवल मात्र कुछ क्षेत्र के अर्जन तथा कुछ के समर्पण के बारे में नहीं है। इस में सीमा सम्बन्धी अनेक झगड़ों को वापिस लेने का प्रश्न भी अन्तर्ग्रस्त है। यह भी हमारे लिये लाभ की बात है कुछ हमारे कब्जे के इलाकों के बारे में भी झगड़े थे, वे उन पर आपत्ति करते थे किन्तु अब ये झगड़े वापिस लिये गये हैं। हमें इन सारे तथ्यों पर एक साथ विचार करना चाहिये। अतः हमारी इच्छा थी कि विभाजन की जो यह बुरी विरासत है वह सदा के लिये समाप्त हो जाये। और मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं कि इतने वर्षों के झगड़े को निपटाने के लिये हम ने जो कुछ किया है वह न केवल पश्चिमी बंगाल के हित में है अपितु सारे देश के लिये भी उपयोगी है। यदि हम ऐसा न समझते तो कदापि यह काम न करते। यह जल्दबाजी में नहीं हुआ है। इस पर वर्षों लगे हैं। बड़ी कोशिशों के बाद यह समझौता हो पाया है।

इस सम्बन्ध में एक विचित्र चीज भी है जिस के बारे में माननीय सदस्य भाषणों के दौरान विचार व्यक्त करेंगे और वह यह है कि इन विधेयकों द्वारा हम भारत की सीमाओं में परिवर्तन करते जा रहे हैं परन्तु फिर भी इन विधेयकों में यह नहीं है कि ठीक ठीक और वास्तविक परिवर्तन क्या होगा। यह चीज विचित्र है परन्तु यह इस कारण हुआ कि हमारे लिये दूसरा रास्ता ही नहीं था; सीमा का निर्धारण पहले होना है। यदि आप कहें कि पहले निर्धारण करा लीजिये। तब यहां आइये, यह चीज भी हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जब तक हमें वैध अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम विवादग्रस्त क्षेत्र का सीमांकन भी नहीं कर सकते। शायद कलकत्ता उच्च न्यायालय का भी एक निर्णय था कि विधि सम्बन्धी स्वीकृति के न होते हुए ऐसा काम नहीं हो सकता। इस कारण हम द्विविधा में फंसे थे। अतः कानूनी मंजूरी के अभाव में हम ऐसा नहीं कर सकते। संसद् की मंजूरी के बाद ही सीमांकन का काम शुरू होगा। अतः उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार हमें इस सभा की स्वीकृति लेने को यहां आना पड़ा। संसद् की स्वीकृति के बाद ही पंजाब में भी हम इस प्रकार का काम कर सकेंगे। हालांकि पंजाब के बारे में तो किसी प्रकार का कोई झगड़ा भी नहीं है; झगड़ा केवल बेरूबाड़ी का है। पंजाब की सरकार तो हम से आग्रह करती रही है कि हमें शीघ्रता करनी चाहिये और क्षेत्रों के विनिमय में विलम्ब न करना चाहिये। इसी तरह आसाम सरकार भी हम पर जोर देती रही है। उन की सरकारें और विधान सभायें भी सहमत हो चुकी हैं। अब यह बात अलग है कि क्षेत्र ज्यादा है या कम परन्तु सीमांकन का काम तो वहां पर होना है। इसलिये इन विधेयकों को संसद् के सामने रखने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता न था ताकि संसद् की कृति ले कर हम सीमांकन का काम शुरू करें। इसका यह बतलब नहीं कि हस्तान्तरण शीघ्र ही हो जाता हैं। सीमांकन का काम चलता रहता है और न जाने इस काम में कितनी देर लग जाये। इस में ज्यादा देर तो नहीं लगनी चाहिये, कुछ क्षेत्र तो छोटे छोटे हैं जैसे त्रिपुरा का क्षेत्र। शायद वहां पर एक सौ गज के करीब भूमि का प्रश्न ही अन्तर्ग्रस्त है। इसे तो शायद वहां के आयुक्त एक आध दिन में ही निबटा सकते हैं पंजाब में भी इस चीज पर देर नहीं लगनी चाहिये। परन्तु शायद बेरूबाड़ी के मामले में कुछ देर लग जाये; कितनी देर लगेगी यह मैं नहीं कह सकता। किन्तु यह चीज तो होती ही है। सीमा का सही निर्धारण दोनों देशों की सरकारों की

---

†मूल अंग्रेजी में

पारस्परिक सहमति से ही हो सकता है। यदि समझौता होने में ही देर लगे तो उस पर अमल करने में देर लगती ही है। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा हम और कौन सा रास्ता अपना सकते थे।

श्री त्यागी ने सही निशान तथा रेखाओं के बारे में कहा। मैं यहां पर नक्शे पेश कर दूंगा। किन्तु इस के बारे में उनसे भी ठीक ज्ञान न हो पायेगा; फिर भी अनुसूचियों में सही रेखाओं का काफी हद तक वर्णन दिया गया है। टेक्नीकल भाषा की बातों को समझना इतना आसान तो नहीं है किन्तु नक्शे ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं यहां पर कुछ मानचित्र प्रस्तुत करूंगा। अतः जहां विधेयकों में "निश्चित दिन" का उल्लेख है "वहां निश्चित दिन" से अभिप्राय है उस दिन का जो कि सीमांकन के बाद तय किया जायेगा जब सीमांकन हो जायेगा तो हम एक दिन निश्चित करेंगे।

†श्री वाजपेयी: क्या समझौते पर अमल करने के लिये कोई समय-सीमा रखी गई है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : पंजाब के बारे में तो समय सीमा थी। शायद इस पर अक्तूबर, १९६० तक अमल होना था। उस के बाद फिर दोनों देशों में आपसी पत्र व्यवहार चला और कुछ कठिनाइयों को देखते हुए समय सीमा को ३१ दिसम्बर, १९६० तक बढ़ा दिया गया। किन्तु इस का सम्बन्ध पंजाब के इलाके से था पर मैं समझता हूं बंगाल आदि के बारे में समय सीमा नहीं है। किन्तु तब भी यही बात समझी गयी थी कि इसे यथा संभव शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। चूंकि उच्चतम न्यायालय में ही एक वर्ष का समय लग गया था इस कारण समय सीमा कुछ ज्यादा ही बढ़ गयी।

जैसा कि मैं ने बताया है पंजाब, आसाम तथा बंगाल के अन्य सभी क्षेत्रों के बारे में बेरूबाड़ीको छोड़ कर किसी को भी आपत्ति नहीं है। बेरूबाड़ी की समस्या उठी है। यह पश्चिमी बंगाल का भाग है। वास्तव में सितम्बर १९५८ में बेरूबाड़ी के बारे में तदर्थ समझौता किया गया था—क्योंकि वह इलाका हमारे कब्जे में था और पाकिस्तान उस सारे क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा था। यदि हम उस के बारे में कुछ न मानते तो यह खतरा था कि सीमान्त सम्बन्धी सारा समझौता ही समाप्त हो जायेगा। दूसरा रास्ता यह था कि हम तीसरा आयोग या मध्यस्थ निश्चित करते जो झगड़े को सुलझाता। उन परिस्थितियों में हम ने यही उचित समझा कि इस मामले को बजाय किसी तीसरे मध्यस्थ के पास सौंपने के जो न जाने क्या निर्णय दे, हम एक तदर्थ समझौता ही कर लें। अतः हम ने इस के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

इसी कारण उच्चतम न्यायालय ने भी इसी क्षेत्र का 'अभ्यर्पण' या 'हस्तान्तरण' कहा क्योंकि विभाजन में तो बेरूबाड़ी के खंडन की बात नहीं थी। तो उस समय यह एक तदर्थ समझौता किया गया और इसलिये इस पर उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार ही अमल किया जा सकता था। इस के बाद इन विधेयकों में एक और भी चीज है और वह है कूच बिहार के समावृत्त क्षेत्रों के बारे में। विभाजन के बाद कूच बिहार रियासत के कुछ छोटे मोटे क्षेत्र पाकिस्तान तथा भारत में चले गय। ठीक से तो मुझे याद नहीं परन्तु इन की संख्या, कुल मिला कर एक सौ से भी ऊपर की है। इस कारण काफी अविसुधा पैदा हो गई। जो हमारे इलाके पाकिस्तानी क्षेत्र के बीच घिर गये हमें वहां जाने में ही दिक्कत होगी और इसी प्रकार से उन्हें भी काफी दिक्कत हो गयी। इस से आप लोगों को बड़ी असुविधा होने लगी और चोरी छिपे व्यापार करने वाले लोगों या अपराधियों की गतिविधियां तेज हो गयीं।

अतः कुछ वर्षों से यह प्रश्न उठ रहा था कि इन छोटे छोटे इलाकों का विनिमय ही क्यों न कर लिया जाये। अतः उसे भी समझौते के अन्तर्गत ले आया गया। किन्तु यह बात विभाजन सम्बन्धी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

समझौते के निर्वचन का विषय नहीं थी। यह अलग चीज है। यह पाकिस्तान और भारत द्वारा कुछ राज्य क्षेत्र के हस्तान्तरण की बात है परन्तु इसे भी इसी समझौते के अन्तर्गत कर लिया गया। किन्तु जहां तक बेरूबाड़ी का सम्बन्ध है, उस के बारे में अभी स्थिति विचित्र ही है। अभी तक हम कुछ नहीं बता सकते। संसद् की स्वीकृति के बाद सीमांकन रेखा खींची जायेगी। इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि बेरूबाड़ी के कितने लोगों पर इस का असर पड़ेगा। मोटे तौर पर इतना ही कहा जा सकता है कि आधा इलाका हमारे पास रह जायेगा।

पिछली जनगणना के समय सारे बेरूबाड़ी यूनियन की जनसंख्या ५६३२ थी। यह गत जनगणना के समय की संख्या है। किन्तु पिछले दस वर्षों म इस में काफी वृद्धि हुई है। सामान्य रूप से भी बंगाल में १५ प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है। वहां पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित भी आये हैं। उन का अनुमान लगाना कठिन है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने वहां की विद्यमान जनसंख्या को १२००० बताया है और हम ने उसे ही स्वीकार कर लिया है। किन्तु तथ्य कोई नहीं जानता। अभी हाल ही में डा० राय ने मुझे नोट में लिखा था कि शायद वहां की कुल जनसंख्या ११००० है। परन्तु चूंकि उस क्षेत्र का विभाजन होगा, इस कारण चाहे वहां की आबादी ११००० लगायी जाये या १२०००, पर हमें यह समझ लेना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा ५ या ६ हजार लोगों पर इस का असर पड़ेगा। उनमें से भी कुछ मुसलमान हैं और शायद कुछ ईसाई भी होंगे।

जैसा कि मैं ने पहले ही कहा था जो लोग वहां से आना चाहेंगे उन के लिये भारत के द्वार सदा को खुले हैं। वे चाहे जब आयें। हम हर तरह से उन की सहायता करेंगे और उन्हें फिर से बसायेंगे।

इस के अलावा नागरिकता का प्रश्न उठाया गया। जो लोग कुछ क्षेत्रों के विलय के फलस्वरूप यहां आते हैं उन के बारे में कुछ कठिनाई नहीं है। नागरिकता अधिनियम, १६५५ की धारा ७ के अनुसार केन्द्रीय सरकार उन व्यक्तियों का उल्लेख कर सकती है, जो भारत के नागरिक होंगे। अतः उस बारे में कठिनाई न होगी।

दूसरी बात यह थी कि जो लोग भारत के नागरिक हैं उन्हें दूसरी राष्ट्रीयता के अपनाने को कैसे बाध्य किया जाये। वह काम तो वास्तव में विभाजन ने ही कर दिया था और यह भी विभाजन का ही परिणाम है। अतः हम किसी भी व्यक्ति को जो अब भारत का नागरिक है। यहां की नागरिकता से कदापि वंचित न करेंगे। वह जब चाहे उस क्षेत्र से आ सकता है और उसे जहां पसन्द हो वह वहां रह सकता है। यदि वह यहां आता है तो हम सहायता और पुनर्वास की सुविधायें उसे प्रदान करेंगे। किन्तु मैं यह नहीं समझता कि ऐसे हालात में जल्दबाजी क्यों की जाये। यदि लोग आना ही चाहते हैं तो वे सरकार की सहायता से आयें। वहां लोगों की जायदाद है। जायदाद को ठुकरा कर चले आना भी तो ठीक नहीं है। सब चीजों का इन्तजाम हो सकता है।

तो पहली बात यह है कि ऐसा कहना विचित्र सा है कि इस संसद् को क्षेत्र हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं। इस तर्क को आप ने अनियमित घोषित कर दिया था। उसके बाद यह है कि संधि करने का अधिकार कार्यपालिका को है, परन्तु उस पर अमल संसद् की इच्छा से ही किया जाता है और इसी कारण संसद इस बीच में आ जाती है। हमारे संविधान के अनुसार जैसे ही भारत सरकार किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर देती है वह समझौता पूर्ण हो जाता है। यदि भारत सरकार किसी प्रकार की

गलती करे तो उसे इस का दंड दिया जा सकता है। किन्तु अन्य सरकारों की भांति अधिकार तो इसे भी पूरे ही हैं। अलग देशों में अलग प्रथायें हैं। अमरीकी सरकार की प्रथायें अलग प्रकार की हैं। वहां शायद सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है। किन्तु इंगलैंड में वैसी चीज नहीं है। तो क्षेत्रों आदि के बारे में ज्यादा विस्तार में जाना इस समय लाभदायक न होगा। शायद उन में से कुछ का उल्लेख व्याख्यात्मक टिप्पण में दिया गया है। उसी से आप को ज्ञात हो जायेगा कि कितनी जनता और क्षेत्र अन्तर्ग्रस्त है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं बाद में यह जानकारी सहर्ष दूंगा।

इस समय तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बेरूबाड़ी क्षेत्र के अलावा, पंजाब, बंगाल तथा आसाम के अन्य किसी क्षेत्र के बारे में कोई विवाद नहीं है। बेरूबाड़ी के बारे में मैं ने व्यापक रूप से जानकारी देने का प्रयत्न किया है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हालांकि कुछ बातें नाखुशगवार भी हुई हैं जिन का हम सब को अफसोस है परन्तु विद्यमान परिस्थितियों में सामूहिक रूप से यह समझौता न सिर्फ ठीक और उचित है बल्कि भारत के हित में भी है। और हमें इस पर अमल करना चाहिये।

अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि ये विधेयक जिन्हें मैं ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार और उस फैसले को अमल में लाने के लिये यहां रखा है, सभा द्वारा स्वीकार किये जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक पर भी त्रिदिव कुमार चौधरी तथा श्री साधन गुप्त के संशोधन हैं; वे चाहते हैं कि राय जानने के लिये विधेयक को परिचालित किया जाय। नियम, ३४६ के अधीन मैं श्री गुप्त का संशोधन चुनता हूं।

जहां तक संविधान (संशोधन) विधेयक का सम्बन्ध है उस में भी चार संशोधन हैं, उन में से मैं श्री बाजपेयी का संशोधन चुनता हूं, दूसरे संशोधनों की जरूरत नहीं है।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर ३१ जनवरी, १९६१ तक राय जानने के लिये, इसे परिचालित किया जाये।"

†**श्री वाजपेयी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर अगले सत्र के पहले दिन तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दोनों संशोधन और मूल प्रस्ताव सभा के सामने है। मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि सभा के वातावरण को वे शांत बनाये रखें।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि संविधान संशोधन विधेयक और अर्पित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक पूरे देश और पश्चिमी बंगाल के हित में है। लेकिन प्रधान मंत्री यह नहीं समझा पाये हैं कि ये विधेयक किस प्रकार हमारे हित में है। हमारा दल हमेशा से पाकिस्तान से समझौता करने के पक्ष में रहा है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि पश्चिमी बंगाल की जनता के एक भाग के हितों का बलिदान उस के लिये क्यों किया जा रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पश्चिमी बंगाल की जनता देश के लिये बलिदान करने को तैयार है। लेकिन यह करार कुछ इस ढंग से किया गया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार को ठीक तरह से पता भी नहीं था कि इस करार का नतीजा यह निकलेगा, खास तौर से बेरूबाड़ी के बारे में।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

यह करार १९५८ में हुआ था। तभी से देश और संसद् में इस का विरोध हो रहा है सरकार ने स्वयं परिस्थिति की गम्भीरता को तभी समझा जब देश के कुछ नागरिकों ने इस प्रश्न को उच्च न्यायालयों के सामने पेश किया। प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह सभी मसले रेडक्लिफ एवार्ड और बाद आयोग के निर्णय से उत्पन्न हुए थे। दोनों देशों के बीच इन मसलों पर बातचीत चलती रही थी। उन सबको अन्तिम रूप से तय करने के लिये ही यह करार किया गया था। शायद इसीलिये प्रधान मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले राज्यक्षेत्रों का 'अभ्यर्पण' या उन को 'हवाले करना' शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। महान्यायविवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने यही सिद्ध करने की कोशिश की थी कि यह करार कुछ सीमा-विवादों के सम्बन्ध में हुआ है। और इस में भारतीय राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्पण जैसी कोई चीज नहीं है। प्रधान मंत्री ने सभा में ५ दिसम्बर को बेरूबाड़ी का उल्लेख करते हुए कहा था कि वह अपने आप में राज्य क्षेत्र का अभ्यर्पण नहीं है, हालांकि उस का परिणाम अभ्यर्पण ही हुआ। वह तो रेडक्लिफ एवार्ड की बात को मान्यता देना ही है। सीधे सीधे अभ्यर्पण शब्द का प्रयोग करते उन को हिचक महसूस हो रही थी। इस शब्द का प्रयोग सब से पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में हुआ है। महा न्यायाधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने दलील पेश की थी कि यह करार तो रेडक्लिफ एवार्ड द्वारा निर्धारित सीमा को सुनिश्चित बनाने के लिये किया गया है और चूंकि हम एवार्ड को पहले ही मान चुके हैं, इ सलिये अब इस सुनिश्चित सीमा को लागू करने या प्रभावी बनाने के लिये कोई भी नया विधान बनाना आवश्यक नहीं है। अनिश्चित सीमा को निश्चित बनाना अभ्यर्पण नहीं है।

इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया है कि करार एवार्ड की व्याख्या और उस के प्रभाव पर आधारित किसी भी निष्कर्ष पर आधारित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने करार को एवार्ड से स्वतन्त्र माना है। करार एवार्ड की व्याख्या से संबंधित विवाद ग्रस्त सीमाओं को सुनिश्चित करना भर नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस सिन्हा ने इस से सम्बन्धित अपने निर्णय में, १९५९ में कहा था कि संविधान की भावना इतनी अविचारपूर्ण नहीं हो सकती कि किसी भी नागरिक को, उस की जानकारी और रजामन्दी के बिना ही, सरकार किसी विदेशी शक्ति को सौंप सके। करार करते समय प्रधान मंत्री और उन के सलाहकारों ने समझा ही नहीं था कि करार को अमल में लाने का वास्तव में क्या परिणाम होगा।

हम इस बलिदान की परवाह न करते, अगर इस के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के संबंधों में वाकई कोई बुनियादी तबदीली हो जाती। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे सभी झगड़े तो अभी भी तय नहीं हुए हैं। प्रधान मंत्री किसी भी तरह देश की जनता को इस 'अभ्यर्पण' का समर्थक नहीं बना सकते। किसी भी दृष्टिकोण से इस को उचित नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान ने १९५२ में ही बेरूबाड़ी के लिये मुंह फैलाना शुरू कर दिया था। यदि कोई गलतफहमी हमारी सरकार को भी थी, तो वह पाकिस्तान सरकार से कह सकती थी कि बेरूबाड़ी सम्बन्धी समझौता गलतफहमी में हुआ है। और उस पर पुनःविचार किया जाये।

क्या हम इसी तरह पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे। आये दिन हमारी सीमाओं के उल्लंघन होते रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीमा विवाद बन्द हों, लेकिन यह तो उस का तरीका नहीं है।

पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कि बेरूबाड़ी की जनसंख्या १२,००० है, जिस में से केवल १०० मुसलमान हैं। प्रधान मंत्री शायद इन आंकड़ों को ठीक नहीं मानते। पता नहीं ठीक है या नहीं, पर मुख्य मंत्री ने विधान सभा को यही बताया है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि ये सभी मामले देश के बटवारे से ही उत्पन्न हुए हैं; और वह बटवारा अपने आप में असंगत और तर्क विरुद्ध था। लेकिन क्या हम बटवारे की असंगति को और भी बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान बेरूबाड़ी के लिये अपना दावा किस आधार पर करता है। बेरूबाड़ी में तो मुसिलमों की संख्या नाम मात्र की है। इसे तो साम्प्रदायिक आधार पर भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, राजनीतिक आधार की बात ही नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि फिर बेरूबाड़ी को पाकिस्तान के हवाले करने का क्या कारण है? किस दृष्टि से इसे ठीक समझा गया है?

स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा है कि बेरूबाड़ी में अधिकांशत: पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी ही बसे हैं। पिछले १३ वर्षों में पश्चिमी बंगाल सरकार ने उस क्षेत्र में उन की दशा सुधारने के लिये काफी रुपया खर्च किया है। अब पश्चिमी बंगाल सरकार को उन शरणार्थियों को फिर से बसाना पड़ेगा और उस के लिये खर्च करना पड़ेगा। प्रधान मंत्री ने भी बेरूबाड़ी के लोगों को बसने में सहायता देने का वचन दिया है। लेकिन हम देख चुके हैं कि भारत सरकार शरणार्थियों का पुनर्वास किस ढंग से करती है। भारत सरकार अभी तक पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्या हल नहीं कर पाई है। पश्चिमी बंगाल सरकार को उन के पुनर्वास पर इतना अधिक व्यय करना पड़ा है कि उस राज्य की समूची अर्थ-व्यवस्था गड़बड़ा गई है। और अब फिर बेरूबाड़ी के ४,०००–५,००० शरणार्थियों की समस्या उस के सामने आ जायेगी।

यह करार राजनीतिक सिद्धान्तों और शिष्टाचार के सर्वथा प्रतिकूल है। हम भारत के कुछ नागरिकों को, उन से बिल्कुल भी कोई राय लिये बगैर, एक दूसरे देश के हवाले कर रहे हैं। उन्नीसवीं सदी के यूरोप में ऐसा हुआ करता था। लेकिन बीसवीं सदी में तो फासिस्टों ने भी ऐसा नहीं किया। यहां तक कि पश्चिमी बंगाल सरकार से भी उचित रूप से उस की राय नहीं ली गयी।

वैसे मुझे पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ भी कोई हमदर्दी नहीं। उस ने प्रधान मंत्री को पहले तो एक तरह से अपनी मौन सहमति दे दी थी, और फिर बाद में विधान सभा में उस के विरुद्ध कहना शुरू किया। उसे पहले ही प्रधान मंत्री के कार्य पर आपत्ति उठानी चाहिये थी। लेकिन यदि सरकार ने प्रधान मंत्री के कार्य पर कोई आपत्ति नहीं भी की थी, तो भी भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल की जनता से तो पूछना चाहिये था। पश्चिमी बंगाल की जनता की राय तो इसी से स्पष्ट थी कि बंगाल विधान सभा ने २९ दिसम्बर, १९५८ को ही इस पूरे करार का अनुमोदन करते हुए एक संकल्प पारित किया था। पश्चिम बंगाल के समाचारपत्र भी हर तरह से इस करार के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा को देश के हित से सर्वोपरि नहीं मानता। प्रधान मंत्री स्वयं नहीं मानते। लेकिन कांग्रेस दल के सदस्य अब जनता के सामने इसे इसी ढंग से पेश कर रहे हैं कि अब तो यह हमारे प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। यदि प्रधान मंत्री इस के बारे में पश्चिमी बंगाल की जनता के विचारों से परिचित हैं, तो उन को कहना चाहिये कि दोनों देश बेरूबाड़ी के मसले पर फिर से विचार करें। हम पाकिस्तान से कह सकते हैं कि बेरूबाड़ी के संबंध में जो निर्णय किया गया था वह गलतफहमियों पर आधारित था और बेरूबाड़ी की जनता उससे सहमत नहीं है, इसलिये उससे सीमा उत्पातों का खतरा है और दोनों देशों को उस पर पुन: विचार करना चाहिये। यदि हम दृढ़ता से कहें, तो पाकिस्तान को सुनना पड़ेगा। मेरी भावना है कि इस मामले में पश्चिमी बंगाल की जनता से उस की राय नहीं ली गई।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

पश्चिमी बंगाल की जनता का विरोध इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस के समाचारपत्रों को जवाब नहीं सूझता। बंगाल के कांग्रेसी समाचारपत्रों ने एक अफवाह फैलानी शुरू की है कि भारत सरकार के विधि मंत्री,--- जो बंगाली हैं,---ने इस विधेयक को पेश करने से इन्कार कर दिया है। दूसरे शब्दों में, वे यही जतलाना चाहते हैं, कि यह सारा काम प्रधान मंत्री का है। इस से पता चलता है कि इस मामले में कांग्रेस पश्चिमी बंगाल की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मैं चाहता हूं कि बेरूबाड़ी के मामले पर पुनः विचार करने की वार्ता पाकिस्तान सरकार के साथ चलाई जाये।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : प्रधान मंत्री ने अभी कहा था कि सभी मामलों को देखते हुए, कुल मिलाकर ही यह करार किया गया था, लेन-देन के सौदे की तरह, जिसमें कुछ फायदे हासिल करने के लिये कुछ नुकसान भी मंजूर करने पड़ते हैं। मैंने हिसाब लगा कर देखा है कि हमने दिया क्या और उसके बदले में पाया क्या है। हम पाकिस्तान को ५०९ एकड़ का अपना राज्य-क्षेत्र दे रहे हैं। बदले में पाकिस्तान से हमें केवल १६३ एकड़ मिल रहे हैं। क्या अच्छा लेन-देन है!

आज से ९ वर्ष पूर्व अस्थायी संसद् में आसाम (सीमा का परिवर्तन) विधेयक पर चर्चा हुई थी। डा० केसकर द्वारा विधेयक रखा गया था। उस समय अध्यक्ष महोदय ने संविधान अनुच्छेद ३ की व्याख्या करते हुए कहा था कि उसके अन्तर्गत भारतीय गणतंत्र के ही एक राज्य का कुछ क्षेत्र किसी दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है और इसके लिये एक राज्य का क्षेत्र घटा कर दूसरे राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पूरे गणराज्य का क्षेत्र घटा कर किसी बाहरी देश को नहीं दिया जा सकता। इस अवसर पर, संसद् के कई प्रमुख सदस्यों ने भी, जिन्होंने संविधान की रचना में स्वयं हाथ बटाया था, उस पर संदेह प्रकट किया था। अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत आसाम के देवनगिरि क्षेत्र को एक अन्य देश भूटान को अभ्यर्पित करना संविधान की शक्ति से परे होगा---उनका यही मत था।

हमारे संविधानकारों में से, एक प्रमुख संविधानकार, देश के एक बड़े नेता, डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने उस अवसर पर भी कहा था कि वैसा अभ्यर्पण संविधान की शक्ति से परे है और यदि अभ्यर्पण करना ही हो, तो उससे पहले संविधान को संशोधित करना चाहिये।

अब ९ वर्ष बाद, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसी मत की परिपुष्टि की है।

प्रधान मंत्री का कथन है कि ये दोनों विधेयक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के अनुशरण में ही रखे गये हैं, बिलकुल ग़लत है। ये दोनों विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के निणय को झुठलाते हैं। इनको उस निर्णय के अनुसार बताना जालसाजी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न राज्य अपने राज्य-क्षेत्रों का अभ्यर्पण कर सकते हैं, लेकिन उनके अपने संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर रहते हुए ही। वे दूसरे देशों से सन्धियां भी कर सकते हैं और उन पर अमल भी करते हैं, लेकिन संविधान की व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए। और, यदि किसी संविधान में अभ्यर्पण की व्यवस्था न हो, तो उसके लिये पहले संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यह मामला राज्य क्षेत्र के अभ्यर्पण का ही है और इसे अमल में लाने के लिये अनुच्छेद १ और प्रथम अनुसूची के तत्सम्बन्धी भाग को संशोधित करना पड़ेगा, क्योंकि करार को कार्यान्वित करने

---

†मूल अंग्रेजी में

से भारत के गणराज्य के राज्य-क्षेत्र में परिवर्तन हो जायेगा । सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद १ को संशोधित करने की बात इसलिये कही है कि प्रथम अनुसूची का संशोधन करके अनुच्छेद १ में कोई सारवान संशोधन नहीं किया जा सकता । अनुसूची का संशोधन संविधान का भी संशोधन हो, यह जरूरी नहीं । अनुच्छेद ४ में व्यवस्था है कि अनुच्छेद ३ या अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत अनुसूची में किया जाने वाला संशोधन संविधान का संशोधन नहीं माना जायेगा । सरकार ने यहां केवल अनुसूची को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है । इसीलिये यह प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से मेल नहीं खाता ।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद १ के संशोधन की बात इसलिये कही है कि वही एक अनुच्छेद है जिसमें भारत के समूचे राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है, और इसलिये किसी अन्य देश के राज्य-क्षेत्र के अर्जन या उसे भारतीय राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्पण की शक्ति की व्यवस्था उसी में होनी चाहिये । अर्जन की व्यवस्था उसमें मौजूद है, लेकिन अभ्यर्पण की नहीं । सर्वोच्च न्यायालय का मत स्पष्ट है कि अनुच्छेद १ में ही अभ्यर्पण की व्यवस्था की जा सकती है, और उसके बाद प्रथम अनुसूची का संशोधन आनुषंगिक होगा । इसीलिये मैं कह रहा हूं कि सरकार ने यह विधेयक रख कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को झुठलाया है ।

दूसरी बात यह कि यह विधेयक स्पष्ट नहीं है । इन विधेयकों से पता ही नहीं चलता कि भारत में विलय होने वाले राज्य-क्षेत्र का विस्तार कितना है ।

हम इस करार को संविधि में समाविष्ट करने जा रहे हैं । लेकिन इसके साथ बेरुबाड़ी का एक नक्शा भी संलग्न नहीं है । करार में दिया हुआ है कि बेरुबाड़ी संघ संख्या १२ का विभाजन इस प्रकार किया जायेगा कि भारत से लगा हुआ उसका आधा भाग भारत में रहेगा और दूसरी तरफ का आधा भाग पाकिस्तान को मिल जायेगा । विभाजन एक पड़ी रेखा द्वारा किया जायेगा, जो देवीगंज थाने के उत्तर-पूर्वी सिरे से इस प्रकार खींची जायेगी कि एक कूच-बिहार बस्ती भारत के हिस्से में रहे । मैंने बेरुबाड़ी के नक्शों का अध्ययन किया है । मैं किसी भी न्यायालय के सामने सिद्ध कर सकता हूं कि देवीगंज थाने के उत्तर-पूर्वी सिरे से एक बड़ी रेखा खींच कर बेरुबाड़ी संघ संख्या १२ को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता कि एक कूच-बिहार बस्ती भी भारत के पास बनी रहे ।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा है कि पड़ी विभाजन रेखा खींचने की बात थोड़ी अनुचित लगती है । प्रधान मंत्री ने विभाजन रेखा खींचने के लिये एक आयोग नियुक्त करने की बात कही है । लेकिन आयोग असंभव को संभव कैसे बनायेगा ?

प्रधान मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि इस करार के बाद पाकिस्तान के साथ ऐसे विवाद खड़े नहीं होंगे । लेकिन विवाद तो हमेशा पाकिस्तान सरकार की ओर से शुरू किये गये हैं । हमारी सरकार तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के फेर में रहती है और इसलिये उचित कारण होने पर भी विवाद शुरू नहीं करती ।

और जब पाकिस्तान विवाद शुरू करता है, तो हमारी सरकार दब जाती है । सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि पाकिस्तान द्वारा बेरुबाड़ी का विवाद शुरू करने का, उस पर अपना दावा करने का कोई भी उचित आधार नहीं था ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

यदि हम इसी तरह अपने राज्य-क्षेत्र दूसरे देशों के हवाले करते रहेंगे, तो देश का सर्वनाश कर देंगे ।

और जब सरकार दोस्ती के तौर पर पाकिस्तान को एक राज्य-क्षेत्र दे रही है, तो फिर स्पष्ट तौर पर हमें यह क्यों नहीं बताती कि वह कितना क्षेत्र है, उसकी ठीक-ठीक संस्थिति क्या है ? कहा गया है कि ठीक-ठीक सीमांकन होने के बाद उसका विवरण बता दिया जायेगा । लेकिन संसद् इतनी अस्पष्ट व्यवस्था कैसे मान सकती है ?

प्रधान मंत्री ने बेरुबाड़ी की जनता को भारत में पुनर्वास की सभी सुविधायें देने का वचन दिया है । लेकिन क्या भारतीयों का यही भाग्य है कि वे हर जगह शरणार्थी ही बनते रहें ? मैं इन दोनों विधायकों को ग़लत समझता हूं । सभा को इनको अस्वीकृत कर देना चाहिये ।

†**श्री अतुल्य घोष** (आसनसोल) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । लेकिन इसके कारण देश की आम जनता के दिमाग में बड़ी उलझनें पैदा हो गई हैं । ऐसे करारों और संधियों के मामले में हमें बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये ।

पश्चिमी बंगाल की जनता इसके इतने विरुद्ध क्यों है ? इसका कारण मनोवैज्ञानिक है । विदेशी शासकों ने तीन बार, १९०५, १९११ और १९४७ में बंगाल का विभाजन किया था । इसलिये बंगाल की जनता के दिमाग में एक बात जम गई है कि भारत सरकार पश्चिमी बंगाल की जनता के हितों की परवाह नहीं करती । इसलिये प्रधान मंत्री को इस मामले में सावधानी से काम लेना चाहिये ।

पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री का कहना है कि भारत सरकार ने इस मामले में बंगाल सरकार की राय नहीं ली । भारत सरकार के अधिकारियों का कहना है कि उनकी राय ली गयी थी । इसमें सावधानी की जरूरत इसलिये है कि देश में कुछ दल हैं जो अपने फायदे के लिये जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं ।

श्री मुकर्जी ने प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा का उल्लेख किया है । लोकतांत्रिक राज्य में प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा का मतलब है समूचे देश की प्रतिष्ठा । प्रधान मंत्री हमारे देश का प्रतीक है । लेकिन कम्युनिस्ट दल के लोग लोकतांत्रिक देश की परम्पराओं को समझने में असमर्थ हैं । श्री मुकर्जी अब देश के बंटवारे को ग़लत बताते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट दल ने ही सब से पहले जिन्ना को दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का समर्थन किया था ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : एक औचित्य प्रश्न है । माननीय सदस्य को कम्युनिस्ट दल की नीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है । वह हमारे दल पर बड़े भौंडे आक्षेप कर रहे हैं । इस तरह के आक्षेप सर्वथा नियम बाह्य हैं । अन्यथा मुझे अवसर दिया जाये उनका उत्तर देने का ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह औचित्य प्रश्न नहीं है । हां, यह प्रश्न जरूर है कि इस तरह का उल्लेख वांछनीय है या नहीं । मैं जहां तक समझता हूं श्री अतुल्य घोष ने यही कहा है कि अब श्री मुकर्जी का दल इसका विरोध करता है, जब कि पहले उसने देश के बंटवारे का समर्थन किया था । यदि यह ग़लत है तो उनके दल के किसी सदस्य को, या श्री मुकर्जी को उसका स्पष्टीकरण करने के अवसर मिलेंगे । वे कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट दल की ऐसी नीति नहीं थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अतुल्य घोष** : श्री मुकर्जी बार-बार कांग्रेस दल का नाम ले रहे थे, इसलिये मैंने सोचा कि उनके दल का नाम लेना भी ग़लत नहीं होगा।

आज कम्युनिस्ट दल बेरूबाड़ी के ४ १/२ मील क्षेत्र के बारे में इतना होहल्ला मचा रहा है, पर उसने तब कुछ नहीं कहा जब चीन ने हमारे १५,००० वर्ग मील के क्षेत्र पर अनाधिकार कब्जा कर लिया था। **[अन्तर्बाधायें]**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्यों को बीच में अन्तर्बाधा नहीं करनी चाहिये। हर सदस्य की बात धैर्य से सुनी जानी चाहिये।

†**श्री अतुल्य घोष** : समाचारपत्रों के समाचार पढ़ने से पता चलता है कि यह करार करने से पहले, पूरे मामले पर पूरी गम्भीरता से विचार नहीं किया गया था। सारा करार बड़ी सरसरी तौर पर किया गया है। पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना बड़ी सरसरी तौर पर दी गई थी। उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई। सरकार को भविष्य में अन्य देशों से ऐसे करार करते समय अधिक गम्भीरता से आगा-पीछा सोच लेना चाहिये। सभी सम्बन्धित राज्यों से अच्छी तरह से परामर्श करने के बाद ही कोई अन्तिम निर्णय करना चाहिये। भारत सरकार को संवैधानिक पहलू के अतिरिक्त, मानवीय पहलू पर भी ध्यान देना चाहिये। पश्चिमी बंगाल की जनता का क्षोभ इस बात पर उचित ही है कि बंगाल सरकार से इसके बारे में ठीक तौर पर परामर्श नहीं किया गया था।

हम सन्धि को मानने लिये सिर्फ इसलिये तैयार हो रहे हैं कि अब यह प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा, और इस तरह पूरे देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है।

†**श्री बर्मन** (कूच-बिहार—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : प्रधान मंत्री द्वारा आज आश्वासन दिये जाने के बाद कुछ कहना शेष तो नहीं रह जाता है परन्तु मैं फिर भी एक सुझाव देना चाहता हूं कि शरणार्थियों के साथ, विभाजन के समय के शरणार्थियों के समान व्यवहार न कर के, वैसा व्यवहार किया जाना चाहिये जैसा नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा बेघरबार हुए लोगों के साथ किया जाता है।

मैं बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने भारत के प्रधान मंत्री, बंगाल के मुख्य मंत्री, तथा सचिवों की आलोचना की है। परन्तु इस के बारे में हम यह भूल जाते हैं कि इस के कारण क्या हैं। मैं तो समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हम ने पहली गलती रैडक्लिफ पंचाट को स्वीकार कर के की थी। रैडक्लिफ ने अपना पंचाट देते समय एक सीमा रेखा भी खींची थी। इस सीमा रेखा को हमारी ग़लती से उस ने पचगढ़ थाना से सीधा देवीगंज से मिला दिया था। यदि हम भूगोल को देखें तो इन दोनों स्थानों को सीधा मिलाना असंभव है। हम ने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान ने बेरूबाड़ी संघ संख्या १२ की मांग कर ली।

प्रधान मंत्री ने बताया है कि यदि हम एक दम वैध रूप में विचार करें तो हम को जो आधा बेरूबाड़ी मिल रहा है वह भी नहीं मिलना चाहिये। उन का कहना ठीक है और उन्हों ने इस इलाके में दिन प्रतिदिन के गोलीकांड को रोक कर बंगाल की जनता को शांति से रहने देने के लिये जो व्यवस्था की है उस को स्वीकार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री बर्मन]

मेरी प्रधान मंत्री से केवल यह प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की जनता बड़ी पिछड़ी हुई जनता है और इन को उत्तर बंगाल अथवा आसाम के ग्वालपाड़ा जिले में ही बसाया जा सकता है। इसलिये इन को इन स्थानों पर बसाने का ही प्रयत्न किया जाना चाहिये।

†**श्री विमल घोष** : प्रधान मंत्री ने आज अपने भाषण में बताया कि हम जो यह निर्णय कर रहे हैं वह विभाजन के कारण कर रहे हैं। उन्हों ने यह आज बड़ी ही अजीब बात कही है क्योंकि १९४७ से १९५२ तक यह भूभाग पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासनाधीन रहा है और पाकिस्तान ने इस के बारे में कभी भी कोई दावा नहीं किया। पाकिस्तान ने एक दम १९५२ में इस की मांग की और उस मांग को तुरन्त स्वीकार कर लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार की इस मांग को स्वीकार किया है।

प्रधान मंत्री ने यह कहा कि उन्होंने सम्बन्धित सरकार तथा संबंधित जनता की अनुमति के बिना निर्णय नहीं किया है। परन्तु पश्चिम बंगाल विधान सभा में मुख्य मंत्री का वक्तव्य देखने पर पता लगता है कि उन्हों ने, उन के मंत्रियों ने, उन के पदाधिकारियों ने कभी भी इस निर्णय से सहमति प्रकट नहीं की है। मैं नहीं जानता कि उन के ऐसा कहने पर भी प्रधान मंत्री यह किस प्रकार कहते हैं कि निर्णय बंगाल सरकार की सहमति पर लिया गया है।

१९५८ से पहले हुए कई सम्मेलनों का जिक्र प्रधान मंत्री ने किया। हमें पता लगा है कि इन सभी सम्मेलनों में बंगाल सरकार ने बेरूबाड़ी पाकिस्तान को देने का विरोध किया है और यह बात उन्हों ने कई बार स्पष्टतः बताई है। फिर भी यह निर्णय किया गया और अब हम से कहा जाता है कि चाहे जिस की भी ग़लती रही हो परन्तु जब कोई निर्णय कर लिया गया तो उस निर्णय पर डटे रहना है। मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में ऐसा करना बड़ा आपत्तिजनक है।

मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने इस को सीमा का छोटा सा विवाद समझ कर ऐसा निर्णय किया और बंगाल सरकार से नहीं पूछा। उन्होंने यह एक ग़लत कदम उठाया जो असांविधानिक था और यद्यपि हम अब उस ग़लत क़दम का विनियमन कर रहे हैं परन्तु फिर भी यह तो समझा ही जायेगा कि प्रधान मंत्री ने यह क़दम गैर जिम्मेदाराना उठाया है। इसलिये मेरा उन को सुझाव है कि इस भूभाग के हस्तांतरण के अधिकार मिल जाने पर उन्हें पाकिस्तान से कहना चाहिये कि यद्यपि इस भूभाग के हस्तांतरण का अधिकार मुझे मिल गया है परन्तु मानवता के आधार पर आप इस मामले पर पुनः विचार करें और हस्तांतरण रोक दें। परन्तु यदि पाकिस्तान इस सुझाव से सहमत न हो तो हमें वहां से भारत आने वाले लोगों की सहायता करनी चाहिये जिस से उन को भली प्रकार पुनर्वासित किया जा सके।

अन्त में मेरा सुझाव है कि एक ऐसी प्रथा बनाई जानी चाहिये जिस से जो भी विदेशों आदि से सन्धियां हों उन का संसद् द्वारा अनुसमर्थन अवश्य कराया जाये। मैं बताना चाहता हूं कि जनता में पूर्व पाकिस्तान तथा पश्चिम पाकिस्तान के बीच रेलवे लिंक बनाने की स्वीकृति देने के बारे में बड़ा रोष है और ऐसा बंगाल सरकार के परामर्श से ही किया जाना चाहिये।

†**श्री खुदा बख्श** (मुर्शिदाबाद): जब बेरूबाड़ी के बारे में निर्णय किया गया था उस समय पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नून साहब थे और कुछ ऐसा वातावरण बना दिखाई देता था कि भारत और

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान के आपसी सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होते जा रहे हैं। परन्तु बाद में नून साहब का प्रधान मंत्रित्व पद समाप्त होने पर हमें पता लगता है कि वह मैत्रीपूर्ण वातावरण समाप्त प्रायः हो गया है। इसीलिये मेरा अपना विचार है जब नून-नेहरू समझौते का अब वातावरण ही नहीं रहा तो हमें उस समझौते को समाप्त कर के नये सिरे से बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिये।

मुझे विधि का थोड़ा ही ज्ञान है। परन्तु फिर भी इतना तो समझता हूं कि रैडक्लिफ पंचाट का संसद् में कभी भी अनुसमर्थन नहीं किया गया। इसलिये हमारी संसद् को पूरा अधिकार है कि पूर्व-पश्चिम बंगाल के सीमा विवादों पर पुनः विचार करने की व्यवस्था कराय। परन्तु अब इस विधेयक के द्वारा संसद का वह अधिकार छिना जा रहा है और पाकिस्तान को अधिकार दिया जा रहा है जिस से हम दोनों बंगालों के सीमा-विवादों पर पुनः विचार न कर सकें।

हमारे प्रधान मंत्री ने सभा में स्पष्टतया बताया है कि वह दिये हुए वचन से कभी भी नहीं फिरेंगे परन्तु उन्हों ने पाकिस्तान से ६,५०० अथवा ५,५०० हिन्दुओं को पुनर्वास देने की कठिनाई के बारे में लिखा है। उन्हों ने केवल ऐसा भावुकता के कारण ही किया है। परन्तु यदि हम पाकिस्तान को देखें तो उन में भावना का तो कोई नाम ही नहीं है। वह काशमीर, नहरी पानी विवाद, बेरूबाड़ी आदि सब में अपना हिस्सा मांगते हैं और भारत के खिलाफ विष उगलते फिरते हैं। मैं समझता हूं अब समय है जब हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिये।

मेरी प्रधान मंत्री से प्रार्थना है कि उन्हें समझना चाहिये कि पश्चिम बंगाल में जनसंख्या बहुत अधिक है। उन की अपनी आन्तरिक समस्याय हैं। इस नई समस्या से उन्हें नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ जायेगा।

हमारे प्रधान मंत्री ने इस के बारे में एक और सुझाव रखा था जिस को पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि रैडक्लिफ पंचाट का अनुसमर्थन उनके अधिक पक्ष में है। इसलिये हमें इस को अस्वीकार कर देना चाहिये और यदि कोई ऐसा सुझाव कोई सरकार दे जो अच्छा हो तो उस को स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं ने सुना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा कोई सुझाव दिया है।

अन्त में मेरा यही कहना है कि इन परिस्थितियों में हमें पाकिस्तान से मित्रता की आशा नहीं करनी चाहिये और उस के रवैये के अनुसार ही अपना व्यवहार बना लेना चाहिये।

†[illegible] (तेनालि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों विधेयकों का विरोध करता हूं और समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है।

मुझे सन्देह है कि जब हमारे प्रधान मंत्री इस के बारे में पाकिस्तान से पत्र-व्यवहार कर रहे थे उस समय उन को यह पता था कि बेरूबाड़ी में कुछ लोग रहते हैं अथवा नहीं। क्या उन्हें इन लोगों की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं का पता था? क्या उन्हों ने बंगाल तथा मंत्रालय के विधान मंडल का परामर्श लेना आवश्यक समझा। मेरे मित्र श्री घोष इन सभी बातों के बारे में हमें बता चुके हैं।

प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि यह निर्णय रैडक्लिफ पंचाट तथा विभाजन का परिणाम है और इसलिये हमें साधारण तौर पर ही इस मामले को स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने इन मामलों को कभी भी साधारण नहीं समझा परन्तु इस मामले में उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा। मैं तो समझता हूं कि बेरूबाड़ी के मामले में हमारे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

प्रधान मंत्री ही अधिक उत्सुक थे और उन्हों ने श्री फीरोज़ खां नून को प्रसन्न करने के लिये ही यह निर्णय किया था जो देश के लिये सम्मानपूर्ण नहीं था ।

मेरे विचार से इन बातचीतों के दौरान में हामारे प्रधान मंत्री को बंगाल मंत्रालय के प्रतिनिधि अथवा मुख्य मंत्री का परामर्श अवश्य लेना चाहिये था और जब यह लोग प्रधान मंत्री की बात से सहमत हो जाते तब संसद् में बताना चाहिये था कि बंगाल सरकार हमारे निर्णय से सहमत है । उन्हों ने ऐसा नहीं किया । क्यों ? केवल इस कारण से कि उन की आदत हो गई है कि कोई काम पूरा कर के ही राज्यों के मुख्य मंत्रियों से उस काम की स्वीकृति प्राप्त कर लें । इस प्रकार उन्हों ने हमेशा संविधान तथा राज्य सरकारों पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया है ।

प्रधान मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री बहुत बनेंगे तथा हटेंगे परन्तु सबसे महत्वपूर्ण देश का हित होना चाहिये । मैं उन की इस बात से सहमत हूं और समझता हूं कि प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा की तुलना में हमें देश की प्रतिष्ठा बनाये रखने का अधिक ध्यान रखना चाहिये ।

संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इसका ध्यान नहीं रखा था कि देश का प्रधान मंत्री राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से अपनी बात ज़बरदस्ती मनवा सकेगा यदि वह दोनों एक ही दल के होंगे । उन्होंने अमरीका के संविधान के इस उपबन्ध को अपने संविधान में रखना अनावश्यक समझा था कि सीनेट की अनुमति के बिना प्रेज़ीडैंट ऐसे समझौते नहीं कर पायेगा । मेरा सुझाव है कि अब समय आगया है जब हमें इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए कि हमें ऐसा उपबन्ध अपने संविधान में रखना चाहिए अथवा नहीं ।

मेरे कुछ माननीय मित्रों ने कहा कि बेरूबाड़ी के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ठोस क़दम उठाये जाने चाहिए । प्रधान मंत्री ने इसके बारे में आश्वासन दे दिया है । मैं समझता हूं कि यह आश्वासन ही पर्याप्त नहीं था । क्योंकि यह हमारे देश का एक पवित्र भाग था और हमें उसको सुरक्षित रखना था ।

मुझे प्रसन्नता है कि उच्चतम न्यायालय ने संसद को याद दिलाया कि इन मामलों में साधारण रूप में निर्णय नहीं किया जाना चाहिए । इन मामलों को महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर संसद् इतनी आसानी से इस प्रकार के विधेयक पारित नहीं कर पायेगी जितनी आसानी से यह विधेयक पारित किया जा रहा है ।

†श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : यह तो ठीक ही है कि नेहरू-नून समझौते को कार्यान्वित करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है । परन्तु इस दिशा में सब से बड़ी बात यह है कि वहां के निवासियों का क्या किया जाय । क्या उनके साथ मूक पशुओं का व्यवहार करना हमारे लिए उचित है ? वे भी तो भारत के राष्ट्रजन है । उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो दो बार पहले भी शरणार्थी बन चुके हैं । क्या आज हम उन्हें उनके हितों की सुरक्षा के प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे ?

मुझे इस बात का हर्ष है कि प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वहां के व्यक्ति यदि भारत आना चाहें तो आ सकते हैं और उनके पुनर्वास का समुचित प्रबन्ध किया जायेगा । आशा

---

†मूल अंग्रेजी में

करनी चाहिए कि उन्हें वही आर्थिक स्तर प्रदान किया जायेगा, जो इस समय उनका है । उनके रहन सहन का स्तर भी यथापूर्व रखने का यत्न किया जायेगा । जिन लोगों को एक बार पुनः अपना घर-बार छोड़ना पड़ेगा, उनके लिए कुछ विशेष सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

यह कहा जा रहा है कि बंगाली ही इस बारे में इतने भावुक क्यों हो रहे हैं । मेरा कहना है कि केवल यह ही बात महत्वपूर्ण नहीं है हमारा कितना राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जा रहा है, प्रत्युक्त हमें पूरे घटनाचक्र पर विचार करना है । जब स्वतन्त्रता मिली तो दो तिहाई बंगाल से इसको हाथ धोना पड़ा और अब बंगाल पर अन्तिम प्रहार हुआ है । यह बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावावेश की बात होगी । चाहे वह मद्रास हो या मध्य प्रदेश, जिसका राज्य क्षेत्र जायेगा उसी को यह बात बुरी लगेगी यही नहीं आज सारे भारतवासियों को यह बात खटक रही है । आज सभी इस बात को समझ रहे हैं कि इसमें मानवीय दृष्टिकोण निहित हैं। और मानवीय दृष्टिकोण को लेकर ही मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं । मैं देख रही हूं कि बंगाल पुनर्वास का आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन इस बात का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि भविष्य में बंगाल का कोई राज्य क्षेत्र दूसरे देश को नहीं दिया जायेगा। जिन लोगों पर इस बात का प्रभाव पड़ता है उनसे इस बात के लिए कोई परामर्श नहीं लिया गया। यह भी साफ है कि विभाजन के समय से लेकर आज तक बंगाल में शरणार्थी समस्या भी सुलझ नहीं पाई है । और आज पुनः बिना किसी दोष के बेचारे फिर बेघर के हो रहे हैं। उनके पुनर्वास की समस्या सरल नहीं है । आशा है कि सरकार इस प्रश्न पर उचित रूप से विचार करेगी ।

एक बात तो स्पष्ट ही है कि जब प्रधान मंत्री कोई करार करते हैं तो यह उनके तथा भारत के सम्मान का प्रश्न बन जाता है । हम चाहे उसे पसन्द करें अथवा न करें । इस समय उसे स्वीकार ही करना पड़ता है जो स्थिति है उसमें हमारे लिए शोभा की बात यही है कि प्रधान मंत्री द्वारा एक अन्य देश के साथ किये गये करार को स्वीकार किया जाये। अब तो उसके सम्मान करने में ही हमारा गौरव है । परन्तु हमें बेघर हुए लोगों को बसाने की समस्या की ओर उदासीन नहीं होना चाहिये ।

†श्री अ० चं० गुह : मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। यह कहा गया है कि इसमें प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा का प्रश्न है । लेकिन प्रधान मंत्री के सम्मान की दृष्टि से तो मैं इस प्रश्न पर विचार नहीं करता, यह भारत के सम्मान का प्रश्न है । एक विवेकशील तथा सभ्य राष्ट्र के रूप में भारत को उसकी कार्यपालिका द्वारा किये गये किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करना है । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर समझौते करना कार्यपालिका का जन्म सिद्ध अधिकार है । कई ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय करार करने पड़ते हैं जिसके लिए संसद की स्वीकृति की प्रतीक्षा करना असम्भव होता है । इन विधेयकों को रद्द करने का अर्थ है वर्तमान सरकार को समाप्त करना । मेरा मत है कि इस समय सदन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो वर्तमान सरकार को समाप्त करने का पक्षपाती हो । अतः सारी परिस्थिति का ध्यान रखते हुए मैं इन दो विधेयकों का समर्थन करता हूं ।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं बंगाल की स्थिति को भी स्पष्ट करना चाहता हूं । यदि इस समस्या पर बंगाल के विचार उग्र और उत्तेजना पूर्ण रहे हैं तो बंगालियों के लिए इस प्रकार सोचना और अपनी भावनाओं को प्रकट करना कुछ उचित भी है । बंगाल में अथवा बंगाल के विधान मंडल में जिस प्रकार इस भावना को व्यक्त किया गया है उसमें मूलतः कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० च० गुह]

भी गलती नहीं है। क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक राज्य है और प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार है। परन्तु करार के अनुसमर्थन के मामले में बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वे करार के साथ हैं। और कहा है कि यदि भारत सरकार यह ठीक समझती है कि इस करार को क्रियान्वित किया जाये तो पश्चिमी बंगाल सरकार इसका समर्थन करेगी और संसद के पश्चिमी बंगाल के सदस्य भी इसके पक्ष में हैं। कांग्रेस दल के सचेतक ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस संसद सदस्य इन विधेयकों पर मतदान लेते समय मतदान से अलग रहना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं। अतः उन पर दल का भी कोई प्रभाव नहीं है। करार से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं। दो बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं इसकी आलोचना करता हूं। पहली बात तो यह है कि इस दिशा में कम से कम पूर्वी क्षेत्र में तो रैडक्लिफ पंचाट में सदा ही थाने की सीमाओं के आधार पर सीमांकन किया गया है। हो सकता है कि वर्तमान समस्या में भी उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि सीमा की रेखा थानों के आधार पर ही रहे। रैडक्लिफ पंचाट के अनुसार सिलहट के उन १२ थानों की मांग करना भारत के लिए उचित होता जो पाकिस्तान को मिले हैं। चटगांव का पहाड़ी क्षेत्र, जहां के ९७ प्रतिशत निवासी गैर-मुसलमान थे, पाकिस्तान को देने में रैडक्लिफ पंचाट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम किया है। हमने पाकिस्तान को ११ वर्ग मील अधिक राज्य क्षेत्र दिया है। पता नहीं इस प्रश्न की छानबीन के लिए मंत्रिमंडल की जिस समिति की नियुक्ति की गयी थी उसका क्या हुआ।

बेरूबाड़ी का मामला सन् १९५० से चल रहा है। और तब से पश्चिमी बंगाल सरकार ने कई बार केन्द्रीय सरकार को लिखा कि वह बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को दे दिये जाने के पक्ष में नहीं है। परन्तु इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने भी प्रधान मंत्री को बेरूबाड़ी के हस्तानतरण के विरोध में एक पत्र लिखा था। अच्छा तो यह होता कि यदि इस समस्या का समाधान ही कर लिया जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का पाकिस्तान के प्रति रवैया बहुत ही नर्म है जब कि वे बड़ी सख्ती से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। इस मामले में बंगाल सरकार से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी। इस दिशा में पश्चिमी बंगाल सरकार की शिकायत ठोस वास्तविकता पर आधारित है। केवल इस मामले में कुछ अधिकारियों से परामर्श कर लेना काफी नहीं समझा जाना चाहिए।

मरूंगमारी भूमि की वह छोटी सी पट्टी है जो गीतलदा से आसाम जाने वाली पुरानी रेलवे लाइन को मिलाती है। यदि जमीन की यह पट्टी हमें दे दी जाती तो उस ओर से आसाम के साथ रेल सम्बन्ध हमारे लिये बहुत सरल हो जाता। परन्तु क्योंकि यह पट्टी हमें नहीं दी गई अतः हमें उस अत्यन्त खतरनाक आसाम रेल सम्पर्क का निर्माण करना पड़ा जिस की केवल मरम्मत के लिये प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपये की आवश्यकता होती है।

करार के पक्ष में सब से बड़ी बात यह है कि यदि बेरूबाड़ी हम से छिनता है तो हीली नाम का स्थान हमें मिल जाता है जो बेरूबाड़ी की अपेक्षा अधिक अच्छा है और महत्वपूर्ण भी है। अन्त में मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि जो लोग बेघर होंगे उन के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जायेगी। मेरा निवेदन है कि तत्काल ही धन की मंजूरी दी जानी चाहिये ताकि उजड़ने वाले परिवारों के पुनर्वास के कार्य में शीघ्रता की जा सके। दूसरी बात यह है कि यदि बेरूबाड़ी को दिया

भी जाता है तो उसे जल्दी ही दे दिया जाये ताकि लोगों में अधिक खिचाव न हो । पश्चिमी बंगाल सरकार ने दक्षिणी बेरूबाड़ी के विकास पर लगभग ४ लाख रुपये व्यय किये थे । इन रुपयों का प्रतिकर भी मिलना चाहिये ।

†**श्री सुबिमन घोष** : संविधान (नवां संशोधन) से कानूनी बात ही नहीं उठती बल्कि इस से भयावह स्थिति भी उत्पन्न होती है । पाकिस्तान ने सन् १९५० में जबकि बागे न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी बेरूबाड़ी के बारे में कोई झगड़ा नहीं किया । हमारी पाकिस्तान को प्रसन्न करने की नीति से प्रोत्साहित हो कर १९५२ में उस ने बेरूबाड़ी का झगड़ा खड़ा कर दिया । पाकिस्तान ने तो उस समय भी यह प्रश्न नहीं उठाया था, जब बागे न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट दिया था ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रैडक्लिफ पंचाट में सब कुछ तय हो चुका था, अतः हमें पाकिस्तान के दावे को नहीं मानना चाहिये था । इस दावे को उच्चतम वन्यायालय ने भी निराधार कहा है । बेरूबाड़ी यूनियन संख्या १२ हमेशा पश्चिमी बंगाल का अंग रहा है । अतः हमें इस मामले पर विचार करते समय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का ध्यान रखना चाहिये । इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि बेरूबाड़ी पर उस का कोई अधिकार नहीं है । यह तो उस का केवल भ्रम है । और हम अपनी ओर से उसे यह राज्य क्षेत्र दे रहे हैं । इस मामले में पाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये । एक प्रकार से हम पाकिस्तान को यह क्षेत्र उपहार स्वरूप ही दे रहे हैं ।

बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को दे देने के निर्णय के बाद यह तो स्वयंसिद्ध ही है कि वहां बसे लोगों को काफी कष्ट का सामना करना पड़ेगा । प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम इन लोगों का स्वागत करेंगे और उन के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करेंगे । ऐसे आश्वासन हम ने पाकिस्तान बनने पर भी विस्थापितों को दिये थे, परन्तु उन के साथ जो व्यवहार हुआ वह हम जानते हैं । वास्तविकता यह है कि हम उन्हें कह रहे हैं कि आप अब पाकिस्तान के राष्ट्रजन हैं । हम मनुष्यों से पशुओं का सा व्यवहार कर रहे हैं । अतः मैं यह मांग करना चाहता हूं कि उन के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिये और उन को बसाने का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये ।

साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत कर के हम एक बुरा पूर्वोदाहरण स्थापित कर रहे हैं । कभी भी कोई प्रधान मंत्री आयेगा और अपनी मर्जी से देश के किसी भाग को किसी पड़ौसी देश को भेंट कर देगा । कभी हमारे प्रधान मंत्री ऐसा भी समझ लेंगे कि चीन के साथ स्थायी मित्रता स्थापित करने और शांति को स्थायी रूप में लाने के लिये बंगाल को चीन को दान में दे देना चाहिये । यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि भविष्य में यह विधेयक हमारे पड़ौसी देशों को दिये जाने वाले राज्य क्षेत्रों के लिये पूर्वोदाहरण नहीं होना चाहिये ।

मेरा मत तो यह है कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है क्योंकि संविधान में कहीं भी ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत द्वारा तय किया जाये । उच्चतम न्यायालय ने तो राज्य क्षेत्र के लिये जाने के सम्बन्ध में केवल राय दी है—इस के लिये देश भर में कोई व्यक्ति तैयार नहीं है । इस विधेयक को पास नहीं किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में हमें अन्य नया विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जयपाल सिंह : (रांची—पश्चिम रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): एक बार जब प्रधान मंत्री ने देश की ओर से कोई वचन दे दिया है, तो उस को पूरा किया जाना चाहिये, चाहे इस में उन की गलती ही क्यों न हो, जैसाकि बेरूबाड़ी यूनियन को पाकिस्तान को देने के मामले में उन्हों ने की है। पदारूढ़ दल ने और प्रधान मंत्री ने इस प्रश्न को अपने सम्मान का प्रश्न भी बना लिया है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि चटगांव के बारे में कुछ करेंगे। परन्तु स्थिति यह है कि चटगांव पहाड़ी पट्टी को भारत में पुनः सम्मिलित करने के बारे में कुछ भी नहीं किया गया। भारत का विभाजन एक विचारपूर्ण सिद्धान्त के आधार पर हुआ है, यदि यह बात सही है, तो बेरूबाड़ी पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिये। यहां रहने वाले ९९ प्रतिशत गैर-मुस्लिम हैं, उन का धर्म बौद्धमत है। परन्तु कुछ नहीं किया गया। पुरूलिया के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं हुआ। राज्य पुनर्गठन के समय डा० राय ने कहा था कि इसे बंगाल में रखा जाय परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं तो इस समस्या को मानवीय समस्या भी नहीं कहता। मेरा मत यह है कि भारत का विभाजन एक विचारपूर्ण सिद्धान्त के आधार पर हुआ है, यदि यह बात सही है, तो बेरूबाड़ी पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिये। मैं बड़े व्यापक दृश्टिकोण से बेरूबाड़ी के प्रश्न पर देखता हूं। मेरा निवेदन है कि बेरूबाड़ी के हस्तांतरण से भी बड़ा एक प्रश्न यह है कि क्या प्रधान मंत्री अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को राज्य क्षेत्र पर से स्वत्व त्याग करने का अधिकार दिया जा सकता है। यदि वास्तविक स्थिति यह हो कि बेरूबाड़ी का हस्तांतरण तो निर्विवाद है और सभा के सामने लाने का तो केवल दस्तूर ही पूरा किया जा रहा है तो यह केवल संसदीय लोकतंत्र का उपहास करने वाली बात होगी। क्या हम आगे भी इस प्रकार की स्थिति को सहन करते रहेंगे। इस सब का अधिक शिकार दंडकारण्य के आदिवासी होंगे।

आप शरणार्थियों के पुनर्वास की बात करते हैं, बंगाल में इन लोगों को फिर बसाने के लिये एक इंच भूमि नहीं मिलेगी और वे ऐसे ही भटकते रहेंगे।

†श्री नं०रं० घोष (कूच-बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में बेरूबाड़ी क्षेत्र आता है। मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में वह लोग बसे हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी बन कर आये थे। ऐसे लोगों को पुनः बेघरबार का करना सरासर अन्याय है।

जब यह मामला उच्चतम-न्यायालय के सामने था उस समय मैं प्रति दिन वहां जाता था। मैं ने वहां पर महान्यायवादी का भाषण सुना और मुझे ऐसा लगा कि वह पाकिस्तान की ओर से मुकदमा लड़ रहे हैं। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि विद्वान न्यायाधीशों ने बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को देना ग़ैर-कानूनी बताया।

श्री बर्मन ने बताया है कि रैडक्लिफ ने सीधी लाइन खींच दी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि सीधी लाइन खींची गई होती तो बेरूबाड़ी का केवल १/५ भाग ही पाकिस्तान को जाता। मैं बताना चाहता हूं कि नक़शा ही ग़लत बनाया गया था और इसलिये बेरूबाड़ी का थोड़ा सा भाग भारत को मिला और अधिकांश भाग पाकिस्तान को मिला।

मेरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री को सही तथ्य नहीं बताये गये। यदि उन को बताया गया होता कि लगभग १०,००० व्यक्ति बेघरबार के हो जायेंगे तो वह कभी भी ऐसा क़दम नहीं उठाते।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं एक बात की ओर कई बार ध्यान दिला चुका हूं, वह यह है कि त्रिपुरा के एक भूभाग से पाकिस्तान की रेलवे लाइन गुजरती है । पाकिस्तान ने उसकी मांग की, हमने उसे स्वीकार कर लिया । परन्तु भरूंगमारी तक से हमारी रेलवे लाइन गुजरती है परन्तु खेद है कि हमने उस भूभाग को नहीं मांगा । जबकि हम त्रिपुरा के भूभाग की एवज में इस भूभाग को मांग सकते थे ।

ऐसा ही मामला सिलहट के कुछ थानों का है । आसाम के भूतपूर्व महाधिवक्ता ने मुझे नकशे दिखा कर बताया कि यदि हम चाहें तो उनको पाकिस्तान से मांग सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उन पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है । मैं समझता हूं कि इसी आधार पर हम पाकिस्तान के बेरूबाड़ी के दावे को ठुकरा सकते थे और वहां के नागरिकों के साथ भेड़ बकरियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते थे । हमारे प्रधान मंत्री ने एक वादा कर लिया और ठीक ही है कि हम उनका वचन पूरा करें परन्तु मेरा सुझाव है कि भविष्य में हमारे प्रधान मंत्री को चटगांव आदि की उचित मांग पाकिस्तान के सामने रखनी चाहिये । इसके बारे में पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिये ।

लगभग बारह वर्ष से बेरूबाड़ी के निवासी भारतीय हैं । तीन बार वह मतदान कर चुके हैं । इसलिये केन्द्र का कर्तव्य हो जाता है कि मुआवजा आदि देकर इन व्यक्तियों को पुनर्वासित करें ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस समझौते के कारण हमें हिल्ली का भूभाग मिल जायेगा । मैं उन्हें बताना चाहता हूं पाकिस्तान का वह भाग था ही नहीं । मेरे पास सबूत है और मैं सिद्ध कर सकता हूं कि हिल्ली भारत का है ।

इतनी कठिनाइयां होने पर भी यह तो निश्चित ही है कि राजनैतिक कारणों से हमें विधेयक का समर्थन करना है और इसीलिये मैं भी इसका समर्थन करता हूं ।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, नेहरू-नून समझौते को वैधानिकता का जामा पहनाने के लिये यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किये गये हैं । प्रधान मंत्री जी ने अपने प्रास्ताविक भाषण में नेहरू-नून समझौते की जिस पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पाकिस्तान के साथ सीमा पर जो हमारे संघर्ष होते थे उनको टालने के लिये यह समझौता किया गया । दूसरे शब्दों में हम सीमा पर शान्ति चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान गोली वर्षा करता था, भारत सी सीमा का अतिक्रमण करता था और वहां गोली वर्षा होती थी तो यहां स्थगन प्रस्ताव रक्खे जाते थे जो प्रधान मंत्री जी के लिये सिर दर्द बनता था और शायद उनसे बचने के लिये पाकिस्तान से एक समझौता कर लिया गया । उस समझौते में इस बात का भी ध्यान नहीं रक्खा गया कि प्रधान मंत्री के नाते उन्हें भारत की भूमि को किसी दूसरे देश को सौंपने का अधिकार है भी या नहीं । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधान मंत्री जी ने बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय कर अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया । उन्होंने संविधान की अवहेलना की ।

संविधान में आज जैसा रूप है वह कल तो कुछ बदलने वाला है । आज की स्थिति में हम भारत की भूमि का कोई हिस्सा किसी को दे नहीं सकते । उसमें दूसरे देश के किसी भाग को मिलाने की व्यवस्था की गई है, देने की व्यवस्था नहीं की गई है । हमारे प्रधान मंत्री जी कहते

[श्री वाजपेयी]

हैं कि यह संसद् सर्वोच्च है। इसके साथ में प्रभुसत्ता है। हम अगर चाहें तो दे सकते हैं। मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र में प्रभुसत्ता का निवास जनता में रहता है और जो बात मैंने प्रातः-काल कही थी उसको फिर दुहराना चाहता हूं कि यह संसद् और इस के सदस्य जिस संविधान के अन्तर्गत चुन कर आये थे उसमें वे अपनी भूमि के किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने का अधिकार नहीं रखते। प्रधान मंत्री जी भी यह अधिकार नहीं रखते। अगर आप समझते हैं कि भूमि का दान देना चाहिए तो फिर इसके लिए आपको फिर से जनता के पास जाने की आवश्यकता है। इस प्रश्न के ऊपर आप सारे देश की जनता का विश्वास प्राप्त करके दिखाइये क्योंकि यह प्रश्न केवल साढ़े ४ मील का नहीं है, १२००० व्यक्तियों के फिर से बेघरबार हो जाने का नहीं है, यह प्रश्न एक बड़े सिद्धान्त का है। क्या भारत के प्रधान मंत्री अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके भारत की भूमि किसी दूसरे देश को देने का अधिकार रखते हैं? अब संविधान में कहा गया है कि सरकार संधियां कर सकती है। अगर संविधान की भाषा का संबंध है तो सरकार को यह अधिकार है लेकिन क्या हमें नये लोकतंत्र की दृष्टि से नई परम्पराएं नहीं डालनी चाहिएं? क्या संस ् को इस सम्बन्ध में विश्वास में नहीं लिया जा सकता? प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान से जो भी समझौता किया है वह हम ने आकर संसद् को बताया कि क्या हमने समझौता किया लेकिन क्यों पहले समझौता कर लिया गया और संसद् को विश्वास में नहीं लिया गया और बाद में संसद् के सामने पेश कर दिया गया कि इसे आप स्वीकार कर लीजिये या ठुकरा दीजिये और ठुकरा आप सकते नहीं क्योंकि प्रधान मंत्री जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कभी यह प्रतिष्ठा बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को देने के काम में लायी जाती है तो कभी प्रधान मंत्री जी की प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश में दो बड़े चुनावों में हारे हुए व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाने के काम में लाई जाती है। प्रधान मंत्री जी ने प्रैस सम्मेलन में ठीक कहा था कि मेरी प्रतिष्ठा जरा ठोस तत्वों की बनी हुई है। मेरा निवेदन है कि यह किसी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बेरूबाड़ी का देना यह सीमा का विवाद नहीं है। बुरूबाड़ी कोई ऐनक्लेव नहीं है। यह तो भूमि को देना है भारत की भूमि को देना है। प्रधान मंत्री जी कह सकते थे पाकिस्तान से कि मैं ने आपसे एक समझौता किया था सीमा पर शान्ति स्थापित करने के लिए मगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ है कि मैं यह समझौता संविधान को बिना बदले नहीं कर सकता और संविधान को मैं बदलूंगा नहीं। मेरे हाथ संविधान से बंधे हुए हैं। भारत में लोकतंत्र है, संसद् है, संविधान है। यह पाकिस्तान नहीं है जहां कि १३ साल में चुनाव नहीं हुए, जहां कोई संविधान नहीं है, जहां के तानाशाह कलम की एक नोक से अपने देश की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। प्रधान मंत्री जी कह सकते थे कि मैं वैधानिक लोकतंत्र का प्रधान मंत्री हूं और इसलिए जिस रूप में मैं ने समझौता किया था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उसकी पृष्ठभूमि बदल गई है और यह मेरे हाथ में नहीं है कि मैं बेरूबाड़ी उठा कर आप को दे दूं। प्रधान मंत्री जी यह कह सकते थे। इससे प्रधान मंत्री जी की प्रतिष्ठा कुछ बढ़ जाती, भारतीय लोकतंत्र का मुख उज्जवल हो जाता और आज बेरूबाड़ी को देने के सवाल पर जो संकट पैदा हो रहा है उससे भी हमारी रक्षा हो जाती। मगर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अगर मुझे अधिकार नहीं है तो मैं संविधान बदल दूंगा। संविधान क्या है? यह एक खिलावड़ हो गया है। यह संविधान में नवां संशोधन किया जा रहा है और संशोधन किया जा रहा है भूमि को देने के लिए और ऐसी भूमि जिस पर पाकिस्तान ने १९४७ के बाद कभी दावा नहीं किया। जैसा अभी अन्य सदस्यों ने कहा कि रैडक्लिफ ऐवार्ड

में बेरूबाड़ी हमारे हिस्से में आता है क्योंकि वह ऐवार्ड थाने के हिसाब से चलता है । ऐवार्ड में यह भी लिखा है कि अगर नक्शों में और ऐवार्ड में जो व्याख्या दी गई है उसमें कोई मतभेद हो तो व्याख्या को माना जायगा नक्शों को नहीं माना जायगा ।

बागे ट्रिब्युनल के सामने भी बेरूबाड़ी का सवाल पाकिस्तान ने खड़ा नहीं किया । कानून की दृष्टि से भी हमारा पक्ष प्रबल है । मगर प्रधान मंत्री जी समझौता चाहते थे इसलिए बेरूबाड़ी दे दिया । उन्होंने पश्चिमी बंगाल की भी उपेक्षा की । यह ठीक है कि हमारे संविधान में प्रान्तीय विधान मंडल से पूछना जरूरी है, उस की राय के अनुसार चलना जरूरी नहीं है मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय आ गया है जब यह संसद् इस बात की परम्परा डाले कि केवल राज्यों के विधान मंडल से पूछा न जाय बल्कि उन की अनुमति से फैसला किया जाय । आज तो केन्द्र में जिस पार्टी का बहुमत है पश्चिमी बंगाल में भी उसी पार्टी का बहुमत है मगर एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि केन्द्र में किसी पार्टी का बहुमत हो और किसी राज्य में किसी दूसरी पार्टी का बहुमत हो । अगर उस स्थिति में आप संविधान की इसी धारा को लागू करे कि हम केवल विधान मंडल की राय लेंगे उसके अनुसार चलेंगे नहीं तो संवैधानिक संकट पैदा हो जायगा । केन्द्र में और राज्य में संघर्ष होगा । देश की एकता की रक्षा नहीं होगी । संविधान की भावना के अनुसार हमें चलना चाहिए । अगर हमारा देश एक संघात्मक शासन के अन्तर्गत है, फेडरल कांस्टीट्यूशन है, राज्यों के अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों का विभाजन किया गया है वैसे मैं स्वयं फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में नहीं हूं लेकिन जब तक हम इस संविधान को बदलते नहीं तब तक हमें राज्यों के विधान मंडल की राय की कीमत करनी चाहिए । आज तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का मंत्रिमंडल है । वह मान लेते हैं । उनका बहुमत है, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है मगर कल्पना कीजिये किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो क्या नतीजा होता ? फिर सारे देश की प्रतिष्ठा का और प्रधान मंत्री के सम्मान का क्या बनता ? आवश्यकता इस बात की है कि सरकार बेरूबाड़ी के प्रश्न पर देश में जो संकट उत्पन्न हो गया है उससे शिक्षा ग्रहण करे । कांग्रेस दल का बहुमत है, बेरूबाड़ी तो जायगा, यद्यपि मैं आशा करता हूं कि संविधान में संशोधन करने के बाद भी और बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को देने का अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद भी इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि पाकिस्तान को समझाया जाय कि भारत और पाकिस्तान की मित्रता के हित में यह नहीं है कि बेरूबाड़ी पाकिस्तान को दे दिया जाय । क्या मित्रता का तरीका पाकिस्तान के सामने झुकना है ? क्या दोनों देशों की सद्भावना का आधार ६००० लोगों को घरबार से उजाड़ना हो सकता है ? हम पाकिस्तान को इस तरह से खुश कर के क्या शान्ति स्थापित कर सकते हैं ? १३ साल के देश के विभाजन के बाद का इतिहास साक्षी है कि पाकिस्तान को दी गई हर एक अनुचित सुविधा पाकिस्तान की भूख को बढ़ाने का कारण होती है । हम ने देश का विभाजन माना जिन परिस्थितियों में किया वह आज परिस्थितियां नहीं हैं । हम ने पाकिस्तान फले फूले इस के लिए क्या नहीं किया ? मगर इसका प्रत्युत्तर हमें पाकिस्तान की ओर से क्या मिला ? पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों में सुधार होना चाहिए मगर सुधार के लिए भारतीय हितों का बलिदान किया जाय इस नीति से मैं सहमत नहीं हूं । पाकिस्तान को अनुचित सुविधाएं देकर हम उस की मित्रता प्राप्त कर लेंगे इस मुगालते में भी हम को नहीं रहना चाहिए । नहरी पानी समझौता किया । पाकिस्तान उसके लिए हमें धन्यवाद नहीं देता । वह काश्मीर पर अपने दावे को पुष्ट कर रहा है ।

नहरी पानी समझौते के सम्बन्ध में भी संसद् को विश्वास में नहीं लिया गया । अभी सीधी रेल चलाने की बात हो रही है उसके सम्बन्ध में भी संसद् को विश्वास में नहीं लिया गया । सरकार

[श्री वाजपेयी]

संधियां करने का अधिकार रखती है लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसी परम्परा डाल सकती है कि सारी संसद् अगर नहीं तो संसद् में विभिन्न दलों के जो नेता हैं उनकी एक समिति का निर्माण करके उन को इस सम्बन्ध में विश्वास में लिया जा सकता है। हम हरएक बात में ब्रिटिश हाउस आफ़ कामन्ज़ की नक्ल करें, संविधान की भाषा के अक्षर के अनुसार जायें, यह हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। हम लोकतंत्र का आरम्भ कर रहे हैं। हमें नई परम्परायें डालना चाहिए।

मुझे यह देख कर निराशा हुई कि प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में एक शब्द भी नहीं कहा कि बेरूबाड़ी को देते समय सारे तथ्य मेरे सामने नहीं थे, मुझे पूरी बात नहीं बताई गई थी, मैं समझता था कि यह सीमा का विवाद है, मैंने अनुभव नहीं किया यह भूमि का देना है। सेशन आफ़ टेरीटेरी है और इसलिए मैंने दे दिया, मेरी ग़लती हो गई। प्रधान मंत्री जी ऐसा कह सकते हैं। इस से उन की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। एक ग़लती हुई है। अब उस ग़लती के अनुसार अगर बेरूबाड़ी जाता है, तो हमें यह अनुभूति होनी चाहिए कि भविष्य में हम इस प्रकार की और ग़लती नहीं होने देंगे।

कभी कभी मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय शायद हमारे प्रधान मंत्री को छोटी छोटी बातों के बारे में ठीक और समय पर परामर्श नहीं देता। पथरिया जंगल का सवाल खड़ा हुआ था। प्रधान मंत्री जी से पूछा गया कि पथरिया जंगल का एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया जा रहा है, वहां कितने लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वहां कोई रहता नहीं है। जब उन से कहा गया कि वहां कुछ लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि रहते तो हैं, लेकिन मुसलमान हैं। मैं यह प्रधान मंत्री के उत्तर में से बता रहा हूं। जब उन को कहा गया कि मुसलमान नहीं, वहां हिन्दू भी रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि रहते होंगे, मैं पता लगाऊंगा। मैं समझता हूं कि छोटी छोटी बातों तक जाने के लिए शायद उन को समय नहीं होगा, लेकिन उन के जो सलाहकार हैं, जो विदेश मंत्रालय है, उन्हें छोटी छोटी बातों के सम्बन्ध में भी उन्हें पूरी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें दृष्टि से ओझल हो जाती हैं, इसलिए बड़े और ग़लत फ़ैसले हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और समय लेना चाहेंगे ?

श्री वाजपेयी : जी हां, मैं कुछ तो और कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर वह कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

असिस्टेंट सुपरिनटेंडेंटों की परीक्षायें*

†श्री प्र०के० देव (कालाहांडी) : यह चर्चा संघ लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में १९५९ में हुई असिस्टेंट सुपरिनटेंडेंट ग्रेड की परीक्षा से सम्बन्धित है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री की यह धारणा सही नहीं है कि यह परीक्षा प्रतियोगी है और अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की जो सूची प्रकाशित की जाती है वह प्रत्येक वर्ष व्यपगत हो जाती है। इसका प्रमाण यह है कि १९५५

---

†मूल अंग्रेजी में

*आध घंटे की चर्चा

की परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को १९५८ में नौकरी में लिया गया है। यदि वह प्रतियोगी परीक्षा होती तो २० स्थान खाली होने पर २९२ उम्मीदवारों को अर्हताप्राप्त घोषित करना निरर्थक है। जैसे जैसे स्थान रिक्त होते गये समस्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों को रख लिया गया। १९५७ और १९५८ की परीक्षाओं में भी ऐसा ही किया गया था।

परन्तु १९५९ की परीक्षा में ऐसा नहीं किया गया। उस वर्ष समस्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की सूची नहीं प्रकाशित की गई वरन् केवल ७८ उम्मीदवारों के नाम घोषित किये गये। इससे कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग ने मंत्रालय को लिखा है कि वह ७८ उम्मीदवारों की सूची पूर्ण नहीं है। इसलिए १९५९ की परीक्षा में जितने उम्मीदवारों ने अर्हताप्राप्त की है उन सब की सूची प्रकाशित की जानी चाहिए।

ऐसा न करने का परिणाम यह हुआ है कि जिन लोगों ने उस परीक्षा में अर्हताप्राप्त की थी और ऊंचे पदों पर अस्थायी तौर से काम कर रहे थे उन्हें अपने स्थायी पदों पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। दूसरे उन्हें फिर से आगामी परीक्षा में बैठना पड़ेगा। बरा बार परीक्षा के लिए तैयारी करने से उनकी कार्यक्षमता पर असर पड़ना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनसे बालकों की तरह प्रति वर्ष परीक्षा में बैठने के लिए कहना भी बड़ी भद्दी बात है।

अतः मेरा अनुरोध है कि समस्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाये और उन्हें स्थान रिक्त होने पर खपा लिया जाये। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि उन्हें तुरन्त खपा लिया जाय और न वैसा करने के लिए सरकार बाध्य ही है। परन्तु रिक्ततायें होने पर वैसा अवश्य किया जाना चाहिए। उनको लेने से कोई प्रशासकीय कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी वरन् कर्मचारियों में विश्वास की भावना उत्पन्न होगी।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : मैंने ५-९-६० को संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान भाषण करते हुए इस विषय का निर्देश किया था और यह कहा था कि इस मामले में सरकार ने अन्याय किया है और आयोग ने भी सरकार की बात मान ली है। परन्तु अब माननीय सदस्य ने बताया कि आयोग ने मंत्रालय को पूरी सूची प्रकाशित करने के लिए लिखा है। यदि ऐसा है तो फिर सारी स्थिति बदल जाती है और सरकार को पहली तीन परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी जितने उम्मीदवारों ने अर्हताप्राप्त की है उन सब को तरक्की देनी चाहिए। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली परीक्षाओं की तरह इस बार समस्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की सूची क्यों नहीं प्रकाशित की गई ? जब आयोग को उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो सरकार वैसा क्यों नहीं कर रही है ?

†श्री तंगामणि (मदुरै) : जब १९५५ और १९५७ की परीक्षाओं में अर्हताप्राप्त समस्त उम्मीदवारों को ले लिया गया है तो १९५९ की परीक्षा में भी वैसा क्यों नहीं किया गया ? सरकार इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या क़दम उठाने का विचार कर रही है ? क्या आयोग समस्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने के लिए तैयार है और यदि हां, तो सरकार को प्रतीक्षक सूची रखने में क्या आपत्ति है ? क्या अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों से बारबार परीक्षा में बैठने के लिए कहना अन्याय नहीं होगा तथा उन्हें नई परीक्षाओं में बैठने से छूट क्यों नहीं दी जानी चाहिए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** (झुंझुनू) : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं । वह यह है कि क्या यह सच नहीं है कि जो उम्मीदवार एक बार परीक्षा में पास हो गये थे परन्तु जिन्हे खपाया नहीं जा सका था उन्हे अगले वर्ष पुनः परीक्षा में बैठना पड़ा ? क्या यह भी सच है कि बाद की परीक्षाओं में फेल रहने पर भी उन्हे पहली परीक्षा के आधार पर तरक्की दे दी गई ? यदि ऐसा है तो बाद की परीक्षायें लेने का क्या अर्थ रह जाता है ? इस स्पष्टीकरण के पश्चात् मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि १९५९ की परीक्षा के समस्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की सूची क्यों नहीं प्रकाशित की गई ? सरकार को इसमें क्या आपत्ति है कि भविष्य में रिक्ततायें होने पर उन्हें खपा लिया जाये ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (बलोदा बाज़ार) : जितने उम्मीदवारों ने १९५९ की परीक्षा में अर्हताप्राप्त की थी क्या उनकी पूरी सूची गृह मंत्रालय को दी गई थी अथवा उसका कुछ भाग आयोग ने अपने पर रोक रखा है और यदि आयोग ने कुछ भाग रोक रखा है तो वैसा उसने स्वेच्छा से किया है अथवा गृह-मंत्रालय की इच्छानुसार ? दूसरे गृह-मंत्रालय को प्रतीक्षक सूची रखने में क्या आपत्ति है ताकि उन्हें रिक्ततायें होने पर खपाया जा सके ?

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनलवेली) : क्या सरकार ने १९५९ में असिस्टेंट सुपरिनटेंडेंटों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी नीति में कोई परिवर्तन किया है और यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में कब और क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मुझ से अनेक प्रश्न पूछे गये हैं और मैं समयानुसार समस्त स्थिति का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करूंगा ।

पहली चीज तो यह है कि यह एक विभागीय परीक्षा है अतः उसमें अर्हताप्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है । हमें यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए । यह परीक्षा असिस्टेंट सुपरिनटेंडेंटों के रेगुलर टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक सूची बनाने के लिए ली गई थी जिसका प्रतिशत भी रिक्तताओं के अनुसार निश्चित कर दिया गया है । पहले ये असिस्टेंट सुपरिनटेंडेंट तीसरी श्रेणी में सम्मिलित किये जाते थे ।

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

अब दूसरी और तीसरी श्रेणियां एक में मिला दी गई हैं । परन्तु जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है ।

जब कभी हमें रेगुलर टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट की सूची में नाम लेने होते थे तो प्रवरण के सम्बन्ध में हम दो तरीके अपनाते थे । पहले तो हम कुछ नाम वरिष्ठता की सूची में से ले लेते हैं । हमारा एक प्रवरण बोर्ड है जो वरिष्ठता का विचार करता है । जितने व्यक्ति लिये जाने होते हैं उन में से आधे वरिष्ठता के आधार पर ही लिए जाते हैं तथा उनकी एक सूची बना ली जाती है । शेष के लिए विभागीय परीक्षा होती है और वह परीक्षा हमारे कहने से संघ लोक सेवा आयोग लेता है । पहले इस विभागीय परीक्षा में केवल लिखित परीक्षा ही होती थी । फिर उसमें व्यक्तित्व की परीक्षा भी सम्मिलित कर दी गई और बाद में प्रत्येक उम्मीदवार के रिकार्ड के आधार पर उसके कार्य का निर्धारण भी किया जाने लगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात यह है कि ऐसे मामलों में हम यह पता लगाते हैं कि कितनी रिक्ततायें होने की संभावना है। यह बात भली प्रकार समझ ली जानी चाहिये क्योंकि उसके समझ लेने से बहुत सी गलत धारणायें दूर हो जायेंगी ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये ।

†श्री दातार : मैं उन प्रश्नों को समझता हूं परन्तु मैं सभा को यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यह परीक्षा साधारण परीक्षाओं से भिन्न है जिनमें समस्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करनी होती है। यह विभागीय परीक्षा है और जितने व्यक्ति लेने होते हैं उनकी संख्या पहले निश्चित कर ली जाती है और कुछ अधिसूचनाओं में संघ लोक सेवा आयोग इस संख्या का उल्लेख भी करता है। परन्तु वास्तव में हम जो संख्या निश्चित करते हैं वह रिक्तताओं के बढ़ जाने की संभावना की दृष्टि से कुछ अधिक ही रखते हैं। इसलिये समस्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों को खपा लेना संभव नहीं है। परीक्षा में नम्बर देने का काम आयोग का है और वही उनका प्रतिशित निर्धारित करता है। उसी के आधार पर वह हमारी आवश्यकतानुसार सूची बना कर हमारे पास भेज देता है। इसलिये यदि हमें कुछ व्यक्तियों की जरूरत है तो हमारे पास पूरी सूची नहीं भेजी जानी चाहिये।

कभी कभी ऐसा होता है कि हम अधिसूचना में अनुमानित संख्या देते हैं और यह कहते हैं कि रेगुलर टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट में २० या ३० स्थान भरे जाने हैं। आयोग जो सूची देता है उसमें उस संख्या से कुछ अधिक नाम रहते हैं ताकि यदि संभव हो तो कुछ और व्यक्तियों को खपाया जा सके। ये परीक्षायें १९५५, १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में भी हुई थीं। १९५५ में आयोग ने जितने नाम हमें दिये थे उतने से अधिक व्यक्तियों को हम खपा सकते थे इसलिये हम ने तुरन्त कुछ और व्यक्तियों को ले लिया। कुछ व्यक्ति रह गये थे। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि जो व्यक्ति एक बार परीक्षा में बैठ चुका है क्या वह फिर से बैठ सकता है ?

†श्री मुरारका : वह प्रश्न इस प्रकार है। कोई व्यक्ति परीक्षा में बैठा और पास हो गया परन्तु उसे नियुक्त नहीं किया गया। फिर वह दूसरी परीक्षा में बैठा और फैल हो गया। तो क्या उस को पहली परीक्षा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है ?

†श्री दातार : ये परीक्षायें पांच बार हो चुकी हैं। १९५५ में आयोग ने हमें २९० नाम दिये थे ।

†अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इस मामले के सम्बन्ध में समझौता हो सकता है। ये परीक्षायें प्रतिवर्ष होती हैं और जो लोग अर्हताप्राप्त करते हैं उन्हें रिक्तताओं के अनुसार खपा लिया जाता है। यदि किसी वर्ष में जितने व्यक्ति अर्हता प्राप्त करते हैं उतने खपाये नहीं जा सकते और इस बीच में अगले वर्ष के लिये परीक्षा ली जाती है तो उस वर्ष उन्हीं लोगों को अधिमान्यता दी जायगी जो उस वर्ष की परीक्षा में अर्हताप्राप्त करेंगे और यदि अतिरिक्त रिक्ततायें होंगी तो ये पिछली परीक्षा के अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को भी खपा लिया जायगा। अब यह नियम बनाया गया है कि आगे से अर्हताप्राप्त करने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम प्रकाशित नहीं किये जायेंगे और परीक्षा के परिणाम के अनुसार उतने ही व्यक्ति लिये जायेंगे जितनी रिक्ततायें होंगी। इस से अर्हता-प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का आधिक्य नहीं रहेगा। मेरा सुझाव है कि भविष्य में कुछ भी किया जाये परन्तु जहां तक भूतकाल का सम्बन्ध है जिन व्यक्तियों के नाम प्रकाशित किये गये हैं उन सभी को खपा लिया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : जहां तक १९५५, १९५७ और १९५८ के उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, वे सभी खपा लिये गये हैं यद्यपि हम वैसा करने के लिये बाध्य नहीं थे। चूंकि हम ने उन को खपा लिया है इसलिये माननीय सदस्य हम से और रियायत कराना चाहते हैं। जहां तक १९५९ की परीक्षा का संबंध है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम ने आयोग से यह कहा था कि हमें ५० नामों की जरूरत है ; परन्तु आयोग ने हमें ७८ नाम भेज दिये। फिर भी हम ने उमीदवारों के हित के विचार से उन सभी को रख लिया है। अब माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हम आयोग से अग्रेतर सूची बनवायें और फिर समस्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों का विचार किया जाय। यह सर्वथा गलत है। (अन्तर्बाधा)

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि समस्त ७८ व्यक्तियों को रख लिया गया है तो फिर कोई झगड़ा नहीं रह जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि अब नई सूची तैयार की जाये ?

†**श्री प्र० के० देव** : मेरा निवेदन है कि एक नई सूची प्रकाशित की जानी चाहिये। जिसमें वे सब नाम हों जिन्होंने १९५९ की परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हो और उन सभी को रिक्ततायें होने पर खपा लिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी ही किया जाये ?

†**श्री प्र० के० देव** : अन्य वर्षों में तो समस्त अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि १९५९ की परीक्षा के सम्बन्ध में तो यह कर दिया जाना चाहिये कि जितने व्यक्तियों ने अर्हताप्राप्त की हो उन सभी को खपा लिया जाये। परन्तु आगे से ये सूचियां प्रकाशित न की जायें। उन्हें गुप्त रखा जाये और उतने ही व्यक्ति लिये जायें जितनी कि रिक्ततायें हों। इस बार चूंकि नाम प्रकाशित हो गये हैं इसलिये उन्ह ले लिया जाना चाहिये। अन्यथा उन्हें बहुत निराशा होगी।

†**श्री दातार** : मेरा निवेदन है कि हमने केवल ५० व्यक्तियों के नाम मांगे थे। आयोग ने हमें ७८ नाम भेज दिये फिर भी हम ने उन सभी को रख लिया यद्यपि हम चाहते तो केवल ५० को ही रखते। अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम आयोग से अर्हताप्राप्त का स्तर बदलवायें . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का कहना है कि यह परीक्षा अर्हतामूलक थी। इसलिये इस वर्ष जितने व्यक्ति पास हुए हैं उन सब को ले लिया जाये। अगले वर्ष से उतने ही व्यक्ति लिये जायें जितनी रिक्ततायें हों।

†**श्री दातार** : कठिनाई यह है कि आयोग ने जो ७८ नामों की सूची दी है वह उन्हीं लोगों की है जिन्होंने अर्हताप्राप्त की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को आयोग से यह पता लगाना चाहिए कि क्या और भी व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अर्हताप्राप्त की हो ?

†**श्री दातार** : इसमें हमें यह भी विचार करना होगा कि क्या हमारे पास इतनी रिक्ततायें हैं भी ? आयोग द्वारा भेजे गये इन अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को खपाने के लिए हम अनेक व्यक्तियों

---

†मूल अंग्रेजी में

को प्रत्यावर्तित कर चुके हैं । इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए । हम आधे व्यक्ति वरिष्ठता की सूची में से लेते हैं और आधे परीक्षा की सूची में से । हम सभी का प्रत्यावर्तन नहीं कर सकते हैं ।

†**श्री मुरारका** : आप से प्रत्यावर्तन करने के लिए कौन कहता है ? आप प्रतीक्षक सूची रखिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि यह मामला निर्वन वर्ग से सम्बन्धित है । इसलिए माननीय मंत्री को उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए । वे लोग कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं इसलिए इस बार वैसा कर दिया जाना चाहिए । चाहे उसमें कुछ भी कठिनाइयां हों । उनकी यह धारणा थी कि अर्हताप्राप्त करने से उन्हें रख लिया जायेगा । उन्हें निराश नहीं करना चाहिए भले ही उनकी धारणा गलत रही हो । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इससे सहमत होंगे ।

†**श्री दातार** : जी नहीं, क्योंकि इसमें अनेक कठिनाइयां हैं । मैं इस पर विचार करने के लिए तो तैयार हूं परन्तु कोई वचन नहीं दे सकता हूं क्योंकि रिक्तताओं की संख्या सीमित है । प्रतीक्षक सूची रखना अत्यन्त अवांछनीय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अन्तिम प्रतीक्षक सूची होगी । आगे से प्रतीक्षक सूची नहीं रखी जायेगी ।

†**श्री थानू पिल्ले** : आयोग ने पूरा परिणाम प्रकाशित क्यों नहीं किया है जबकि उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी ? उम्मीदवारों को प्राईवेट तौर से यह पता चल गया है कि उन्हें अर्हता-प्राप्ति के लिए आवश्यक अंक मिले हैं ।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य को प्राइवेट सूचना का निर्देश नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सर्वथा नियम विरुद्ध है ।

†**श्री मुरारका** : मेरा निवेदन है कि आपने एक बार यह निर्णय दिया था कि माननीय सदस्य किसी भी सूत्र से सूचना ला सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे याद है कि मैंने यह कहा था कि माननीय सदस्यों के पास जो भी सूचना हो उसका निर्देश वे सभा में स्वतंत्रता से कर सकते हैं ।

†**श्री दातार** : मैं इस सम्बन्ध में आपका सहयोग चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री स्वयं एक वकील हैं । वह जानते हैं कि यदि न्यायालय में कोई संलेख चुराकर भी लाया जाता है तो वह अग्राह्य नहीं माना जाता है । इसलिए उनका यह कहना निरर्थक है कि माननीय सदस्य ऐसी सूचना का सभा में निर्देश न करें । हां, वह यह कह सकते हैं कि वह उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं । सामान्यतः माननीय सदस्यों को इस प्रकार की गोपनीय सूचना सभा में नहीं लानी चाहिए परन्तु यदि वह वैसा करते हैं तो उसमें कोई असंगति नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री को आयोग से यह पता लगाना चाहिए कि क्या इन ७८ के अतिरिक्त भी कोई अर्हताप्राप्त उम्मीदवार हैं ? यदि हैं तो उनकी प्रतीक्षक सूची बनाई जानी चाहिए । जब वह सूची खत्म हो जाये तब फिर आगे से नये सिद्धान्त का पालन किया जाये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २० दिसम्बर, १९६०/२९ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GMGIPND—LSIII—1698 (Ai)LSD—6-1-61—115

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १९ दिसम्बर, १९६०]

[२८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२९८१—३००५
तारांकित प्रश्न संख्या		
९६८	गंगा-ब्रह्मपुत्र जलमार्ग	२९८१—८२
९६९	कारीगरों के लिये अध्ययन भ्रमण	२९८२—८४
९७०	यात्रा-अभिकर्ताओं सम्बन्धी विधान	२९८५—८७
९७१	पश्चिम जर्मनी से प्राप्त सहायता से खाद्य उत्पादन	२९८७—८९
९७२	चीनी की कीमत	२९९०—९५
९७४	गाड़ियों में विशेष प्रकार का प्रकाश	२९९५
९७५	सम्बलपुर बाढ़ नियंत्रण योजना	२९९५—९६
९७६	वेस्ट कोस्ट रोड	२९९६—९८
९७७	पोत इंजीनियर की दुर्घटनावश मृत्यु	२९९८—३०००
९७८	राजस्थान में जल की उपलब्धता	३००१—३००३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
४		३००३—०५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३००५—५१
तारांकित प्रश्न संख्या		
९७३	भूतपूर्व रियासतों के शासक जिनके पास जहाज और हवाई जहाज हैं	३००५
९७९	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	३००५—०६
९८०	तार सन्देश	३००६
९८१	रेलवे के लिए तीसरी योजना का परिव्यय	३००६—७
९८२	त्रिपुरा में कृषि का विकास	३००७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९८३ संयुक्त अरब गणराज्य से चावल की खरीद ३००७
९८४ गाड़ियों की टक्कर . . ३००७–०८
९८५ त्रिपुरा में चावल और धान का स्टाक ३००८
९८६ बरसोई-सिलीगुड़ी लाइन . . . ३००८
९८७ दिल्ली के निकट रेल दुर्घटना . ३००९
९८८ मध्य प्रदेश में गेहूं का स्टाक . ३००९
९८९ टेलीफोन करने के लिये टोकन ३००९–१०
९९० दिल्ली में नया अस्पताल ३०१०
९९१ टेलीफोन बिलों का भुगतान . ३०१०
९९२ शहरों के लिये वृहद् योजनायें . ३०१०–११
९९३ राज्य परिवहन आयुक्तों का सम्मेलन . . ३०११–१२
९९४ दिल्ली में पागल कुत्ते के काटे के इलाज की सुविधायें ३०१२
९९५ हिसार में रेलवे यात्रियों में झगड़ा ३०१२–१३
९९६ असैनिक विमान-चालक . . ३०१३
९९७ दक्षिण-पूर्व रेलवे के निर्माण-कार्य की जांच ३०१४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९५९ मनमाड स्टेशन पर पोस्टर . . ३०१४
१९६० अपर इन्डिया एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना ३०१४
१९६१ रेलवे मजिस्ट्रेट . ३०१४–१५
१९६२ क्विलोन नगर में लेवल क्रासिंग ३०१५
१९६३ आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखाने ३०१५–१६
१९६४ आन्ध्र प्रदेश में वशिष्ठ नदी पर पुल ३०१६
१९६५ राल के कारखाने . . ३०१६
१९६६ हिमाचल प्रदेश में उत्पादित राल ३०१७
१९६७ मुगल सराय स्टेशन पर शिकायतें . ३०१७–१८
१९६८ उत्तर प्रदेश में मुख्य सड़क . . ३०१८
१९६९ उत्तर प्रदेश में नयी रेलवे लाइनें . . ३०१९
१९७० इंजिन डिब्बे ३०१९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६७१	टेलीफोन के कनेक्शन	३०१६
१६७२	अमृतसर-पठानकोट रोड	३०२०
१६७३	पंजाब में रेलवे के ऊपरी पुल	३०२०
१६७४	बटाला स्टेशन	३०२०
१६७५	पुरी में गोविन्द द्वादशी के सम्बन्ध में रेलवे प्रबन्ध	३०२०–२१
१६७६	पुरी में गोविन्द द्वादशी के अवसर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वोपाय	३०२१
१६७७	अन्दमान का विमान	३०२१-२२
१६७८	उत्तर रेलवे में लोको वर्कशाप	३०२२
१६७९	विभागीय भोजन व्यवस्था	३०२२
१६८०	स्टेशनों के नामों में परिवर्तन	३०२२–२३
१६८१	राम गंगा पर नौकाओं का पुल	३०२३
१६८२	रेडियो लाइसेंस	३०२३–२४
१६८३	विमानों की खरीद	३०२४–२५
१६८४	दिल्ली में बसों और ट्रकों का टर्मिनल	३०२५
१६८५	भिवानी बुकिंग एजेन्सी	३०२५
१६८६	कलकत्ता की जल-संभरण तथा जलनिस्सारण योजना	३०२५
१६८७	विद्युत् के लिये छोटे टर्बाइन	३०२६
१६८८	दामोदर घाटी निगम अधिनियम में संशोधन	३०२६
१६८९	तार जांच आयोग	३०२६
१६९०	आयुर्वेद के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ	३०२७
१६९१	आर० एम० एस० पुनर्गठन समिति	३०२७
१६९२	राष्ट्रीय राजमार्ग	३०२७–२८
१६९३	डाक तथा तार सम्बन्धी सामान का आयात	३०२८
१६९४	बिजली से रेलें चलाना	३०२८-२९
१६९५	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८	३०२९
१६९६	पेंशन एवं उपदान योजना	३०२९
१६९७	पुराने जहाज	३०३०
१६९८	रेल का विद्युतीकरण	३०३०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९९९	केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात गणना	३०३०
२०००	पटसन उत्पादन ..	३०३०–३१
२००१	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर योजना	३०३१
२००२	रोहतक में बाढ़	३०३१
२००३	राजकोट डिवीजन में आम हड़ताल	३०३१–३२
२००४	अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव	३०३२
२००५	अमरीका से गेहूं का जहाजों में लाना	३०३२–३३
२००६	मद्रास के लिये बृहत योजना	३०३३
२००७	केरल में बिजली	३०३३
२००८	दिल्ली में कब्रिस्तान	३०३३–३४
२००९	पार्सल में भेजे गये सामान के बारे में गलत जानकारी देना	३०३४
२०१०	सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल	९०३४–३५
२०११	खंड विकास अधिकारी . . .	३०३५
२०१२	रेलवे कर्मचारियों का सेवा से निकाला जाना .	३०३५
२०१३	राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता योजनाएं . .	३०३५–३६
२०१४	स्कूलों की बसें . . .	३०३६
२०१५	खाद्य उत्पादन अनुसन्धान केन्द्र .	३०३६–३७
२०१६	रेल दुर्घटना . . .	३०३७–३८
२०१७	आंध्र प्रदेश में छोटे पत्तन	३०३८
२०१८	डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी .	३०३८
२०१९	मेसर्स बी० सी० राय एण्ड कम्पनी .	३०३८–३९
२०२०	नेलोर (आन्ध्र प्रदेश) में तापीय संयंत्र . .	३०३९
२०२१	यात्री सुविधायें	३०३९
२०२२	केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड .	३०४०
२०२३	विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड .	३०४०
२०२४	बालादीला-कोटावसाला रेलवे लाइन .	३०४१
२०२५	कटक में सहायता प्राप्त होटल .	३०४१
२०२६	जामनगर और ओखा के बीच सड़क . .	३०४१–४२
२०२७	हैदराबाद में स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा केन्द्र .	३०४२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०२८ पटसन के पौधे की नई किस्में . ३०४२

२०२९ राज्य परिवहन आयुक्त ३०४२-४३

२०३० महाराष्ट्र में पुल . . . ३०४३

२०३१ रेलवे अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि . . . ३०४३

२०३२ दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की भर्ती ३०४४

२०३३ केन्द्रीय सड़क निधि . . ३०४४

२०३४ इम्फाल-दीमापुर सड़क पर तार तथा टेलीफोन के कनेक्शन ३०४४-४५

२०३५ पौधों की रक्षा ३०४५

२०३६ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के कर्मचारियों के वेतन क्रम . ३०४५-४६

२०३७ रेल दुर्घटना . . ३०४६

२०३८ भोपाल के लिये स्वचालित टेलीफोन ३०४६

२०३९ पंजाब में खाद्यान्न में राज्य व्यापार ३०४७

२०४० त्रिपुरा में चावल का मूल्य ३०४७

२०४१ दिल्ली में भू-अर्जन . . . ३०४८

२०४२ दिल्ली विकास प्राधिकार . ३०४८

२०४३ नौवहन किराया ३०४९

२०४४ बम्बई के निकट तेलवाहक जहाज का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना ३०४९

२०४५ हिमाचल प्रदेश में एक सामुदायिक विकास खंड में आग लग जाना . . . ३०५०

२०४६ बकाया धनराशि का भुगतान . . ३०५०-५१

२०४७ पंजाब में बिजली . . . ३०५१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०५२

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ नवम्बर, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एफ० १२/५४/६०—ट्रांसपोर्ट की एक प्रति ।

(२) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत एयर इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५७–५८ के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

विषय	पृष्ठ
राज्य-सभा से सन्देश	३०५२
सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :—	
(१) कि राज्य-सभा ने समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० तथा मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।	
(२) कि राज्य-सभा को निम्नलिखित विधेयकों के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—	
(एक) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०	
(दो) रेलवे किराया (संशोधन) विधेयक, १९६०	
(तीन) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १९६०	
(चार) त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक, १९६०,	
(३) राज्य-सभा ने सालारजंग संग्रहालय विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है ।	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा-पटल पर रखा गया .	३०५३
सचिव ने सालारजंग संग्रहालय विधेयक, १९६०, को राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा ।	
विधेयक—पुरःस्थापित	३०५३
(१) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, १९६०	
(२) तार विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६०	
कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत	३०५३
साठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
अनुपस्थिति की अनुमति	३०५४-५५
निम्न सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गयी :—	
१. श्री लैसराम अचौ सिंह	
२. श्री चण्डिकेश्वर शरण सिंह जूदेव	
३. श्री पोकर साहेब	
४. श्री बालासाहेब सालुंके	
५. श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़	
६. श्री कमल नारायण सिंह	
७. श्री अशण्णा	
८. सरदार बलदेव सिंह	

विषय पृष्ठ

अनुपस्थिति की अनुमति—क्रमशः

९. श्री रुंगसुंग सुइसा

१०. श्री ईश्वर अय्यर

११. श्री नरपा रेड्डी

१२. श्री दिनेश सिंह

१३. श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल

१४. श्री दुरायस्वामी गौंडर

१५. श्री उमा चरण पटनायक

१६. श्री मथुरामलिंग तेवर

१७. श्री इ० मधुसूदन राव

१८. श्री कनकसबै

१९. श्रीमती रेणुका राय

२०. पंडित हीरालाल शास्त्री

२१. श्री रामेश्वर राव

२२. श्री नरसिंह मल्लदेव

२३. रानी मंजुला देवी

२४. श्री सु० चं० चौधरी

२५. श्री च० द० पाण्डे

२६. श्री हजरनवीस

२७. श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव

२८. पंडित ठाकुर दास भार्गव

२९. श्री रघुनाथ सिंहजी बहादुर

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि ३०५५

अध्यक्ष महोदय ने १६ दिसम्बर, १९६० को संविधान (नवां संशोधन) विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव पर हुए मत विभाजन की संख्या को शुद्ध करने के बारे में एक घोषणा की ।

विधेयक—विचाराधीन ३०५५–८६

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाये :—

(१) अर्जित राज्य क्षेत्र (विलय) विधेयक, १९६०; और

(२) संविधान (नवां संशोधन) विधेयक, १९६० ।

श्री साधन गुप्त और श्री वाजपेयी ने विधेयकों पर राय जानने के लिए एक एक संशोधन प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय	पृष्ठ
आधे घंटे की चर्चा	३०८६–९२

श्री प्र० के० देव ने असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट की परीक्षाओं के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२७५ के ९ सितम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

मंगलवार २० दिसम्बर, १९६०/२९ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि—

अर्जित राज्य-क्षेत्र (विलय) विधेयक, १९६० और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा उनका पारित किया जाना ।

———

GIPND—LS III—1698(AI) LSD—9-1-61—115